षोडश माला, खंड 12, अंक 15 **मंगलवार, 11 अगस्त, 2015**

20 श्रावण, 1937 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

पांचवां सत्र

(सोलहवीं लोक सभा)

(खंड 12 में अंक 11 से 17 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

© 2015 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुन: प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुन: प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि, इस सामग्री का केवल निजी, गैर-वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अंतर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनाएं सुरक्षित रहें।

अस्वीकरण

इस वेबसाइट पर उपलब्ध 16वीं और 17वीं लोक सभा की वाद- विवाद के मूल पाठ का हिन्दी अनुवाद कृत्रिम मेधा (AI) साधनों के माध्यम से केवल संदर्भ हेतु किया गया है। यद्यपि सटीक अनुवाद उपलब्ध कराने का हर संभव प्रयास किया गया है, उपयोगकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे पूर्ण प्रामाणिक संस्करण हेतु लोक सभा की वेबसाइट पर "वाद-विवाद" वेबलिंक के तहत उपलब्ध लोक सभा वाद-विवाद के आधिकारिक मूल संस्करण का संदर्भ लें।

विषय - सूची

षोडश माला, खंड 12, पांचवां सत्र, 2015/1937 (शक)

अंक 15, मंगलवार, 11 अगस्त, 2015 / 20 श्रावण, (शक) 1937

विषय	पृष्ठ संख्या
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
[1]*तारांकित प्रश्न संख्या 303 से 306	14-40
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 307 से 322	41
अतारांकित प्रश्न संख्या 3451 से 3680	

[1]* *किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने ही पूछा था।

सभा पटल पर रखे गए पत्र 42-55

राज्य सभा से संदेश 56

कार्य मंत्रणा समिति

21वां प्रतिवेदन 57

याचिका समिति

सातवाँ तथा आठवाँ प्रतिवेदन 57

सभा पटल पर रखे गये पत्रों संबंधी समिति

चौथा प्रतिवेदन 58

कृषि संबंधी स्थायी समिति

13वां से 16वां प्रतिवेदन 58-59

ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति

सातवाँ प्रतिवेदन 60

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति

(1) छठा प्रतिवेदन 60

(2) विवरण 61-62

रेल संबंधी स्थायी समिति

सातवाँ प्रतिवेदन 63

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति

87वां प्रतिवेदन 63

मंत्रियों द्वारा विवरण

(एक) (क) गृह मंत्रालय से संबंधित 'दिल्ली पुलिस का कार्यकरण' के बारे में गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के 176वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति। 64

(दो) (ख) गृह मंत्रालय से संबंधित 'जम्मू और कश्मीर के प्रवासियों का पुनर्वास' के बारे में गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के 179वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई पर समिति के 184वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

श्री हरिभाई चौधरी 64-65

(तीन) (ग) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2015-16) के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति के 8वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति 65

साध्वी निरंजन ज्योति

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (संशोधन) दूसरा विधेयक, 2015 पर संयुक्त समिति के प्रतिवेदन से संबंधित प्रस्ताव 66

नियम 377 के अधीन मामले 97-128

(एक) उत्तर प्रदेश के खीरी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में नेपाल से निकलने वाली नदियों से होने वाले मृदा उपरदन को रोकने हेतु तटबंध बनाए जाने की आवश्यकता

श्री अजय मिश्रा टेनी 97

(दो) झारखंड के संथाल परगना एवं इसके समीपवर्ती क्षेत्रों में सूखे की स्थिति से निपटने के लिए उपचारक कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री निशिकांत दुबे 98-99

(तीन) राजस्थान के भीलवाड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में स्थानीय लोगों को खनन क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री सुभाष चंद्र बहेड़िया 100

(चार) मध्य प्रदेश के सागर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में खुरई-राहतगढ़ बस स्टॉप के निकट रेलवे उपरी पुल के डिजाइन में संशोधन किए जाने की आवश्यकता

श्री लक्ष्मी नारायण यादव 100

(पाँच) प्राकृतिक हीरे की आड़ में कृत्रिम हीरे के अनुचित व्यापार को रोके जाने की आवश्यकता

श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश 101-102

(छह) अनिवासी भारतीयों को पासपोर्ट, वीज़ा और कौंसुलेट जनरल ऑफिस के संबंध में पेश आ रही समस्याओं का समाधान किए जाने की आवश्यकता

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा 103-104

(सात) झारखंड के पाकुड़ जिले में पैनम कोल माइन्स लिमिटेड द्वारा कथित अनियमितताओं की, जिनके कारण राजकोष को राजस्व की भारी हानि हुई है, की जांच किए जाने की आवश्यकता

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय 105

(आठ) उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को राज्य सिविल और पुलिस सेवा के अधिकारियों के स्थानान्तरण संबंधी मुद्दे का समाधान किए जाने की आवश्यकता

श्री विनोद कुमार सोनकर 106-107

(नौ) राजस्थान के बीकानेर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में स्वच्छता से जुड़े संगठनों को संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत निधियां जारी किए जाने की अनुमति दिए जाने की आवश्यकता

श्री अर्जुन राम मेघवाल 108

(दस) बेगूसराय संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पक्षी विहार के कावड़ झील में कृषि गतिविधि की अनुमति दिए जाने की आवश्यकता

डॉ. भोला सिंह 109

(ग्यारह) उत्तर प्रदेश में हापुड़ में कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री राजेंद्र अग्रवाल 110

(बारह) राजस्थान के किशनगढ़ से अहमदाबाद के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 79 को छह लेन में बदले जाने की आवश्यकता

श्री चंद्र प्रकाश जोशी 111-112

(तेरह) राजस्थान में किसानों को बीज, सिंचाई और सौर ऊर्जा उपकरणों पर राज सहायता दिए जाने की आवश्यकता

श्री सी.आर. चौधरी 113-115

(चौदह) कर्नाटक में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 63 के हुबली-गुडग खंड पर समपार संख्या- 1 पर रोडओवर ब्रिज का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री प्रह्लाद जोशी 116

(पंद्रह) भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के संवेदनशील जोन में निर्माण क्रियाकलापों पर प्रतिबंध लगाये जाने की आवश्यकता

डॉ. किरीट सोमैया 117

(सोलह) ऊटी में एक मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल खोले जाने की आवश्यकता

श्री सी. गोपालकृष्णन 118

(सत्रह) कावेरी मैनेजमेंट बोर्ड और कावेरी वॉटर रेगुलेशन कमेटी का गठन किए जाने की आवश्यकता

डॉ. जे. जयवर्धन 119

(अठारह) देश में बच्चों की तस्करी के बारे में

डॉ. रत्ना (नाग) डे 120

(उन्नीस) ओडिशा के क्योंझर, जयपोर और खांडापाड़ा में उपक्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र स्थापित किए जाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने की आवश्यकता

डॉ. कुलमणि सामल 121

(बीस) देश में मछुआरों के कल्याण हेतु उपाय किए जाने की आवश्यकता

श्री विनायक भाऊराव राऊत 122

(इक्कीस) आंध्र प्रदेश के राजामुन्दरी में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 16 के मोरामपुरी खंड पर उपरिपुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री एम. मुरली मोहन 123

(बाईस) केंद्रीय अर्धसैनिक बलों द्वारा दी जाने वाली सेवाओं को उचित महत्व दिए जाने की आवश्यकता

श्री दुष्यंत चौटाला 124

(तेईस) उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में लालडिग्गी मोहल्ला स्थित अर्बन कोओपरेटिव बैंक के लेन-देन पर आर.बी.आई. द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के मुद्दे को सुलझाए जाने की आवश्यकता

श्रीमती अनुप्रिया पटेल 125

(चौबीस) माहे-थलस्सेरी बाईपास रोड (राष्ट्रीय राजमार्ग 17), केरल का शीघ्र निर्माण किए जाने की आवश्यकता

प्रो. रिचर्ड हेय 126

(पच्चीस) देश में गौहत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने तथा गौ संवर्धन तथा गौ संरक्षण हेतु प्रभावी कदम उठाए जाने की आवश्यकता

डॉ. किरिट पी. सोलंकी 127-128

नियम 193 के अधीन चर्चा

1) इंडियन प्रीमियर लीग (आई.पी.एल.) विवाद और तत्संबंधी मुद्दों से उत्पन्न विषय

श्री अर्जुन राम मेघवाल 128, 133

2) सतत विकास लक्ष्य

श्री प्रहलाद सिंह पटेल 140

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्रीमती सुमित्रा महाजन

माननीय उपाध्यक्ष

डॉ. एम. तंबिदुरै

सभापति तालिका

श्री अर्जुन चरण सेठी

श्री हुक्मदेव नारायण यादव

श्री आनंदराव अडसुल

श्री प्रह्लाद जोशी

डॉ. रत्ना (नाग) डे

श्री रमेन डेका

श्री कोनाकल्ला नारायण राव

श्री हुकुम सिंह

श्री के.एच. मुनियप्पा

डॉ. पी. वेणुगोपाल

महासचिव

श्री अनूप मिश्र

लोक सभा

मंगलवार, 11 अगस्त, 2015 / 20 श्रावण, 1937 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**माननीय अध्यक्ष** *पीठासीन हुईं*]

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मुझे श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, डॉ. एम. वीरप्पा मोइली, श्री के.सी. वेणुगोपाल, श्री राजीव सातव, श्री पी.वी. मिधुन रेड्डी, धर्मेन्द्र यादव, श्री जय प्रकाश नारायण यादव, मो. बदरुद्दोज़ा खान, श्री एन.के. प्रेमचंद्रन, श्री एम.बी. राजेश, डॉ. ए. संपत से विभिन्न विषयों पर स्थगन प्रस्ताव के के नोटिस प्राप्त हुए हैं।

यद्यपि ये महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, लेकिन इनके कारण आज की कार्यवाही में व्यवधान डालना आवश्यक नहीं है। इन मुद्दों को अन्य अवसरों के माध्यम से उठाया जा सकता है।

इसलिए, मैंने किसी भी स्थगन प्रस्ताव के नोटिस को स्वीकृति प्रदान नहीं की है।

... (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्षः अब प्रश्नकाल। प्रश्न सं 303

... (*व्यवधान*)

<u>पूर्वाह्न 11.02 बजे</u>

इस समय श्री के.सी. वेणुगोपाल और और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

... (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, मैं आपको 'शून्य काल' में अनुमति दूंगी, लेकिन अब नहीं। कृपया अपने स्थानों पर वापस जाएं।

... (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वैंकैय्या नायडू) : हम हर एक विषय में चर्चा करना चाह रहे हैं, हर एक विषय में सरकार चर्चा के लिए तैयार हैं, हमें तुरन्त चर्चा करने में आपत्ति नहीं है, मगर यह तरीका क्या है। ये लोकतंत्र के साथ अन्याय कर रहे हैं, अपचार कर रहे हैं। इस तरह का व्यवहार करना अच्छा नहीं है। आप बिजनेस चलाइये। इनका सुषमा जी केवल बहाना हैं, इनको जी.एस.टी. को रुकवाना है।

… (व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.03 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर*

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न संख्या 303 - श्री राधेश्याम बिस्वास

... (*व्यवधान*)

(प्रश्न संख्या 303)

श्री राधेश्याम बिस्वास: महोदया, सभा में अव्यवस्था बनी हुई है। [हिन्दी] कुछ सुना नहीं जा रहा है। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आपको केवल प्रश्न संख्या बतानी होगी।

... (*व्यवधान*)

श्री राधेश्याम बिस्वास: सभा में अव्यवस्था बनी हुई है। महोदया, मैं आपने कोई प्रश्न नहीं पूछ पा रहा। ... (*व्यवधान*) ठीक है, मैं संतुष्ट हूं। ... (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: ऐसा लगता है कि आपके पास कोई पूरक नहीं है। ठीक है।

... (*व्यवधान*)

श्री वी. एलुमलाई: माननीय अध्यक्ष महोदया, हमारी प्रिय नेता *पुराची थलाइवी अम्मा* के गतिशील नेतृत्व में तमिलनाडु राज्य प्रसंस्करण के स्तर को बढ़ाने के लिए इस योजना को लागू करने वका एक अग्रणी राज्य है ताकि अपव्यय को कम किया जा सके, मूल्य संवर्धन में वृद्धि हो और किसानों की आय में वृद्धि के साथ-साथ

---

* * प्रश्नों और उनके उत्तरों के लिए ग्रंथालय में रखी गई वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण की मास्टर-प्रति का संदर्भ लें। प्रश्नों और उनके उत्तरों के संबंध में अधिक जानकारी हेतु आप इस लिंक पर जाए। https://sansad.in/ls/hi/questions/questions-and-answers
इस लिंक के खुलने के बाद लोक सभा का चयन करें, फिर सत्र का चयन करें तत्पश्चात् फ़िल्टर में जाकर वाद-विवाद की तारीख का चयन करने के पश्चात् इसे लागू करें।

निर्यात में वृद्धि हो, जिसके परिणामस्वरूप खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का समग्र विकास होगा। ... (*व्यवधान*) हर जिले में खाद्य प्रसंस्करण मिशन समिति का गठन किया गया है। ... (*व्यवधान*) केंद्र इसकी लागत का 75 प्रतिशत वहन करता है और राज्य इसकी लागत का 25 प्रतिशत योगदान देता है। ... (*व्यवधान*) इसलिए, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के पूरे मुद्दे को देखते हुए, मैं चाहूंगा कि केंद्र इस योजना की पूरी लागत वहन करे ताकि इसे और अधिक प्रभावी बनाया जा सके। ... (*व्यवधान*) मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि क्या सरकार इसे 100 प्रतिशत केंद्रीय वित्त पोषित योजना बनाने पर विचार कर रही है क्योंकि इससे फलों और सब्जियों की बर्बादी का उचित उपयोग नहीं किया जाता है और इस तरह की बर्बादी की लागत हमारे द्वारा प्रदान किए जाने वाले अनुदान से बहुत अधिक होगी। (*व्यवधान*)

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल: महोदया, माननीय सदस्य बिल्कुल सही हैं कि खाद्य प्रसंस्करण, अपव्यय को कम करने के साथ-साथ यह सुनिश्चित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि किसानों को उनकी उपज के लिए बेहतर पारिश्रमिक मिले। ... (*व्यवधान*) यह क्षेत्र रोजगार के उच्चतम उत्पादकों में से एक है। ... (*व्यवधान*) केंद्र सरकार की मेगा फूड पार्क नाम की एक योजना है जहां वह सामान्य क्षेत्रों में परियोजना लागत का 50 प्रतिशत तक और पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्यों में परियोजना लागत का 75 प्रतिशत सब्सिडी देती है। ... (*व्यवधान*) इसलिए, हम पहले से ही सामान्य क्षेत्रों में परियोजना लागत का 50 प्रतिशत तक सब्सिडी दे रहे हैं, जो 50 करोड़ रुपये की सीमा के अधीन है। (*व्यवधान*) इस योजना के तहत सरकार स्थानों का चयन करती है और स्थानीय लोगों को इसके लिए आवेदन करने के लिए आमंत्रित करती है। ... (*व्यवधान*) जब भी वे आवेदन करते हैं, एक समिति आवेदनों को पढ़ती है और एक बहुत ही पारदर्शी प्रणाली के आधार पर निर्णय लेती है तथा इस तरह मेगा फूड पार्क स्वीकृत किए जाते हैं। ... (*व्यवधान*) अभी तक सरकार की मेगा फूड पार्कों को अपने नियंत्रण में लेने की कोई योजना नहीं है। ... (*व्यवधान*) लेकिन खाद्य प्रसंस्करण पर एक राष्ट्रीय मिशन है जिसके तहत... (*व्यवधान*) प्रत्येक राज्य को खाद्य प्रसंस्करण के लिए धन का आवंटन मिलता है... (*व्यवधान*)

श्री परेश रावल: महोदया, मुझे यह मौका देने के लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं।

[हिन्दी]

महोदया, गुजरात के अंदर मैंगो का प्रोडक्शन तीसरे नम्बर पर है और केला, पपीता, चीकू, नारियल, अमरूद वगैरह फलों का उत्पादन भी गुजरात में ज्यादा होता है।...(व्यवधान) गुजरात सब्जी उत्पादन में भी छठे नम्बर पर है।...(व्यवधान) गुजरात के हर जिले में विभिन्न सब्जियों का उत्पादन होता है, जिसमें प्याज, बंदगोभी, फूलगोभी, टमाटर, आलू, बैंगन इत्यादि मुख्य रूप से हैं।...(व्यवधान) इन सारी सब्जियों और फलों के वैल्यू एडीशन के लिए खाद्य प्रसंस्करण तकनीक को गांवों तक पहुंचाने की जरूरत है।...(व्यवधान)

महोदया, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहूंगा कि भारत के विभिन्न प्रदेशों में, उनकी भौगोलिक परिस्थिति के अनुरूप प्रोडक्ट को बढ़ावा देने के लिए नयी तकनीक-आधारित 'मेगा खाद्य पार्क' को ग्रामीण इलाकों में विकसित करने की क्या सरकार की कोई योजना है?...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल: महोदया, जैसा कि मैंने अभी कहा कि सरकार पहले से ही एक मेगा फूड पार्क योजना लागू कर रही है जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसानों को उनके उत्पादों को मेगा फूड पार्क तक ले जाने और उन्हें बेचने का विकल्प मिले ताकि उनकी आय में वृद्धि हो। ... (*व्यवधान*) गुजरात में सूरत के अलावा एक और मेगा फूड पार्क पहले से ही बन रहा है जिसे कच्छ क्षेत्र में मंजूरी दी गई है। ... (*व्यवधान*) यह एक नया फूड पार्क है। ... (*व्यवधान*) इन सभी मेगा फूड पार्कों को कार्यान्वयन के लिए 30 महीने की अवधि लगती है। ... (*व्यवधान*) मुझे विश्वास है कि इन मेगा फूड पार्कों के आने से किसानों के पास एक और विकल्प होगा जहां वे अपने उत्पादों को ले जाकर बेच सकते हैं। ... (*व्यवधान*) जैसा कि आप जानते हैं, एक ... है (*व्यवधान*) जो किसानों की उपज पर काम करता है और उन्हें कच्चे माल के रूप में उपयोग करता है। ... (*व्यवधान*) यह उद्योग जितना आगे बढ़ेगा, किसानों की उपज की उतनी ही मांग बढ़ेगी। ... (*व्यवधान*)

वर्तमान में फसल के मौसम में जहाँ बाजार में इतनी रौनक है लेकिन किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य नहीं रहा है, ऐसे में वे इन मेगा फूड पार्कों में जा सकते हैं जहां उनकी उपज की मांग हमेशा रहेगी। … (*व्यवधान*) तो, ठीक इसी तरह हम यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगले 30 महीनों में हर राज्य में कम से कम एक मेगा फूड पार्क स्थापित किया जाए।… (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री शरद त्रिपाठी : महोदया, आबादी के हिसाब से उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। ...(व्यवधान) माननीय मंत्री महोदया ने अपने उत्तर में अवगत कराया कि मेगा फूड पार्क उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित हुए थे, लेकिन जमीन उपलब्ध न होने क कारण वे सुचारू रूप से काम नहीं कर सके और न ही कर रहे हैं। ...(व्यवधान)

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि यदि कोई उत्तर प्रदेश का व्यक्ति या संस्था, जैसा कि मेगा फूड पार्क के लिए जो नार्म्स हैं, पचास एकड़ या उससे ज्यादा की भूमि यदि अपने तरीके से आर्जित करके कोई उपलब्ध कराता है तो क्या माननीय मंत्री जी उसके लिए कोई विशेष प्रावधान करने का काम करेंगी? ...(व्यवधान)

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल : मैडम, जैसा मैंने बताया कि मेगा फूड पार्क स्कीम के संबंध में सरकार की तरफ एक एक्सप्रैशन ऑफ इंट्रेस्ट इनवाइट किया जाता है। ...(व्यवधान) प्राइवेट पार्टीज जो इसे लगाने के लिए इंट्रेस्टेड हैं, जहां पर भी वे लगाना चाहें, उसे लगाने के लिए एप्लाई करती हैं। ...(व्यवधान) जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है, सारे माननीय सांसद अच्छी तरह से जानते हैं। ...(व्यवधान) अमेठी की बात उठी थी। ...(व्यवधान) अमेठी में एक फूड पार्क सैंक्शन हुआ था, जो पांच साल तक लगवा ही नहीं सके। ...(व्यवधान) इसी तरह से वर्ष 2008 में रायबरेली के लिए भी एक फूड पार्क सैंक्शन हुआ था, लेकिन किसी कारणवश समय से पहले ही उसका काम ठप्प कर दिया गया। ...(व्यवधान) उसका क्या कारण था, यह पिछली सरकार भी जानती है। ...(व्यवधान) इस बार भी जब नए मेगा फूड पार्क्स के लिए टेंडर इनवाइट किए गए तो किसी बड़ी पार्टी ने या किसी अच्छी पार्टी ने आगे आकर मांग नहीं रखी। ...(व्यवधान) हमारा भी ऐसा मानना है कि उत्तर

प्रदेश एक बड़ा राज्य होने के नाते, यहां यह जरूर लगे। ...(व्यवधान) पचास एकड़ एक मेन क्राइटेरिया होता है, जो इस पूरे मेगा फूड पार्क का जो मॉडल है कि हब एंड स्पोक सेंट्रल फैसिलिटीज हो। ...(व्यवधान) उसी सेंट्रल फैसिलिटी का फायदा लेने के लिए, जिससे छोटे-छोटे यूनिट्स वहां आकर लगा सकें। ...(व्यवधान) इसमें उनका खर्च कम होता है, क्योंकि वे कॉमन फैसिलिटी का फायदा लेते हैं। ...(व्यवधान) सभी किसानों की पहुंच तक उनके प्राइमरी और कलेक्शन सेंटर्स हों। ...(व्यवधान) यह बहुत बड़े रेडियस को कवर करता है। ...(व्यवधान) यह सारा कुछ सेंट्रल फैसिलिटी को फीड करता है। ...(व्यवधान) फिलहाल सिर्फ पचास एकड़ जमीन वाली स्कीम है, लेकिन मंत्रालय ने एक नई स्कीम फ्लोट की है, जहां यह फ्लेक्सिबिलिटी दी जाए। ...(व्यवधान) यह जब फाइनैंस और कैबिनेट से एप्रूव होगी, तब यह स्कीम लागू होगी। ...(व्यवधान)

डॉ. किरीट सोमैया : महोदया, मैं माननीय मंत्री महोदया का ध्यान जो आपने उत्तर दिया है, उसके प्रति आकर्षित करना चाहूँगा। ...(व्यवधान) आपने जवाब के "ई " पार्ट में लिखा है कि 10 फरवरी, 2014 को इंटरमिनिस्ट्रीयल अप्रूवल कमेटी की मीटिंग में कुछ जो फूड पार्क थे, उन्हें कैंसिल करने का निर्णय हुआ। ...(व्यवधान) उस मीटिंग के बारे में तथा जो आपने साथ में सूची दी है, इसमें 53 नम्बर पर शक्तिमान मेगा फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड है, मैं यह जानना चाहूँगा कि यह शक्तिमान फूड पार्क क्या अमेठी का है और वह कैंसिल किस कारण से हुआ? ...(व्यवधान) क्या यह पहले रायबरेली में और किसी कंपनी को आबंटित हुआ था और वहाँ से इसे क्यों कैंसिल किया गया? ...(व्यवधान) क्या इस फूड पार्क वाले ने सरकार से आग्रह किया कि मुझे सब्सिडाइज रेट पर आप कैप्टिव पॉवर प्लांट के लिए गैस देंगे? ...(व्यवधान) तत्कालीन पेट्रोलियम मंत्री ... * ने इससे इंकार करके कहा कि गैस आपको नहीं दी जाएगी। ...(व्यवधान) उनकी पार्टी के नेता ... [2]* के आग्रह के बावजूद, इस संबंध में आप स्थिति स्पष्ट करें। ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

---

[2] कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

माननीय अध्यक्ष: किसी का नाम नहीं लिया जाना चाहिए।

... (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल : महोदया, माननीय सदस्य ने बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा है और उन्होंने डिटेल में बहुत सी चीजें पूछी हैं। ...(व्यवधान) इसमें कोई शक नहीं कि अमेठी में फूड पार्क वर्ष 2010 में ऐलान किया गया था। ...(व्यवधान) अमेठी फूड पार्क की कहानी वर्ष 2008 में शुरू होती है। ...(व्यवधान) जब यह मेगा फूड पार्क की स्कीम लागू हुई, उस समय 10 मेगा फूड पार्क्स के लिए 10 डिस्ट्रिक्ट्स के लिए एक्सप्रैशन ऑफ इंट्रेस्ट इन्वाइट किया गया था। ...(व्यवधान) जिसमें से रायबरेली उत्तर प्रदेश में चुना गया।...(व्यवधान) 'हिन्दुस्तान मेगा फूड पार्क' नामक एक कंपनी ने रायबरेली में फूड पार्क के लिए अप्लाई किया...(व्यवधान) जिसको फूड पार्क लगाने के लिए अप्रूवल मिल गया और इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी में यह नोट भी किया गया कि उसके पास जमीन भी है...(व्यवधान) तो यह पार्क जल्दी लग सकता है।...(व्यवधान) लेकिन एलॉट होने के बाद, इनप्रिंसिपल अप्रूवल के बाद फाइनल अप्रूवल के लिए 6 महीने का समय होता है।...(व्यवधान) क्या हुआ उसके बारे में शायद रायबरेली या अमेठी वाले बता सकते हैं?...(व्यवधान) लेकिन उस 'हिन्दुस्तान मेगा फूड पार्क' को 2 महीने के बाद ही कैंसिल किया गया और कहा गया कि उसके पास जमीन नहीं है। ...(व्यवधान) जबकि इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी में यह नोटेड है कि उसके पास जमीन है।...(व्यवधान) इसके बाद उत्तर प्रदेश के लिए दोबारा ई.ओ.आई.फ्लोट किया गया।...(व्यवधान) फिर, पांच कम्पनियों ने अप्लाई किया।...(व्यवधान) उनमें से एक एल. आर. इंफ्रास्ट्रक्चर भी था।...(व्यवधान) लेकिन पांचों कम्पनियों को इनएलिजैबल करके रद्द कर दिया गया। ...(व्यवधान) उत्तर प्रदेश के लिए तीसरी बार वर्ष 2010 में ई.ओ.आई. फ्लोट किया गया।...(व्यवधान) तब 'आदित्य बिरला ग्रुप' के 'शक्तिमान मेगाफूड' और एल.आर. ने दोबारा अप्लाई किया।...(व्यवधान) अब शक्तिमान को मेगाफूड पार्क एलॉट किया गया।...(व्यवधान) इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी के लोग जब उसे एलॉट कर रहे थे...(व्यवधान) तो उधर फैसले में लिखा गया है कि जब यह अपने फाइनल

अप्रूवल का क्राइटैरिया छः महीने में पूरा नहीं कर सकेंगे तो वह एल.आर को दिया जायेगा।...(व्यवधान) लेकिन हैरानी की बात यह है कि वर्ष 2010 से लेकर वर्ष 2014 तक चार साल उनकी सरकार रही।...(व्यवधान) अमेठी के बारे में आप सब जानते हैं कि वह एक ऐसा पार्लियामेंट्री हलका है...(व्यवधान) जहां के माननीय सांसद को इतनी पावर थी कि प्रधानमंत्री के कागज तक को वह फाड़ सकते थे।...(व्यवधान) लेकिन, इन सब के बावजूद चाल सालों में फूड पार्क के लिए वह जमीन भी नहीं दिलवा सके।...(व्यवधान)

माननीय सदस्य ने पूछा है कि क्या इस पार्क ने कैपटिव पावर प्लांट के लिए सस्ती गैस की मांग की थी?...(व्यवधान) यह बिल्कुल सही है कि अमेठी में जो फूड पार्क लग रहा था।...(व्यवधान) अब तक रायबरेली में यह लग भी जाता लेकिन उसको बंद करवाया गया।...(व्यवधान) 'शक्तिमान मेगा फूड पार्क' ने डी.पी.आर. में 60-70 प्रतिशत अपने रेवेन्यू मॉडल से बिजली बेचकर मुनाफा कमा रहे थे।...(व्यवधान) फूड प्रोसेसिंग या फूड पार्क का उनका इरादा ही नहीं था। ...(व्यवधान) इसलिए उन्होंने सस्ती गैस की मांग रखी।...(व्यवधान) जब सस्ती गैस के लिए कहा गया।...(व्यवधान) माननीय मोइली जी उस समय मंत्री थे।...(व्यवधान) उनकी चिट्ठी है कि हम सस्ती गैस नहीं दे सकते हैं।...(व्यवधान) माननीय सांसद वह क्यों नहीं दिलवा सकते थे जब प्रधानमंत्री तक उनकी तरफ थे।...(व्यवधान) जब उन्होंने सस्ती गैस देने से इंकार किया।...(व्यवधान) 'शक्तिमान मेगा फूड पार्क' की यह चिट्ठी है जिसमें उन्होंने खुद कहा है कि हम यह प्रोजैक्ट को विदड्रा करते हैं।...(व्यवधान) क्योंकि सस्ती पावर के बिना हम इसे लगा ही नहीं सकते हैं।...(व्यवधान)

मैडम, वर्ष 2013 के फरवरी महीने में, अमेठी फूड पार्क के 'शक्तिमान मेगा फूड पार्क' के लोगों ने कहा कि हम इसे नहीं लगा सकते हैं।...(व्यवधान) लेकिन, वर्ष 2013 के अक्टूबर महीने में, इलैक्शन से छः महीने पहले माननीय सांसद द्वारा अमेठी में जाकर शिलान्यास किया गया।...(व्यवधान) इसके बावजूद शोकॉज नोटिस फॉर कैंसिलैशन वर्ष 2012 में इश्यू हो चुका था। ...(व्यवधान) और पार्टी ने वर्ष 2013 के फरवरी महीने में विदड्रा कर लिया था।...(व्यवधान) लेकिन लोगों को गुमराह करने करने के लिए फाउंडेशन स्टोन रखा गया।...(व्यवधान) पिछले सत्र में हम पर अंगुली उठायी गयी कि हमने उसे कैंसिल कर दिया।...(व्यवधान)

आज असत्य की राजनीति का यही नतीजा है।...(व्यवधान) यह आज व्यापम की बात करते हैं।...(व्यवधान) किसानों की बात करते हैं।...(व्यवधान) किसानों के पेट पर लात मारने वाले खुद आज किसानों के रखवाले बनने की कोशिश कर रहे हैं।...(व्यवधान) यह सारा शोर जो मच रहा है।...(व्यवधान) यह देश की उस जनता से बदला लेने के लिए है...(व्यवधान) जिन्होंने उनकी नीतियों के कारण उन्हें बाहर निकाला।...(व्यवधान)

(प्रश्न संख्या 304)

[हिन्दी]

श्री रोड़मल नागर : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि सीमा पार से पाकिस्तान द्वारा पिछले तीन वर्षों में लगभग 770 बार युद्ध विराम का उल्लंघन हुआ है।...(व्यवधान) उन युद्ध विराम उल्लंघनों के लिए भारत सरकार द्वारा कितनी बार आपत्ति दर्ज करायी गयी है?...(व्यवधान) पाकिस्तान सरकार नें हमारी आपत्तियों का क्या-क्या जवाब दिया है?

श्री किरेन रिजीजू : अध्यक्ष महोदया, पाकिस्तान बार्डर में जब सीज़फायर वॉयलेशन होता है, उसमें एक प्रक्रिया है जिसके मुताबिक फ्लैग मीटिंग होती है। ... (व्यवधान) जब फ्लैग मीटिंग होती है तो बार्डर सिक्युरिटी फोर्सेज के कमांडर ऑफिसर उसे दर्ज करते हैं। वह एक प्रक्रिया है। ... (व्यवधान) ऐसा कितनी बार हुआ, इसकी अलग से जानकारी हमारे पास नहीं है, लेकिन जब भी घटना होती है, उस हिसाब से वहां बात रखी जाती है।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आपका व्यवहार बिल्कुल अनरूली है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : कृपया अपनी-अपनी सीटों पर जाइए।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : चेयर के सामने आना ठीक नहीं है।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: यह ठीक नहीं है।

... (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: मैं आपको बार-बार बोल रही हूं। कृपया अपने स्थान पर वापस जाएं।

... (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री रोड़मल नागर : अध्यक्ष महोदया, क्या सरकार को पाकिस्तानी सेना और घुसपैठी आतंकियों के आपस में संबंध का कोई प्रमाण प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?...(व्यवधान)

श्री किरेन रिजीजू : अध्यक्ष महोदया, भारत सरकार की ओर से समय-समय पर पाकिस्तान को पुख्ता सबूत दिया जाता है।...(व्यवधान) जो आतंकवादी पाकिस्तान की धरती से ट्रेनिंग लेकर हिन्दुस्तान आता है, उसकी जानकारी उसे देते हैं। पाकिस्तान की तरफ से आतंकवादी गतिविधियां लगातार काफी सालों से चली आ रही हैं।...(व्यवधान) इसलिए यह कोई नई गतिविधि नहीं है, लेकिन हमारी सरकार आने के बाद हम उन्हें अच्छी तरह जवाब दे रहे हैं।...(व्यवधान) इस पर कार्यवाही करके और बातचीत के माध्यम से भी लगातार जो खबर देनी है, वह उन्हें पहुंचाई जाती है।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: श्री राकेश सिंह- उपस्थित नहीं।

श्री कलिकेश एन. सिंह देव

श्री कलिकेश एन. सिंह देव: महोदया, यह एक साधारण बात है कि संघर्ष विराम उल्लंघन की आड़ में, आतंकवादी भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ करते हैं और हमने इसका परिणाम पिछले दो, तीन सप्ताह में पूरे जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी हमलों के रूप में देखा है। … (*व्यवधान*) महोदया, ये या तो चूक से या पाकिस्तान सरकार के शीर्ष नेतृत्व के कमीशन से किए गए कार्य हैं। … (*व्यवधान*) जहां एक ओर यह हमले लगातार हो रहे हैं, वहीं हमारी भारत सरकार पाकिस्तान के साथ एन.एस.ए. वार्ता कर रही है। … (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: आप सभी अपनी सीटों पर वापस जाएं। उसके बाद, मैं आपकी बात सुनूंगी।

... (*व्यवधान*)

श्री कलिकेश एन. सिंह देव: महोदया, मैं गृह मंत्री से स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूं कि क्या ऐसे समय में पाकिस्तान के साथ एन.एस.ए से एन.एस.ए. वार्ता करना उचित है जब पाकिस्तान सरकार बार-बार संघर्ष विराम का उल्लंघन किए जा रही है और संघर्ष विराम उल्लंघन की आड़ में आतंकवादियों को भारत में भेज रही है। **...**(*व्यवधान*)

श्री किरेन रिजीजू: महोदया, एन.एस.ए. वार्ता के बारे में माननीय सदस्य ने जो सवाल उठाया, यह एन.एस.ए. स्तर की बातचीत से जुड़ा नहीं है, इसका विषय पर जवाब देना का काम गृह मंत्रालय नहीं है, लेकिन जब पाकिस्तान सरकार के तत्वों द्वारा आतंकवादियों को बढ़ावा और समर्थन देने के सवाल की बात आती है, तो भारत सरकार ने समय-समय पर सबूत पेश करते हुए यह भी स्पष्ट रूप से कहा है कि पाकिस्तान सरकार के भीतर ऐसे तत्व मौजूद हैं जो भारत में आतंकवादियों को प्रशिक्षित करने और उन्हें यहाँ भेजने में सक्रिय रूप से शामिल होते हैं। … (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: कृपया अपनी सीटों पर वापस जाएं। मैं सभा को स्थगित नहीं करने जा रही हूं और आपकी वजह से, अन्य सभी सदस्यों को परेशानी हो रही है। कृपया अपने स्थान पर वापस जाएं। आप इस पर चर्चा कर सकते हैं लेकिन इस तरह से नहीं। मैं कुछ नहीं सुनूंगी।

... (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: श्री शेर सिंह घुबाया।

... (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री शेर सिंह गुबाया: अध्यक्ष महोदया, पाकिस्तान ने हमेशा इंडिया से पीस-वॉयलेशन की और समझौते को ठुकराकर भारत की तरफ आकर लोगों को मारने की कोशिश की, टैरोरिज़्म फैलाने की कोशिश की।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: कृपया ऐसा न करें। कृपया अपने स्थान पर वापस जाएं।

... (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री शेर सिंह गुबाया: मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि आजादी की लड़ाई में और जब पाकिस्तान से लड़ाई होती है या कोई ऐसा माहौल पैदा होता है, तो जो लोग हमारे देश की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं।...(व्यवधान) जो लोग गरीब परिवार से संबंधित हैं, वे लोग ट्रेनी हैं, जैसे पंजाब होम गार्ड और बीएसएफ के साथ काम करते हैं।...(व्यवधान) कुछ ऐसे लोग हैं जो देश की खातिर मर-मिटने के लिए तैयार रहते हैं ...(व्यवधान) कुछ लोग पाकिस्तान में जाकर सी.आई.डी काम करते हैं ...(व्यवधान) आर्मी और फोर्सेज

उनसे काम करवाते हैं। मुझे बहुत अफसोस है कि उनके हक को कभी सरकार ने पूरा नहीं किया है ...(व्यवधान), हजारों लोग जो पंजाब होम गार्ड और अन्य फोर्सेज में हैं जिन्होंने ट्रेनिंग ली हुई है उनका हटा दिया जाता है ...(व्यवधान)। जब कोई लड़ाई होती है, ...(व्यवधान) दीनानगर का जब कांड हुआ उस समय पता चला कि कुछ लोगें ने ट्रेनिंग ली हुई थी, ...(व्यवधान) उसे पिंडों में जाकर पहरा देने के लिए कहा जाता है ...(व्यवधान)। इन लोगों को पंजाब फोर्से में, पंजाब होम गार्ड में पक्की नौकरी नहीं दी गई है ...(व्यवधान)। पाकिस्तान में जो सीआईडी का काम करते हैं इसकी वजह से उनको मौत के घाट भी उतारा गया, वे 20-20 सालों से जेल की सजा काट रहे हैं ...(व्यवधान) न उनके परिवारों को कम्पन्सेट किया गया है ...(व्यवधान) न उनके परिवार में किसी को नौकरी दी गई है ...(व्यवधान)। मैं मंत्री साहब से जानना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को रोजगार देने के लिए होमगार्ड में, या अन्य फोर्सेज में नौकरी देंगे, जिससे उसके परिवार का गुजारा चल सके?

श्री किरेन रिजीजू : मैडम, जिसने भी भारत सरकार के लिए काम किया है और अपना जीवन दिया है, ...(व्यवधान) उनके परिवारजनों के लिए भारत सरकार ने मदद करने के लिए कई प्रावधान किए हुए हैं ...(व्यवधान) लेकिन माननीय सदस्य ने कुछ खास परिवारों के बारे में कहा है ...(व्यवधान) उसके बारे में हम जनरल स्टेटमेंट नहीं दे सकते ...(व्यवधान)। अगर कोई ऐसा परिवार है तो उसका नाम सहित ऐसी घटना को मंत्रालय के संज्ञान में ला सकते हैं ...(व्यवधान) लेकिन इस मामले में हम जनरल स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं ...(व्यवधान)।

कर्नल सोनाराम चौधरी: महोदय, मैं बाड़मेर से आता हूं, आदरणीय गृह मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि वहां करीब 700 किलोमीटर का पाकिस्तान के साथ बार्डर है ...(व्यवधान)। उस बार्डर पर फेन्सिंग हो गई है और हेडलाइटस लगी है कुछ जगहों पर गैप्स हैं जहां से उग्रवादी आ सकते हैं ...(व्यवधान), वहां से कई बार वेपन्स आए हैं, नारकोटिक्स आए है ...(व्यवधान)। आपको पता ही होगा अभी जो उग्रवादी गुरूदासपुर में आया था ...(व्यवधान) वह फेन्सिंग काट कर आया था ...(व्यवधान) मेरा कहना है कि वहां जो फेन्सिंग में गैप्स है और बार्डर आऊट पोस्ट हैं जिसमें बहुत ज्यादा गैप है ...(व्यवधान) जहां से आतंकवादियों के आने का अंदेशा बना

रहता है, ...(व्यवधान) पंजाब में तो फेन्सिंग सिक्योरड है लेकिन आगे आने वाले समय में वहां से ज्यादा टेररिस्ट घुसने की कोशिश करेंगे ...(व्यवधान)। मेरा सवाल है कि जहां फेन्सिंग में गैप्स है ...(व्यवधान) क्या उसे ठीक करेंगे और जहां फ्लड लाइट ठीक नहीं है ...(व्यवधान) उसे ठीक करेंगे और बीएसएफ के बोर्डर आउट पोस्ट की संख्या बढ़ाएंगे ...(व्यवधान) जिससे वहां से कोई टेररिस्ट नहीं घुस सके और बार्डर पर रहने वाले लोग भी सुरक्षित रह सकें?

श्री किरेन रिजीजू : मैडम, राजस्थान में 1037 किलोमीटर पाकिस्तान से बार्डर है। ...(व्यवधान) हमारे बार्डर पर जो फेन्सिंग है ...(व्यवधान) पंजाब और राजस्थान की फेन्सिंग काफी पुरानी हो गई है, ...(व्यवधान) जगह-जगह से फेन्सिंग काट कर इनफिल्ट्रेशन की संभावना बनी रहती है। ...(व्यवधान) मंत्रालय की कोशिश रहती है कि जो पुरानी फेन्सिंग हैं उसे फिर से बनाने के लिए प्रयास किया जाए। ...(व्यवधान) राजस्थान में फेन्सिंग कम्पलीट है। ...(व्यवधान) टोटल लेंथ 1022 किलोमीटर की फेन्सिंग कम्पलीट है। ...(व्यवधान) कुछ जगहों पर फेन्सिंग पुरानी होने के कारण इनफिल्ट्रेशन और स्मगलिंग की खबर आती रहती है। ...(व्यवधान) हम लोग टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन के माध्यम से और बीएसएफ की डिप्लॉयमेंट में भी लगातार बढ़ोत्तरी कर रहे हैं। बीओपी से माइनिंग करने में जो फ्लड लाइट चाहिए ...(व्यवधान) उस बारे में हम हर प्रकार की कोशिश कर रहे हैं। ...(व्यवधान) अगर इस तरह की कोई घटना होती है, तो उसे हम बहुत सीरियसली लेते हैं। ...(व्यवधान)

श्री जुगल किशोर: अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जम्मू-कश्मीर में पाकिस्तान की सीमा पर रहने वाले देशभक्त लोगों पर पाकिस्तान बहुत अत्याचार करता है। ...(व्यवधान) वे पाकिस्तान की गोलियों और गोलों का सामना भी करते हैं। ...(व्यवधान) वे वहां पर शहीद भी हो जाते हैं।...(व्यवधान) लेकिन उनको राहत के तौर पर दो पैसे भी केन्द्र सरकार की तरफ से नहीं मिलते हैं। ...(व्यवधान) जम्मू-कश्मीर की सरकार उन शहीदों के परिवार वालों को मात्र एक लाख रुपये देती है। ...(व्यवधान) यह एक लाख रुपये शहादत देने वाले के लिए काफी नहीं है। ...(व्यवधान) उसके पीछे जो परिवार रह जाता है, वह दर-दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हो जाता है। ...(व्यवधान)

मेरी मंत्री जी से प्रार्थना है कि क्या केन्द्र सरकार उन शहीदों के परिवार वालों को पांच लाख रुपये और नौकरी देने का कोई प्रावधान करेगी, ताकि शहीद होने वाले व्यक्ति का परिवार अपना जीवन-निर्वाह ठीक तरह से कर पाये। ...(व्यवधान) इसके साथ-साथ बॉर्डर पर फैंसिंग लगी होने के कारण उस पार जमीन पर भी वे लोग खेती-बाड़ी नहीं कर सकते। ...(व्यवधान) उनकी एजुकेशन भी पूरी नहीं हो पाती।...(व्यवधान) हमारा कहना है कि बॉर्डर के लोगों के लिए भर्ती आभियान तुरंत चलाया जाना चाहिए, ताकि वे देश भक्त लोग बॉर्डर पर डटे रहें। ...(व्यवधान)

श्री किरेन रिजीजू : अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठाया है। ...(व्यवधान) फिलहाल एक लाख रुपया जम्मू-कश्मीर की राज्य सरकार के माध्यम से शहीद होने वाले के परिवार जनों को दिया जाता है। ...(व्यवधान) अगर कोई इंजार्ड होता है, तो उसे पांच हजार रुपया देने का प्रावधान है। ...(व्यवधान) उसके अलावा डिप्टी कमिश्नर के पास जो रेड क्रॉस फंड है, वहां से भी लोगों को पैसा देने का प्रावधान है। ...(व्यवधान) जो एक लाख रुपया या पांच हजार रुपया देने का प्रावधान है, वह सैक्रेटी ...(व्यवधान) एक्सपेंडीचर के माध्यम से उसका भुगतान भारत सरकार करती है। ...(व्यवधान) चूंकि माननीय सदस्य ने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठाया है कि जो लोग बॉर्डर मे रहते हैं, वे देश के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी देते हैं। ...(व्यवधान) इसलिए भारत सरकार की ओर से एक कैबिनेट नोट मूव किया गया है। ...(व्यवधान) अगर क्रॉस फायरिंग या पाकिस्तान की तरफ से होने वाली गोलीबारी से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो उसे पांच लाख देने का एक कैबिनेट नोट मूव किया गया है। ...(व्यवधान) अगर वह नोट एप्रूव हो जाता है, तो उन लोगों को लिए बहुत अच्छा काम होगा। ...(व्यवधान) क्योंकि हमें मालूम है कि बॉर्डर एरिया में जो लोग रहते हैं, खेती-बाड़ी करते हैं, वे एक दृष्टि से भारत की सीमा की रक्षा भी करते हैं। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** चन्दूमाजरा जी, इस विषय पर बहुत सारे प्रश्न पूछे गये हैं।

... <u>(व्यवधान)</u>

माननीय अध्यक्ष : आप बहुत छोटा प्रश्न पूछिये।

... (व्यवधान)

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा: अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि बॉर्डर क्रॉस से जो टैरेरिस्ट आते हैं, उनका मुकाबला करने के लिए आर्मी के अलावा अन्य प्रदेशों की पुलिस भी काम में आती है? ...(व्यवधान) यदि वह काम में आती है, तो पुलिस के इक्विपमैंट्स के नवीनीकरण के लिए केन्द्र सरकार की ओर से जो पैसा दिया जाता है, उसे बढ़ाया जाना चाहिए। ...(व्यवधान) मुझे इस बात का खेद है कि पंजाब को इस संबंध में पिछले वर्ष 40 करोड़ रुपये दिये गये, जबकि इस वर्ष केवल 15 करोड़ रुपये ही दिये गये। ...(व्यवधान) यह सच है कि दीनानगर में जो टैरेरिस्ट घटना घटी, उसमें पंजाब प्रदेश की पुलिस ने मुकाबला किया और उन टैरेरिस्टों को मार गिराया। ...(व्यवधान) मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि पुलिस के इक्विपमैंट्स के नवीनीकरण के लिए केन्द्र सरकार क्या उस राशि को बढ़ाने के बारे में कुछ सोच रही है? ...(व्यवधान)

श्री किरेन रिजीजू : माननीय अध्यक्ष जी, पिछले सप्ताह माननीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी ने दीनानगर की घटना में पंजाब पुलिस की कार्रवाई की सराहना की थी। पंजाब पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया था। इसके अलावा पंजाब पुलिस का बहुत योगदान रहा है। पंजाब पुलिस ने बार्डर एरिया में सैंट्रल आर्म्ड फोर्सिस बीएसएफ या अन्य सिक्योरिटी एजेंसियां जो काम करती हैं, को सहयोग दिया है।...(व्यवधान)

जहां तक रिइम्बर्समेंट का सवाल है, किसी भी राज्य सरकार की पुलिस फोर्स अगर केंद्र की मदद के लिए आती है तो सिक्योरिटी मिलिट्री एक्सपेंडिचर में रिइम्बर्स करने का प्रावधान है। अगर पंजाब पुलिस का इस कानून के तहत या हमारी पालिसी के तहत कुछ पेंडिंग है तो गृह मंत्रालय में इसका अध्ययन जरूर होगा और पंजाब का रूल के तहत जो ड्युु है, उसे जरूर पूरा किया जाएगा।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: कृपया अपनी सीटों पर जाएं।

... (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : सब लोग टीवी पर आ जाएं, बहुत अच्छा है। पूरे हिंदुस्तान को देखने दो, अच्छे से देखने दो।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न संख्या 305

श्री बदरुद्दीन अजमल **-** उपस्थित नहीं।

... (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: श्री सी. महेन्द्रन।

(प्रश्न संख्या 305)

... (*व्यवधान*)

श्री सी. महेन्द्रन: माननीय अध्यक्ष महोदया, अपना पूरक शुरू करने से पहले, मैं अपनी देवी और माननीय पुरैची थलाइवी अम्मा के सामने हाथ जोड़ता हूं। (*व्यवधान*)

महोदया, विभिन्न राज्यों और अन्य एजेंसियों को राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत धन आवंटित किया जा रहा है। ... (*व्यवधान*) वर्ष 2014-15 के लिए केंद्र सरकार द्वारा गन्ना प्रजनन संस्थान, कोयम्बटूर को आवंटित धनराशि मात्र 2.50 लाख रुपये थी, जो बहुत कम है। ... (*व्यवधान*) मैं माननीय मंत्री जी से पूछना

चाहूंगा कि क्या इस वित्तीय वर्ष के दौरान गन्ना प्रजनन संस्थान, कोयम्बटूर को दी जाने वाली धनराशि के आवंटन को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है। (*व्यवधान*)

इसके अलावा, मैं जानना चाहता हूं कि क्या केंद्र सरकार के पास गन्ना उत्पादकों को सीधे तौर पर वित्तीय सहायता देने का कोई प्रस्ताव है। ... (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. संजीव बालियान) : माननीय अध्यक्ष जी, अगर राज्य सरकार की तरफ से फंड बढ़ाने की मांग आती है तो निश्चित रूप से फंड बढ़ाया जा सकता है। ...(व्यवधान) जहां तक केंद्र सरकार द्वारा डायरेक्ट शुगरकेन फार्मर की मदद करने की बात है, यह कई प्रकार से की जा रही है। पिछले महीने 6000 करोड़ का सॉफ्ट लोन केंद्र सरकार द्वारा एनाउंस किया गया है। इसका एक वर्ष का 600 करोड़ रुपए ब्याज दिया जाएगा।...(व्यवधान) ऑलरेडी केंद्र सरकार द्वारा एक्सपोर्ट सब्सिडी एनाउंस की गई है। ऐसी कुछ योजनाएं केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं।...(व्यवधान)

श्री भगवंत मान: माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे प्रश्न पूछने का मौका दिया। गन्ना उत्पादक किसानों ने पंजाब में बहुत दिक्कतों का सामना किया। उनके साथ एग्रीमेंट करके कमाद की खेती करवा ली गई लेकिन समय पर गन्ना उठाया नहीं गया। ...(व्यवधान) पर्ची सिस्टम में पर्ची नहीं मिली और कई सालों की पेमेंट पेंडिंग है। अब चीनी मिल अखबारों में एड दे रही हैं कि अगली फसल नहीं उठाएंगे। यह एक साल की फसल है इसलिए किसानों का बहुत नुकसान होने वाला है।...(व्यवधान) क्या इसकी जानकारी कृषि मंत्रालय को है कि चीनी मिलें इस तरह की एड दे रही हैं कि गन्ने की फसल को उठाने के काबिल नहीं हैं इसलिए मिल बंद करने जा रहे हैं? क्या कृषि मंत्रालय इन किसानों की मदद के लिए कुछ उपाय करने की सोच रहा है?...(व्यवधान)

श्री राधा मोहन सिंह : माननीय अध्यक्ष जी, केंद्र कंट्रोल एक्ट के तहत राज्यों को पूरा आधिकार दिया गया है। ...(व्यवधान) इस आधिकार के तहत किसानों के मूल्य का भुगतान 15 दिन तक नहीं होगा, इसके लिएउनके एरिया एलॉट किए गए हैं और राज्य सरकार इस पर पूरी कार्यवाही कर सकती है। पूरे राज्यों को पहले से पर्याप्त आधिकार दिया हुआ है।

श्री प्रतापराव जाधव : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि हमारे महाराष्ट्र के अंदर बहुत सारे किसान वहां पर गन्ने की खेती करते हैं,...(व्यवधान) लेकिन पिछले साल हमारे किसानों का जो एम.एस.पी. मूल्य तय किया गया था, वह एम.एस.पी. मूल्य किसानों को अभी तक नहीं दिया गया है।...(व्यवधान) मुझसे पहले मेरे एक साथी ने जो प्रश्न उठाया था कि जो बहुत सारी चीनी मिलें हैं, उनके मालिक और उनके चेयरमैन कह रहे हैं कि अगले साल हम अपनी मिलों को चालू नहीं कर सकते।...(व्यवधान) इससे बहुत सारे किसान दिक्कत में आए हैं।...(व्यवधान) पहले ही महाराष्ट्र में किसान आत्महत्या कर रहे हैं। क्या इसके लिए सरकार कोई कदम उठाएगी?... (व्यवधान)

मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि महाराष्ट्र में अगर किसानों को गन्ना लगाना है तो ड्रिप इरीगेशन के माध्यम से ही उनको गन्ना लगाना चाहिए। तीन साल का अल्टीमेटम दिया गया था। अभी दो साल समाप्त हो गये हैं।...(व्यवधान) अगर अगले साल किसानों को गन्ना लगाना है तो क्या उसके लिए ड्रिप इरीगेशन जरूरी है या फ्लड के इरीगेशन के माध्यम से भी वे गन्ना लगा सकते हैं?... (व्यवधान)

डॉ. संजीव बालियान : माननीय अध्यक्ष जी, महाराष्ट्र में करीब किसानों का 3140 करोड़ रुपया शुगर मिलों पर बकाया है।... (व्यवधान) यह बिल्कुल ठीक बात है।... (व्यवधान) जो चीनी के दाम हैं, चाहे वह डौमैस्टिक मार्केट हो या इंटरनेशनल मार्केट हो, दाम गिरने की वजह से जो चीनी मिलों को घाटा हुआ है, उसकी वजह से किसानों को पेमेंट मिलने में देरी हो रही है।... (व्यवधान) इसके बारे में केन्द्र सरकार द्वारा भी कई कदम उठाये गये हैं। निश्चित रूप से महाराष्ट्र सरकार द्वारा भी कई कदम उठाये गये हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि निकट भविष्य में जल्दी ही ये ड्यूज क्लिअर कर दिये जाएंगे। ...(व्यवधान)

जहां तक अगले सीजन में शुगर मिल न चलाने की बात है तो निश्चित रूप से इसमें राज्य सरकार को प्रभावी कार्रवाई करनी चाहिए।...(व्यवधान) वह राज्य सरकार के आधिकार क्षेत्र में है कि कोई शुगर मिल अगर नहीं चलती तो राज्य सरकार उसका आधिग्रहण करके चला सकती है।...(व्यवधान) जहां तक माननीय सदस्य ने जो कहा है कि ड्रिप इरीगेशन के बिना क्या गन्ना बोया जा सकता है? यह प्रदेश का विषय है।...(व्यवधान) मगर प्रदेश सरकार ने इसमें एक नोटिस जारी किया है तो प्रदेश सरकार इसका जवाब दे सकती है।...(व्यवधान)

केन्द्र सरकार के द्वारा राज्यों को ड्रिप इरीगेशन के लिए पैसा दिया जा रहा है। वैसे भी ड्रिप इरीगेशन का सबसे ज्यादा पैसा महाराष्ट्र सरकार को ही जा रहा है।...(व्यवधान) यह राज्य सरकार का विषय है।...(व्यवधान)

श्री रत्न लाल कटारिया**:** माननीय अध्यक्ष जी, मैं सबसे पहले माननीय कृषि मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा कि सरकार के प्रयत्नों से गन्ने की बुवाई में बहुत बड़ी वृद्धि हुई है,...(व्यवधान) और सरकार ने किसानों के गन्ने की फसलों को और पोपुलर बनाने के लिए बहुत से कदम उठाये हैं ...(व्यवधान) लेकिन आजकल चूंकि देश की जो आधिकतर चीनी मिलें हैं, वे किसानों का भुगतान नहीं कर सकी हैं और भारत सरकार ने मिलों को भी राहत देने के लिए 6600 करोड़ रुपये का एक पैकेज दिया है।...(व्यवधान) मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि क्या जो प्राइवेट सैक्टर में चीनी मिलें हैं, विशेषकर मेरे लोक सभा क्षेत्र में नारायणगंज में जो एक चीनी मिल है, क्या मिलों के पास इस लोन को लेने के लिए कोलेटरल सिक्योरिटी न होने के कारण भारत सरकार ने जो सॉफ्ट लोन की पेशकश की थी, क्या उसको लेने से मना कर दिया है?... (व्यवधान) और उनके मना करने के परिणामस्वरूप बहुत से किसानों की बकाया राशि आज भी बाकी रह गई है जिससे किसान चिंतित हैं? क्या सरकार इस विषय में कोई और कदम उठाएगी ताकि किसानों को राहत मिल सके?... (व्यवधान)

डॉ. संजीव बालियान : महोदया, वर्ष 2013-2014 में भी गन्ना मिलों से किसानों को राहत देने के लिए भुगतान करने के लिए 6600 करोड़ रुपए ब्याज मुक्त ऋण के रूप में दिए गए थे लेकिन वे पैसे किसानों को नहीं मिल पाए थे।...(व्यवधान) इसीलिए इस वर्ष हमारी सरकार ने छह हजार करोड़ रुपया मुहैया कराया है और इसके लिए शर्त रखी है कि किसान के खाते में जब भुगतान होगा, तभी हम इसके सूद पर माफी देंगे।...(व्यवधान)

इसके कारण निश्चित रूप से इस बंधन के कारण शुगर मिलों की वह स्पीड नहीं है लेकिन फिर भी अभी तक 48 एप्लीकेशन आ गई हैं और हमारी फूड सप्लाई मिनिस्टरी इस दिशा में कार्यवाही कर रही है।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: कृपया अपनी सीटों पर वापस जाएं।

[हिन्दी]

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : वास्तव में पूरे देश में गलत संदेश जा रहा है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप अपनी सीट पर वापिस चले जाएं। आप लोग देश में गलत संदेश दे रहे हैं। 40-50 लोग मिलकर 440 लोगों का आधिकार मार रहे हो। 400 से ज्यादा लोग सदन चलाना चाहते हैं। देश में आप लोग बहुत गलत संदेश भेज रहे हो।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सदन बोलने के लिए है, चर्चा करने के लिए है। [अनुवाद] कृपया अपने स्थान पर वापस जाएं। मैं [हिन्दी] आपको बोलने की इजाजत दे दूंगी। देश में बहुत गलत संदेश जा रहा है। [अनुवाद] यह कहते हुए मुझे सचमुच बहुत दुख हो रहा है। कृपया अपने स्थान पर वापस जाएं।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: कृपया अपनी सीटों पर वापस जाएं। आपको अपनी सीट पर वापस जाना चाहिए।

... (*व्यवधान*)

(प्रश्न संख्या 306)

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न संख्या 306, श्री अधीर रंजन चौधरी - प्रश्न नहीं पूछ रहे।

श्री पिनाकी मिश्रा।

श्री पिनाकी मिश्रा: महोदया, इस तरह विस्तृत और स्पष्ट उत्तर देने के लिए, मैं माननीय मंत्री जी का बहुत आभारी हूं। मैं भाग (घ) के उनके उत्तर से विशेष रूप से व्यथित और बहुत परेशान हूं, जो 2012-13 और 2013-14 में यू.पी.ए. के *भ्रष्ट शासन में पर्यावरण और वन मंत्रालय की बेहद निराशाजनक स्थिति को दर्शाता है। यह* आंकड़े स्पष्ट हैं। वनोन्मूलन कार्यक्रम के लिए मंत्रालय द्वारा राज्यों और संघ राज्यक्षेत्र को 50 प्रतिशत से कम अनुदान दिया गया था। यह एक दुखद स्थिति है।

मैं बहुत चिंतित हूं क्योंकि हमने पॉस्को का उदाहरण देखा है जहां दो साल से अधिक समय तक वन मंजूरी नहीं दी गई थी। * *पॉस्को वालों को घूस देनी पड़ी थी जिसके परिणामस्वरूप वन मंजूरी नहीं दी गई थी*। जिसके चलते इस देश में 52,000 करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नहीं आ सका।... [3*]यह एक चौंकाने वाली स्थिति है। ..* मैं यह नहीं समझ पा रहा। दिल्ली में दफ्तर में फाइलों का काम पूरा क्यों नहीं हो रहा है? चेन्नई में मंत्री के आवास पर फाइल क्यों पोहचे जा रही है? इसका जवाब कौन देगा? इस तरह का भ्रष्टाचार किया गया था और अब इसका परिणाम सबके सामने है। राज्यों को 50 प्रतिशत से भी कम राशि दी गई है।

मेरा प्रश्न है, अब नए मंत्री जी आए हैं।... * उम्मीद है कि नए मंत्री जी कुछ नया लाएंगे। लेकिन महोदया, 2014-15 के आंकड़े लगातार कम क्यों होते जा रहे हैं?

मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि जहां तक इन अनुदानों की सहायता का संबंध है, जो वनरोपण, वनों की कटाई और वनीकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है, मंत्री महोदय राज्य सरकारों से इस बात की जांच

[3*] अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

करें कि उपयोग की गई आवंटित राशि 50 प्रतिशत से कम क्यों है। कृपया इस पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान दें और ध्वस्तीकरण का काम जारी रखें ... [4*]

श्री प्रकाश जावड़ेकर: महोदया, हमारे साथी और माननीय सदस्य श्री पिनाकी मिश्रा ने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए हैं। मैं आपको दो-तीन और बहुत महत्वपूर्ण बातें बताना चाहता हूँ। हर कोई पुनः वनीकरण को लेकर परेशान है क्योंकि वनीकरण हमारा राष्ट्रीय कार्यक्रम है। लेकिन दुर्भाग्य से, पिछले दस वर्षों से, ऐसी कई चीजें हुईं जिससे वनीकरण को बढ़ावा नहीं मिला है। वे क्या हैं? पहला यह है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रतिपूरक वनरोपण और शुद्ध वर्तमान मूल्य के लिए खर्च की गई राशि का उपयोग नहीं किया गया है। श्री पिनाकी मिश्रा यह सुनकर आश्चर्यचकित होंगे कि वनीकरण के लिए दिया जाने वाला 35,000 करोड़ रुपये से अधिक पैसा बैंक में पड़ा हुआ है और उसका उपयोग नहीं किया गया है। इसलिए, हमने सी.ए.एम.पी.ए. विधेयक लाने का फैसला किया। मुझे उम्मीद है कि इस विधेयक के साथ, इस 38,000 करोड़ रुपये का 90 प्रतिशत पैसा सीधे राज्यों को दिया जाएगा। सभी दलों को इस बारे में सुनना चाहिए और इसका समर्थन करना चाहिए।

लेकिन कुछ लोग दलगत राजनीति कर रहे हैं। इससे अधिक महत्वपूर्ण यह है कि हमारी एक पूर्व मंत्री ने एक पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने बताया है कि कैसे ... *(कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया)*, प्रभाव लाया गया था। उन्होंने उल्लेख किया कि कैसे परियोजनाएं रुकी हुई थीं; कैसे परियोजनाओं को यह कहते हुए निर्देशित किया गया कि उनकी अनुमति नहीं दी जाएगी। इस तरह ऐसा लंबे समय तक चलता रहा। यही कारण है कि, आपने जिस परियोजना का उल्लेख किया, पॉस्को या शायद अन्य परियोजनाएं रुकी हुई थीं। पर्यावरण मंत्रालय को पहले के शासन द्वारा 'रोडब्लॉक मंत्रालय' के रूप में परिवर्तित कर दिया गया था। हमारा मानना है कि पर्यावरण संरक्षण और विकास दोनों एक साथ संभव हैं। हम ऐसा ही कर रहे हैं। इसलिए, हम पूर्व मंत्री द्वारा जारी पत्र ...[5**] का वर्णन कर रहे हैं, जहां उन्होंने कहा है किस तरह कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी उन पर

[4*] अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया ।

[5**] कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।।

परियोजनाओं को मंजूरी न देने का दबाव बना रहे थे। हम इस मामले को बहुत गंभीरता से देखने जा रहे हैं।… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: किसी का नाम नहीं लिया जाएगा।

... (*व्यवधान*)

श्री पिनाकी मिश्रा : महोदया, मैं माननीय मंत्री जी से सुनकर बहुत प्रसन्न हूं। पूरी व्यवस्था, निजी कराधान व्यवस्था जो पिछली सरकार में चल रही थी, अब उस पर लगाम लगा दी गई है और उसका पर्दाफाश क्रूरता से किया गया है। सौभाग्य से, पर्यावरणीय ब्लैकमेल, पर्यावरणीय जबरन वसूली, पर्यावरणीय लाभ-अर्जन और पर्यावरणीय निजी कराधान की पूरी राजनीति अब समाप्त हो गई है। हम इस देश की जनता के आभारी हैं कि इस देश की जनता ने इस भ्रष्ट शासन को समाप्त कर दिया है।

मैं अपना दूसरा अनुपूरक पूछूंगा। सी.ए.एम.पी.ए. फंड 2004 और 2015 के बीच पिछले दस वर्षों से रुका हुआ है। माननीय मंत्री महोदय, कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए शीघ्र कदम उठायेंगे कि सी.ए.एम.पी.ए. निधि यथाशीघ्र जारी की जाए? (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: आप प्रश्न पूछिए।

... (*व्यवधान*)

श्री पिनाकी मिश्रा: ओडिशा दस वर्षों से केंद्र से गुहार लगा रहा है और केंद्र उनकी मांग को अनसुनी कर रहा है ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ओडिशा में कांग्रेस विरोधी सरकार थी। वे हमें दंडित करते थे। इस तरह से एक संघीय ढांचे में, गैर-कांग्रेसी सरकारों को दस वर्ष के लिए दंडित किया गया था। क्या मंत्री जी कृपया अब शीघ्र कदम उठाएंगे? … (*व्यवधान*)

श्री प्रकाश जावड़ेकर: महोदया, यह वास्तव में चिंता का विषय है कि राज्यों के बीच अंतर किया गया था। ऐसे राज्य जो सत्तारूढ़ दल के राज्य थे, वे उनके पक्ष में थे और गुजरात और ओडिशा जैसे राज्यों के साथ भेदभाव

किया गया था। उन्होंने क्या किया? गुजरात में एक बिजली संयंत्र की स्थापना की जानी थी। यह एक राज्य बिजली बोर्ड संयंत्र था। पर्यावरण मंत्रालय ने पिछले दस वर्षों में सभी राज्य बिजली बोर्ड संयंत्रों को इसकी अनुमति दी थी। लेकिन गुजरात के मामले में, उन्होंने 100 करोड़ रुपये की प्रत्याभूति मांगी थी। यह बिना किसी कारण तथा बिना किसी आधार के था। फिर भी गुजरात सरकार ने 100 करोड़ रुपये दिए हैं। लेकिन जब मुझे इसके बारे में पता चला, तो हमने फाइलों को देखा और सभी बिजली परियोजनाओं की जांच की। हमने पाया कि कहीं भी 100 करोड़ रुपये की प्रत्याभूति नहीं मांगी गई थी और हमने गुजरात को प्रत्याभूति वापस कर दी क्योंकि यह गुजरात के लोगों की है। इस तरह के अत्याचार को कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम हम प्रक्रियाओं को व्यवस्थित कर रहे हैं। हमने ऑनलाइन प्रक्रियाओं को पारदर्शी बनाया है। हम और अधिक विशेषज्ञ मूल्यांकन समितियां लेकर आए हैं। हम अधिक मूल्यवान काम कर रहे हैं। उचित परिश्रम और पर्यावरणीय स्थितियों को और कठोर बनाने के बाद, हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि पर्यावरण संरक्षण और विकास दोनों साथ-साथ हों। … (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री मानशंकर निनामा: अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या यह सत्य है कि लाल चंदन ऊंची कीमत पर बिकने वाली लकड़ी है? ...(व्यवधान) क्या इसके वृक्षारोपण के लिए कोई मुहिम या योजना चलाई जा रही है? ...(व्यवधान) क्या लाल चन्दन का उत्पादन बढ़ाने के लिए कृषि मंत्रालय के समन्वय से कोई आकलन समिति बनाई गयी है?...(व्यवधान) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? यदि नहीं, तो उसके कारण बताएं?...(व्यवधान)

श्री प्रकाश जावड़ेकर: मैडम, यह एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। चन्दन और रक्त चन्दन, दोनों अपने देश के पौध हैं, दोनों की फसल यहां होती है, दुनिया में नहीं आती थी। ...(व्यवधान) आस्ट्रेलिया इसे यहां से लेकर गया। ...(व्यवधान) आज दुर्भाग्य यह है कि पहले की सरकार की नीतियों के कारण, क्योंकि उसे सीआईटीईएस में डाल दिया था,...(व्यवधान) आज स्थिति यह है कि हमें आस्ट्रेलिया से चन्दन इम्पोर्ट करना पड़ रहा है।

...(व्यवधान) ऐसे-ऐसे कानून बनाए।...(व्यवधान) हमने इसकी समीक्षा की है।...(व्यवधान) अब वहां की सरकारों के साथ...(व्यवधान) क्योंकि यह कडप्पा, चित्तूर एवं अन्य तीन-चार जिलों में ही अच्छा रक्त चन्दन होता है। उस लाल चन्दन की खेती बढ़े, प्राइवेट में भी बढ़े और उसकी उपज हो।...(व्यवधान) आज इसकी स्मगलिंग होती है, यह चाइना और जापान में जाता है। ...(व्यवधान) स्मगलिंग किया हुआ 12,000 टन रेड सैंडल्स पकड़ा गया है। ...(व्यवधान) हम उसकी नीलामी कर रहे हैं।...(व्यवधान) एक नीलामी हो गयी है, बाकी भी होगी।...(व्यवधान) लेकिन हमारा माल स्मगलिंग करके बाहर जाएगा और देश को उसका लाभ नहीं होगा, यह अच्छा नहीं है।...(व्यवधान) इसलिए हमने तय किया है कि रेड सैन्डल्स

और सैन्डल, दोनों का उत्पादन बढ़ेगा, किसानों को फायदा होगा, राज्यों को फायदा होगा और अपने देश का फायदा होगा।...(व्यवधान) यही हमारी नीति है। ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

डॉ. बूरा नरसैया गौड़: माननीय अध्यक्ष महोदया, सबसे पहले मैं पर्यावरण मंत्री को बधाई देना चाहूंगा कि वे वनों के साथ-साथ देश के विकास की दिशा में भी तेजी से काम कर रहे हैं।

महोदया, हमारे *पुराण* में लिखा है *वृक्षो रक्षति रक्षित:!* आज हमारे देश में वनावरण केवल 21 प्रतिशत है जबकि यह 33 प्रतिशत होना चाहिए था। इस संबंध में मैं यह बताना चाहता हूं कि हाल ही में गठित तेलंगाना राज्य की हमारी सरकार ने वनावरण को 23 प्रतिशत से बढ़ाकर 33 प्रतिशत करने की महत्वाकांक्षी योजना बनाई है। हमारी 230 करोड़ पौधे लगाने की एक महत्वाकांक्षी योजना है। मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, उसमें तेलंगाना का या वनावरण कितना कम है, इसका कोई उल्लेख नहीं है। मैं चाहता हूं कि मंत्री जी इसे ठीक करें।

दूसरा, क्या मंत्री उन राज्यों को विशेष प्रोत्साहन या हतोत्साहन देने जा रहे हैं जो अपने वनावरण को बढ़ाने के लिए महत्वाकांक्षी योजनाएं चला रहे हैं? मैं ऐसा इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि वनावरण केवल एक राज्य

तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका प्रभाव पूरे देश और पूरे विश्व पर भी पड़ेगा। आज स्थिति यह है कि उत्तर में बाढ़ आती है और दक्षिण में गंभीर सूखा पड़ता है। मैं इस पर माननीय मंत्री से जवाब चाहता हूं।

मध्याह्न 12.00 बजे

श्री प्रकाश जावड़ेकर: मैं दो सप्ताह पहले तेलंगाना में था और उनके मुख्यमंत्री ने एक बहुत ही महत्वाकांक्षी कार्यक्रम *हरिता हरम* की शुरुआत की है। ... (*व्यवधान*) पिछले सप्ताह मैं छत्तीसगढ़ में था। मैंने तीन कार्यक्रमों में भाग लिया था और मैं उनका हिस्सा बनकर बहुत खुश हूं। प्रत्येक राज्य आगे आ रहा है और वृक्षारोपण और वनावरण बढ़ाने का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू कर रहा है। ... (*व्यवधान*) इसे जन आंदोलन का रूप देना होगा और यही जमीनी स्तर पर हो रहा है। कई राज्य जैसे कर्नाटक से केरल तक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान इसमें शामिल हो रहे हैं और इसे राष्ट्रीय कार्यक्रम बना रहे हैं। ... (*व्यवधान*) हमारे प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने ग्रीन इंडिया, क्लीन इंडिया के लिए आवाज़ उठाई है [हिन्दी] स्वच्छ भारत - हरित भारत उसी को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं और सबका साथ, सबका विकास करने का लक्ष्य हमने रखा है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर[6*]

(तारांकित प्रश्न संख्या 307 से 322
अतारांकित प्रश्न संख्या 3451 से 3680)

6. * प्रश्नों और उनके उत्तरों के लिए ग्रंथालय में रखी गई वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण की मास्टर-प्रति का संदर्भ लें। प्रश्नों और उनके उत्तरों के संबंध में अधिक जानकारी हेतु आप इस लिंक पर जाए।

https://sansad.in/ls/hi/questions/questions-and-answers

इस लिंक के खुलने के बाद लोक सभा का चयन करें, फिर सत्र का चयन करें तत्पश्चात् फ़िल्टर में जाकर वाद-विवाद की तारीख का चयन करने के पश्चात् इसे लागू करें।

<u>अपराह्न 12.01 बजे</u>

सभा पटल पर रखे गए पत्र

माननीय अध्यक्ष: अब सभा पटल पर पत्र रखे जाएंगे।

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): श्री अर्जुन जेटली की ओर से, मैं राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 की धारा 3 के तहत 2015-2016 के लिए मध्यावधि व्यय ढांचागत विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 3031/16/15]

[हिन्दी]

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : महोदया, मैं आवश्यक वस्तु आधिनियम, 1955 की धारा 3 के अंतर्गत निम्नलिखित आधिसूचानाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :-

1) सा.का. नि. 240 (अ)/आव.व./गन्ना जो 31 मार्च, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो वर्ष 2013-2014 के कारखाना वार नियत खुदरा मूल्य के नियतन के बारे में है।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 3032/16/15]

2) आधिसूचना संख्या 1 (5)/2015-विशेष मूल्य सूचकांक जो 23 जून, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो वर्ष 2014-2015 के चालू गन्ना सीजन के लिए किसानों को बकाया राशि की संदायगी के बारे में है।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 3033/16/15]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. संजीव बालियान) : महोदया, श्री राधा मोहन सिंह की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) (एक) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 3034/16/15]

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रकाश जावड़ेकर): मैं सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी, चेन्नई के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल बायोडायवर्सियी अथॉरिटी, चेन्नई के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले चार विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 3035/16/15]

(3) (एक) जी.बी. पंत इंस्टिट्यूट ऑफ हिमालयन एनवॉयरनमेंट एण्ड डेवलपमेंट, अल्मोड़ा के वर्ष 2010-2011 से 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जी.बी. पंत इंस्टिट्यूट ऑफ हिमालयन एनवॉयरनमेंट एण्ड डेवलपमेंट,अल्मोड़ा के वर्ष 2010-2011 से 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 3036/16/15]

(4) (एक) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली के वर्ष 2013-2014, के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 3037/16/15]

(6) जैविक वस्तु अधिनियम, 2002 की धारा 38 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 1162(अ) जो 1 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित पशुओं की प्रजातियों, जो विलुप्त होने के कगार पर हैं, को दमन और दीव तथा दादर और नागर हवेली प्रशासन के लिए अधिसूचित किया गया है।

(दो) का.आ. 1633(अ) जो 18 जून, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 17 नवम्बर, 2008 की अधिसूचना सं. का.आ.2708(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(तीन) का.आ. 940(अ) जो 7 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो 23 अगस्त, 2007 की अधिसूचना सं. का.आ.1519(अ) को 31 मार्च, 2016 तक अथवा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा जी.एम. प्रसंस्कृत खाद्य के विनियमन के बारे में अगली अधिसूचना जारी किए जाने तक, जो भी पहले हो, आस्थगित किए जाने के बारे में है।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 3038/16/15]

(7) लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 की धारा 23 की उपधारा (3) के अंतर्गत पर्यावरण राहत निधि स्कीम, 2008 जो 13 जुलाई, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ.1878(अ) में प्रकाशित हुई थी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 3039/16/15]

(8) जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ.814(अ) जो 23 मार्च, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पुनर्गठन और उसमें उल्लिखित व्यक्तियों को सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से नामनिर्दिष्ट किए जाने के बारे में है।

(दो) का.आ. 1250(अ) जो 11 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 23 मार्च, 2015 की अधिसूचना सं. का.आ. 814(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 3040/16/15]

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री, पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (डॉ. महेश शर्मा): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) राष्ट्रीय संस्कृति निधि के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय संस्कृति निधि के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 3041/16/15]

[हिन्दी]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिभाई चौधरी): महोदया, मैं राष्ट्रीय अन्वेषण आभिकरण आधिनियम, 2008 की धारा 11 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित आधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) का. आ. 820(अ) जो 24 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राष्ट्रीय अन्वेषण आभिकरण आधिनियम, 2008 के अंतर्गत विशेष न्यायालय में पीठासीन होने के लिए जिला और सत्र न्यायाधीश, नई दिल्ली जिला, दिल्ली की नियुक्ति ''न्यायाधीश'' के रूप में किए जाने के बारे में है।

(2) का.आ. 1389(अ) जो 25 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राष्ट्रीय अन्वेषण आभिकरण मामलों के लिए विशेष लोक आभियोजकों की नियुक्ति किए जाने के बारे में है।

(3) का.आ. 1390(अ) जो 25 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राष्ट्रीय अन्वेषण आभिकरण मामलों के लिए विशेष लोक आभियोजकों की नियुक्ति किए जाने के बारे में है।

(4) का.आ. 1391(अ) जो 25 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राष्ट्रीय अन्वेषण आभिकरण मामलों के लिए विशेष लोक आभियोजकों की नियुक्ति किए जाने के बारे में है।

(5) का. आ. 1565(अ) जो 15 जून, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राष्ट्रीय अन्वेषण आभिकरण आधिनियम, 2008 के अंतर्गत विशेष न्यायालय में पीठासीन होने के लिए अर्णाकुलम में अपर जिला न्यायाधीश की नियुक्ति किए जाने के बारे में है।

(6) का. आ. 1566(अ) जो 15 जून, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राष्ट्रीय अन्वेषण आभिकरण आधिनियम, 2008 के अंतर्गत विशेष न्यायालय में पीठासीन होने के लिए चंडीगढ़ में वरिष्ठतम अपर सत्र न्यायाधीश की नियुक्ति किए जाने के बारे में है।

(7) का.आ. 1604(अ) जो 17 जून, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राष्ट्रीय अन्वेषण आभिकरण आधिनियम, 2008 के अंतर्गत विशेष न्यायालय में पीठासीन होने के लिए प्रधान न्यायिक आयुक्त, राँची की नियुक्ति न्यायाधीश के रूप में किए जाने के बारे में है।

(8) का.आ. 1833(अ) जो 7 जुलाई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राष्ट्रीय अन्वेषण आभिकरण आधिनियम, 2008 के अंतर्गत विशेष न्यायालय में पीठासीन होने के लिए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, लखनऊ की नियुक्ति न्यायाधीश के रूप में किए जाने के बारे में है।

(9) का. आ. 1862(अ) जो 10 जुलाई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राष्ट्रीय अन्वेषण आभिकरण आधिनियम, 2008 के अंतर्गत विशेष

न्यायालय में पीठासीन होने के लिए न्यायाधीश, सिटी व्यवहार न्यायालय और अपर सत्र न्यायाधीश,वृहण मुंबई की नियुक्ति न्यायाधीश के रूप में किए जाने के बारे में है।

(10) का.आ. 1863(अ) जो 10 जुलाई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राष्ट्रीय अन्वेषण आभिकरण आधिनियम, 2008 के अंतर्गत विशेष न्यायालय में पीठासीन होने के लिए द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देहरादून की नियुक्ति न्यायाधीश के रूप में किए जाने के बारे में है।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 3042/16/15]

[हिन्दी]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहनभाई कल्याणजीभाई कुंदरिया): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) कंपनी आधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) केरल एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, तिरुवनंतपुरमके वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) केरल एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, तिरुवनंतपुरमका वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 3043/16/15]

(ख) (एक) बिहार स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, पटनाके वर्ष1988-1989के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बिहार स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, पटनाका वर्ष1988-1989का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 3044/16/15]

(ग) (एक) पंजाब एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, चंडीगढ़के वर्ष 2013-2014के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) पंजाब एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, चंडीगढ़का वर्ष 2013-2014का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 3045/16/15]

(घ) (एक) महाराष्ट्र स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, मुंबईके वर्ष 2012-2013के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) महाराष्ट्र स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, मुंबईका वर्ष 2012-2013का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 3046/16/15]

(ड.) (एक) आंध्र प्रदेश स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, हैदराबादके वर्ष 2012-2013के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) आंध्र प्रदेश स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, हैदराबादका वर्ष 2012-2013का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 3047/16/15]

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले पाँच विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या एल.टी. 3047क/16/15]

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज गंगाराम अहीर): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एण्ड रिसर्च, अहमदाबाद के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 3048/16/15]

3) कंपनी आधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) बंगाल केमिकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कोलकाताके वर्ष 2012-2013 और 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बंगाल केमिकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कोलकाताका वर्ष 2012-2013 और 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 3049/16/15]

(5) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एण्ड रिसर्च, गुवाहाटी के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 3050/16/15]

(7) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एण्ड रिसर्च, हैदराबाद के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 3051/16/15]

भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी. एम. सिद्धेश्वर) : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

1) एंडू यूले एण्ड कंपनी लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 3052/16/15]

2) भारत पम्प्स एण्ड कम्प्रेसर्स लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 3053/16/15]

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मनोज सिंहा): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) रेल भूमि विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रेल भूमि विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 3054/16/15]

[हिन्दी]

सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णपाल गूर्जर): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) (एक) स्पास्टिक्स सोसायटी ऑफ तमिलनाडु, चेन्नई के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) स्पास्टिक्स सोसायटी ऑफ तमिलनाडु, चेन्नई के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 3055/16/15]

(3) (एक) श्री इंस्टिट्यूट फॉर मेंटली हैण्डीकैप्ड, समालकोट के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) श्री इंस्टिट्यूट फॉर मेंटली हैण्डीकैप्ड, समालकोट के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 3056/16/15]

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयंत सिन्हा): मैं संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए आयकर विभाग, राजस्व- प्रत्यक्ष कर विभाग में आंतरिक लेखापरीक्षा का कार्यकरण के संबंध में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक-संघ सरकार के प्रतिवेदन (2015 का संख्यांक 25) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 3057/16/15]

अपराह्न 12.02 बजे

राज्य सभा से संदेश

महासचिवः माननीय अध्यक्ष महोदया, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेश की सूचना सभा को देनी है:-

'मुझे लोक सभा को यह सुचना देने का निदेश हुआ है कि कि राज्य सभा ने सोमवार, 10 अगस्त, 2015 को हुई अपनी बैठक में मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक, 2014 के संबंध में निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकृत किया है जिसे लोक सभा द्वारा 18 दिसंबर, 2014 को पारित किया गया तथा 19 दिसंबर, 2014 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया:-

प्रस्ताव

"कि 18 दिसम्बर, 2014 को लोक सभा द्वारा पारित किए गए तथा 19 दिसम्बर, 2014 को राज्य सभा के पटल पर रखे गए मोटर यान अधिनियम, 1988 का और संशोधन करने वाले विधेयक को वापस लिए जाने की अनुमति दी जाए।'

2. तत्पश्चात् विधेयक वापस लिया गया।

अपराह्न 12.03 बजे

कार्य मंत्रणा समिति

21वां प्रतिवेदन

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): मैं कार्य मंत्रणा समिति का 21वां प्रतिवेदन सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.04 बजे

याचिका समिति

7वां और 8वां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री भगत सिंह कोश्यारी (नैनीताल - उधम सिंह नगर): महोदया, मैं याचिका समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :-

1) सेंटूर लेक व्यू होटल, श्रीनगर होटल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एचसीआई) में मजदूरी संशोधन के कार्यान्वयन के संबंध में सर्वश्री जावेद पंडित और हरीश से प्राप्त अभ्यावेदन के बारे में 7वां प्रतिवेदन।
2) केन्द्रीय कोयला आपूर्ति संगठन (सीसीएसओ) और भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल), धनबाद में अनुकंपा के आधार पर नियोजन के संबंध में श्री सौरभ कुमार से प्राप्त अभ्यावेदन के बारे में आठवां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.05 बजे

सभा पटल पर रखे गये पत्रों संबंधी समिति

चौथा प्रतिवेदन

[अनुवाद] **श्री चन्द्रकांत खैरे (औरंगाबाद):** महोदया, मैं सभा पटल पर रखे गये पत्रों संबंधी समिति (2014-2015) का चौथा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं। ... (*व्यवधान*)

———

अपराह्न 12.06 बजे

कृषि संबंधी स्थायी समिति

13वां से 16वां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री सत्यपाल सिंह (सम्भल) : अध्यक्ष महोदया, मैं कृषि संबंधी स्थायी समिति (16वीं लोक सभा) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:-

(1) कृषि मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग) की 'अनुदानों की मांगों (2014-2015)' संबंधी तीसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 13वां प्रतिवेदन।

(2) कृषि मंत्रालय (पशुपालन, डेयरी और मात्स्यिकी विभाग) की 'अनुदानों की मांगों (2014-2015)'संबंधी पांचवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 14वां प्रतिवेदन।

(3) कृषि मंत्रालय (कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग) की 'अनुदानों की मांगों (2014-2015)' संबंधी दूसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 15वां प्रतिवेदन।

(4) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का 'मेगा फूड पार्क्स' विषय संबंधी 16वां प्रतिवेदन।

... (व्यवधान)

अपराह्न 12.06 ½ बजे

ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति

7वां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

डॉ. किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर पूर्व) : अध्यक्ष महोदया, मैं 'ऊर्जा संरक्षण' के बार में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति (2014-15) का सातवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं। ... (व्यवधान)

अपराह्न 12.07 बजे

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति

(1) छठा प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री प्रहलाद जोशी (धारवाड़): मैं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2014-15)' के बारे में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति के पहले प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी छठा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं। … (*व्यवधान*)

(2) विवरण

श्री प्रह्लाद जोशी : महोदया, मैं पेट्रोलियम और प्रकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की-गई-अंतिम कार्रवाई दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) 'पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2012-13)' से संबंधित पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति के 11वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की -गई-कार्रवाई के बारे में समिति (15वीं लोक सभा) के 15वें प्रतिवेदन के अध्याय-एक और पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा आगे-की-गई-कार्रवाई दर्शाने वाला विवरण।

(2) 'तेल संस्थापनों की संरक्षा' के बारे में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति (15वीं लोक सभा) के 12वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में समिति (15वीं लोक सभा) के 17वें प्रतिवेदन के अध्याय-एक और पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा आगे की-गई-कार्रवाई दर्शाने वाला विवरण।

(3) 'पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2013-14)' से संबंधित पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति के 16वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में समिति (15वीं लोक सभा) के 21वें प्रतिवेदन के अध्याय-एक और पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा आगे की-गई-कार्रवाई दर्शाने वाला विवरण।

(4) 'दीर्घावधि क्रय नीति और कच्चे तेल का रणनीतिक भंडारण' के बारे में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति (15वीं लोक सभा) के 18वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों टिप्पणियों पर सरकार

द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में समिति (15वीं लोक सभा) के 22वें प्रतिवेदन के अध्याय-एक और पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा आगे की-गई-कार्रवाई दर्शाने वाला विवरण।

(5) 'तेल उद्योग विकास बोर्ड का कार्यकरण' के बारे में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति (15वीं लोक सभा) के 23वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में समिति (16वीं लोक सभा) के दूसरे प्रतिवेदन के अध्याय-एक और पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा आगे की-गई-कार्रवाई दर्शाने वाला विवरण। ... (*व्यवधान*)

अपराह्न 12.07 ½ बजे

रेल संबंधी स्थायी समिति

7वां प्रतिवेदन

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): महोदया, मैं 'रेल मंत्रालय की अनुदानों की मांगों' ---2014-15' के बारे में रेल संबंधी स्थायी समिति के तीसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में समिति का सातवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं। ... (*व्यवधान*)

———

अपराह्न 12.07 ¾ बजे

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति

87वां प्रतिवेदन

डॉ. हिना विजयकुमार गावीत (नंदूरबार): महोदया, मैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) का कार्यकरण के बारे में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति का 87वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं। ... (*व्यवधान*)

———

अपराह्न 12.08 बजे

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(1) (क) गृह मंत्रालय से संबंधित 'दिल्ली पुलिस का कार्यकरण' के बारे में गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के 176वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति। [7*]

[हिन्दी]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिभाई चौधरी): अध्यक्ष महोदया, मैं गृह मंत्रालय से संबंधित 'दिल्ली पुलिस का कार्यकरण' के बारे में गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के 176वें प्रतिवदेन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

[अनुवाद]

अपराह्न 12.08 ¼ बजे

(1) (ख) गृह मंत्रालय से संबंधित 'जम्मू और कश्मीर के प्रवासियों का पुनर्वास' के बारे में गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के 179वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई पर समिति के 184वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।[*]

[हिन्दी]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिभाई चौधरी): अध्यक्ष महोदया, मैं गृह मंत्रालय से संबंधित 'जम्मू और कश्मीर के प्रवासियों का पुनर्वास' के बारे में गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के 179वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट

[7.*] सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. क्रमशः 3058/16/15,3059/16/15 और 3060/16/15

सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई पर समिति के 184वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं। ... (व्यवधान)

[अनुवाद]

अपराह्न 12.08 ½ बजे

(3) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2015-16) के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति के 8वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[हिन्दी]

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (साध्वी निरंजन ज्योति): अध्यक्ष महोदया, मैं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2015-16) के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति के 8वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखती हूं। ... (व्यवधान)

अपराह्न 12.08 ¾ बजे

[अनुवाद]

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार(संशोधन) दूसरा विधेयक, 2015 पर संयुक्त समिति के प्रतिवेदन से संबंधित प्रस्ताव --समय का बढ़ाया जाना

[हिन्दी]

श्री एस.एस.अहलुवालिया (दार्जिलिंग): अध्यक्ष महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं-

कि "यह सभा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का आधिकार (संशोधन) दूसरा विधेयक, 2015 पर संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय अगले सत्र (अर्थात् शीतकालीन सत्र, 2015) के प्रथम सप्ताह के अंतिम दिवस तक समय बढ़ाया जाए।"

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि:

“कि यह सभा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (संशोधन) दूसरा विधेयक, 2015 पर संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय अगले सत्र (अर्थात् शीतकालीन सत्र, 2015) के प्रथम सप्ताह के अंतिम दिवस तक बढ़ाती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

... (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : मुलायम सिंह जी कुछ बोलना चाहते हैं। [अनुवाद] श्री जय प्रकाश नारायण यादव और श्री धर्मेन्द्र यादव, क्या आप कृपया अपनी सीटों पर वापस जाएंगे?

... (*व्यवधान*)

<u>अपराह्न 12.09 बजे</u>

इस समय श्री जय प्रकाश नारायण यादव और श्री धर्मेन्द्र यादव अपनी सीटों पर वापस चले गए।

माननीय अध्यक्ष: श्री जय प्रकाश नारायण यादव, कृपया आप बैठ जाइए। मैंने श्री मुलयम सिंह यादव को बुलाया है।

... (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: सदस्यगण, कृपया अपनी सीट पर बैठ जाएं।

... (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (आज़मगढ़) : अध्यक्ष महोदया, मैं कैसे बोलूं, आप पहले यह शोर बंद कराइये।...(व्यवधान)

महोदया, देश में जातीय आधार पर जनगणना होनी चाहिए...(व्यवधान) क्योंकि जातीय आधार पर ही आरक्षण हुआ है, लेकिन वह सभी के लिए अपर्याप्त है। पिछड़ों की जो जनसंख्या है...(व्यवधान) वह 47 परसैन्ट है और पिछड़ों को जो आरक्षण मिला है, वह 27 परसैन्ट मिला है...(व्यवधान) इसलिए आप सरकार को निर्देश

दीजिए कि जातीय आधार पर जनगणना कराई जाए और उन्हें जातीय आधार पर ही आरक्षण दिया जाए, तभी लोगों को न्याय मिलेगा।...(व्यवधान)

आप यह देखिये कि उत्तर प्रदेश में एक भी पिछड़ा, यादव सैक्रेटरी नहीं है।...(व्यवधान) इसलिए हमारी मांग है कि जातीय आधार पर जनगणना कराई जाए और उसी के अनुसार आरक्षण दिया जाए।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** श्री जय प्रकाश नारायण यादव जी, आप भी इस पर कुछ कहना चाहते हैं।

... (व्यवधान)

श्री जय प्रकाश नारायण यादव (बाँका) : अध्यक्ष महोदया, हमारी मांग है कि जातीय जनगणना प्रकाशित की जाए ...(व्यवधान) देश में पिछड़ों के साथ अन्याय हो रहा है। आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने यह प्रस्ताव रखा है कि जातीय जनगणना लागू की जाए।...(व्यवधान) इस आंकड़े से सरकार की चालाकी और नीयत स्पष्ट रूप से दीखती है।...(व्यवधान) सरकार को बताना चाहिए कि खेती-बाड़ी करने वाले, भिक्षावृत्ति करने वाले, कूड़ा बीनने वाले, दिहाड़ी मजदूरी करने वाले, भूमिहीन मजदूर और एक कमरे के कच्चे मकान में रहने वाले कौन सी जाति के लोग हैं।...(व्यवधान) आयकर देने वालों की जातिगत सामाजिक पृष्ठभूमि और उनकी आय के साधन को सार्वजनिक किया जाए...(व्यवधान) आज पिछड़ी जाति के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है...(व्यवधान) इसलिए जातीय जनगणना को प्रकाशित किया जाए। गांव का हर तीसरा परिवार भूमिहीन है...(व्यवधान) 75 प्रतिशत घरों की मासिक आमदनी पांच हजार रुपये से कम है...(व्यवधान) पांच परसैन्ट से ज्यादा परिवार मजदूरी करते हैं...(व्यवधान) देश में दस हजार रुपये से आधिक मासिक आमदनी वाले मात्र आठ फीसदी ग्रामीण परिवार हैं। ...(व्यवधान) इसलिए भारतीय जनता पार्टी और सरकार पिछड़ों के साथ अन्याय कर रही है। हम चाहते हैं कि जातीय जनगणना लागू की जाए...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया, मुलायम सिंह यादव जी ने इस बारे में प्रस्ताव किया है। लेकिन जानबूझकर पिछड़ों के साथ देश में अन्याय हो रहा है...(व्यवधान) उन्हें न्याय मिलना चाहिए। आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी,

आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी लगातार इस बारे में प्रश्न उठा रहे हैं। इस मुद्दे पर बिहार बंद किया गया था।...(व्यवधान) अब इसके लिए महाभारत होगा...(व्यवधान) जंग होगा, अब हम लोग रुकेंगे नहीं। इसलिए हमारी मांग है कि जातीय जनगणना को लागू किया जाए...(व्यवधान) आज इन लोगों की स्थिति बद से बदतर है। 23 फीसदी से ज्यादा घरों में 25 साल से ज्यादा उम्र का कोई शिक्षित व्यस्क नहीं है। इसलिए हम पिछड़ों और गरीबों के साथ अन्याय और धोखाधड़ी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ...(व्यवधान) आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने जातीय जनगणना का जो सवाल उठाया है, आदरणीय लालू जी और श्री नीतीश जी और अन्य पार्टियों ने भी जातीय जनगणना प्रकाशित करने का सवाल उठाया है। इसे संदूक में बंद क्यों किया गया है? यह हमारा संवैधानिक हक और आधिकार है। धन्यवाद।...(व्यवधान)

श्री केशव प्रसाद मौर्य (फूलपुर): माननीय अध्यक्ष महोदया, सबसे पहले तो ये कांग्रेस के लोग, जिनका ... * ये इस सदन के चार सौ से आधिक सदस्यों के आधिकार का हनन कर रहे हैं। ...(व्यवधान) लगातार ये व्यवधान डालने का काम कर रहे हैं। ...(व्यवधान) जो चार सौ से आधिक की संख्या में सदस्य हैं, उनकी बातों को देश की जनता तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा है। ...(व्यवधान) इसलिए मैं अपनी बात कहने से पहले आपसे मांग करता हूँ कि ... [8*]

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: यह रिकॉर्ड में नहीं जाएगा।

... (*व्यवधान*)*... **

[हिन्दी]

श्री केशव प्रसाद मौर्य (फूलपुर): माननीय अध्यक्ष जी, ये लगातार चुनाव दर चुनाव हार रहे हैं। ...(व्यवधान)

[8.] कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

माननीय अध्यक्ष **:** आप अपनी बात करें।

... (व्यवधान)

श्री केशव प्रसाद मौर्य : माननीय अध्यक्ष जी, हमें व्यवधान हो रहा है। ये बाधा डाल रहे हैं। ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: यह रिकॉर्ड में नहीं जाएगा।

... (*व्यवधान*)... [9*]

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : आप अपनी बात करें।

... (व्यवधान)

श्री केशव प्रसाद मौर्य : माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश में पंचायत के चुनाव होने वाले हैं, मैं उनके संबंध में अपनी बात रखना चाहता हूँ। ...(व्यवधान) अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश के अंदर पंचायत के चुनाव होने वाले हैं। ...(व्यवधान) लेकिन पंचायत के चुनाव अभी हुए नहीं हैं। ...(व्यवधान) बड़े पैमाने पर गड़बड़ियों की शिकायत आ रही है। ...(व्यवधान) मुझे सूचना मिल रही है। ...(व्यवधान) चाहे मेरा लोक सभा क्षेत्र और जनपद इलाहबाद हो, चाहे उत्तर प्रदेश के दूसरे जिले हों, बड़े पैमाने पर मतदाता सूचियों में जो असली नाम हैं, उनको काटा जा रहा है और फर्जी नाम दर्ज कराए जा रहे हैं। ...(व्यवधान) मतदान के समय बड़े पैमाने पर बूथ कब्जा करने की कोशिश की जाने वाली है। ...(व्यवधान) जनता का विश्वास, उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी खो चुकी है। ...(व्यवधान) जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है और निष्पक्ष चुनाव के लिए मैं मांग करता हूँ कि ऐसे सरकारी आधिकारी जो उत्तर प्रदेश के अंदर गड़बड़ी करने वाले हैं, उनको उस स्थान से हटाया जाए।

[9.] कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

...(व्यवधान) परिसीमन में आरक्षण में जो भेदभाव किया जा रहा है, वह भेदभाव से मुक्त आरक्षण होना चाहिए। ...(व्यवधान) किसी भी प्रकार से उत्तर प्रदेश के चुनाव को निष्पक्ष संपन्न कराने के लिए मैं आपके माध्यम से मांग करूंगा कि केंद्रीय मंत्रियों की तैनाती की जाए और इन कांग्रेसियों के विरूद्ध जिन्होंने सदन का समय बर्बाद किया, इस देश की जनता का समय बर्बाद किया, इनको दंडित करने की मांग करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** श्री भैरों प्रसाद मिश्र, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल और श्री पी.पी.चौधरी को श्री केशव प्रसाद मौर्य द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[अनुवाद]

श्री पी.आर. सेंथिलनाथन (शिवगंगा): माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं इस अवसर के लिए आपको और हमारी प्रिय नेता पुरैची थलाइवी अम्मा को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। ... (*व्यवधान*)

तमिलनाडु के मेरे सिवगंगा निर्वाचन क्षेत्र में, थिरुमयम गांव में भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड संयंत्र (पावर प्लांट पाईपिंग यूनिट) की स्थापना 350 करोड़ रुपये की निवेश राशि के साथ की गई थी, जिसमें 700 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं और 20,000 मीट्रिक टन महत्वपूर्ण पाईपिंग घटकों का उत्पादन लक्ष्य निर्धारित किया गया है और 500 करोड़ रुपये के कारोबार वाले 20,000 मीट्रिक टन महत्वपूर्ण पाइपिंग घटकों के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया था। इसका संचालन वर्ष 2012 में शुरू किया गया था। यह शिवगंगा निर्वाचन क्षेत्र में कार्यरत कुछ प्रमुख उद्योगों में से एक है। … (*व्यवधान*)

शिवगंगा भारत के सबसे पिछड़े जिलों में से एक है। यहाँ कृषि और संबद्ध गतिविधियां सीमित हैं। इस पृष्ठभूमि में इस बात की उम्मीद की गई थी कि यह इकाई स्थानीय लोगों, विशेष रूप से युवा स्नातकों को अधिक रोजगार के अवसर प्रदान करेगी। लेकिन भूमि अधिग्रहण के समय बीएचईएल प्रबंधन द्वारा रोजगार के

अवसरों को लेकर दिया गया आश्वासन अब तक पूरा नहीं हुआ है, और स्थानीय लोगों को बीएचईएल में कोई रोजगार नहीं मिला है।... (*व्यवधान*)

यह भी अपेक्षित था कि बीएचईएल, तिरुमयम इकाई कई लघु निर्माण उद्योगों के लिए मार्ग प्रशस्त करेगी, जो आवश्यक स्पेयर पार्ट्स की आपूर्ति करेंगे। लेकिन वह भी नहीं हुआ।। ... (*व्यवधान*)

इसलिए, मैं केंद्र सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि स्थानीय लोगों के लिए उचित कार्रवाई की जाए ताकि उन्हें बी.एच.ई.एल. तिरुमयम इकाई से रोजगार के अवसर प्राप्त हों। ... (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री प्रहलाद सिंह पटेल (दमोह) : अध्यक्ष महोदया, मैं बुंदेलखण्ड के उस पेयजल संकट से जूझते हुए क्षेत्र के बारे में सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। ...(व्यवधान) देश जानता है कि अभी बुंदेलखण्ड में वर्षा कम हो रही है। ...(व्यवधान) टीकमगढ़, छत्तरपुर, दमोह आदि इन तमाम जगहों में वर्षा कम है। ...(व्यवधान) लगातार सौ वर्षों का रिकार्ड है कि बुंदेलखण्ड में वर्षा कम होती है। ...(व्यवधान) लेकिन प्रकृति ने वहां पर अर्जुनकुंड, भीमकुंड और पातालगंगा नाम के स्त्रोत दिए हैं। ...(व्यवधान) वहाँ परमारकालीन तालाबों की बड़ी व्यवस्था है।...(व्यवधान) मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूँ कि वर्षा कम होने के कारण पेयजल का संकट आने वाला है।...(व्यवधान) इसलिए भीमकुंड, अर्जुनकुंड के जलस्रोत का मनुष्यों के पीने के लिए तथा खेती के लिए उपयोग किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि हम जल्दी कोई कार्य योजना बनाएं।...(व्यवधान)

दूसरा, वह बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है, ये मेरे चुनाव क्षेत्र में आते हैं, अगर पर्यटन विभाग उनको खजुराहो के सर्किल के साथ शामिल कर ले तो निश्चित रूप से लोग वहाँ जाना पसंद करेंगे।...(व्यवधान) महोदया, आपने अवसर दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री सुधीर गुप्ता, श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री प्रहलाद सिंह पटेल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[अनुवाद]

शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वेंकैया नायडू): महोदया, लोगों ने हमें भारी जनादेश दिया है। केवल बीस सदस्य पूरे सदन पर अपनी इच्छा नहीं थोप सकते। यह क्या हो रहा है? … (*व्यवधान*) यह अत्यंत आपत्तिजनक और अशोभनीय आचरण है। आप उनके नाम लें, महोदया। उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जानी चाहिए।। … (*व्यवधान*) [हिन्दी] यह क्या है? ...(व्यवधान) हर एक दिन यह क्या चल रहा है?...(व्यवधान) हद होती है।... [अनुवाद] धैर्य की भी एक सीमा होती है। … (व्यवधान) वे अध्यक्ष पर हमला कर रहे हैं, उनके आवास तक जा रहे हैं, उन पर निराधार आरोप लगा रहे हैं, अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं और अध्यक्ष के सामने तख्तियाँ लगा रहे हैं। यह सब क्या है? वे देश को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। वे जबरन एक स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं। ... (*व्यवधान*) [हिन्दी] यह नारा देने से क्या होगा? ...(व्यवधान) पूरी दुनिया प्रधानमंत्री की प्रशंसा कर रही है।...(व्यवधान) बीस लोगों के नारा देने से क्या होगा?...(व्यवधान) लोगों ने अपना मैनडेट दे दिया है।...(व्यवधान) आपको बुरी तरह से हराया। ...(व्यवधान) [अनुवाद] लोगों ने आपको अस्वीकार कर दिया है। आप विपक्ष का दर्जा तक प्राप्त नहीं कर सके। … (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : पूरा हिन्दुस्तान उनको देख रहा है।

... (व्यवधान)

[अनुवाद] **माननीय अध्यक्ष:** आपको पूरा भारत देश देख रहा है। मैंने उन्हें आपको टीवी पर दिखाने के लिए कहा है। सभी को टीवी पर दिखाएं। मैं लोक सभा टीवी से उन सभी को टेलीविजन पर दिखाने का अनुरोध कर

रही हूं। यह व्यवहार करने का उचित तरीका नहीं है। आप सभी को टीवी पर आना चाहिए। लेकिन मैं सदन को स्थगित नहीं करूंगी। मुझे खेद है।

... (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: श्री थुपस्तान चेवांग अब आप बोल सकते हैं।

... (*व्यवधान*)

श्री थुपस्तान चेवांग (लद्दाख): मैं सरकार का ध्यान जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख क्षेत्र में उत्पन्न गंभीर स्थिति की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ, जहाँ लगातार 20 दिनों से जारी भारी वर्षा और बादल फटने की घटनाओं ने सामान्य जीवन को पूरी तरह से ठप कर दिया है। ... (व्यवधान) लेह और कारगिल के लोग प्रकृति के प्रकोप के कारण जीवन और विनाश के खतरे में जी रहे हैं तथा वे अपनी रातें अपने घरों से बाहर उन स्थानों पर बिताने को मजबूर हैं, जिन्हें वे सुरक्षित समझते हैं। ... (व्यवधान) वर्ष 2010 में आई बाढ़ से हुई मौत और विनाश की यादें अब भी लोगों के मन में ताजा हैं, जिसके कारण वे कोई जोखिम नहीं उठा रहे हैं। संभवतः इसी सतर्कता के कारण अब तक केवल तीन मौतों को पुष्टि की गई हैं। ... (व्यवधान) हालांकि, चल और अचल संपत्तियों तथा आवश्यक सेवाओं जैसे सिंचाई नहरों, पेयजल आपूर्ति, सड़कों और पुलों को हुआ नुकसान 2010 की बाढ़ की तुलना में कहीं अधिक व्यापक है। ... (व्यवधान) राहत और पुनर्वास कार्यों को शीघ्र प्रदान करने की तत्काल आवश्यकता है, जिसके लिए भारत सरकार को राहत पैकेज को मंजूरी देनी चाहिए।

मैं केंद्र सरकार से अनुरोध करता हूँ कि वह तुरंत अधिकारियों की एक टीम को स्थिति का आकलन करने के लिए भेजे और अंतिम रिपोर्ट की प्रतीक्षा किए बिना आवश्यक राहत एवं पुनर्वास कार्यों के लिए धनराशि स्वीकृत करे। ... (व्यवधान) प्र प्रमुख भूस्खलन के कारण कई स्थानों पर सिंधु नदी का प्रवाह अवरुद्ध हो गया है, जिससे पानी जमा हो गया है, जो एक गंभीर खतरा पैदा कर सकता है। यदि इसे तुरंत हल करने के लिए

आवश्यक कदम नहीं उठाए गए तो विशेष रूप से बैमा गाँव, जहाँ शुद्ध आर्य नस्ल के आदिवासी निवास करते हैं, वहाँ जल अवरोध का संकट अत्यंत विनाशकारी साबित हो सकता है। ... (व्यवधान)

एनडीएमए की एक टीम को साइट पर स्थिति का आकलन करने के लिए ताकि फुक्तल जैसी स्थिति उत्पन्न होने से रोकी जा सके। ... (व्यवधान) मैं भारत सरकार से आग्रह करता हूँ कि इस मुद्दे को अत्यंत गंभीरता से ले और त्वरित कार्रवाई करे। [हिन्दी] वहाँ लद्दाख रीजन में बहुत ही बुरी हालत है। मैं कांग्रेस के साथियों से रिक्वैस्ट करना चाहता हूँ कि जो लोग इतनी मुसीबत में हैं, उनकी बातों को कम से कम यहाँ पर हमें उठाने का मौका दें। मैं दो हफ्ते से वहाँ फ्लड में जूझ रहा हूँ। वहाँ के लोग मर रहे हैं और इनको कोई परवाह नहीं है। मैं भारत सरकार से रिक्वैस्ट करना चाहता हूँ कि लद्दाख की हालत को देखते हुए वहाँ सैन्ट्रल टीम भेजी जाए, वहाँ पर रिलीफ अमाउंट सैंक्शन किया जाए। 2010 का जो फ्लड आया जिससे डैमेज हुआ, उससे वहाँ की हालत बहुत खराब है। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ कि भारत सरकार इमीडियेटली वहाँ रिलीफ पैकेज सैंक्शन करे और एक सैन्ट्रल टीम वहाँ पर भेजे ताकि इस तकलीफ में वहाँ के लोगों की सहायता हो सके। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : ज़रूर ज़रूर, यह सब टीवी पर दिखाएँ। लोक सभा टीवी वाले ज़रूर यह सब टीवी पर दिखाएँ। लोगों को देखने दो कि किस प्रकार का व्यवहार सांसदों का है। चेयर को टीवी पर दिखने का कोई शौक नहीं है। आप ज़रूर चेयर को ढकिए और लोगों को देखने दीजिए। पूरे हिन्दुस्तान के लोगों को देखने दीजिए। मेरा रिक्वैस्ट है कि [अनुवाद] लोक सभा टीवी पर इन सभी चीजों को दिखाना चाहिए। यह कोई तरीका नहीं है । [हिन्दी] 40 लोग मिलकर 440 लोगों का आधिकार मार रहे हैं। यह प्रजातंत्र की हत्या है। यह प्रजातंत्र नहीं है। ज़रूर आपको टीवी पर दिखना चाहिए। टीवी पर ज़रूर दिखें और लोगों को दिखाइए। ज़रूर पूरे हिन्दुस्तान को दिखाएँगे। ज़रूर दिखाइए। पूरा हिन्दुस्तान देखे कि कैसे इर्रिस्पॉन्सिबल लोग हैं। 440 से ज्यादा लोग यहाँ पर हैं जो बात करना चाहते हैं लेकिन केवल 40-50 लोग पूरे सदन को रोक रहे हैं। [अनुवाद] उन्हें देखने दें। सभी लोगों को यह देखना चाहिए। यह वास्तव में सही रहेगा। यह बहुत अच्छा होगा।

[10]**श्री आर. पार्थिबन (ठेनी):** माननीय अध्यक्ष महोदया। मैं तमिलनाडु की माननीय मुख्यमंत्री डॉ. पुरात्सिथलाइवी अम्मा को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मुझे इस संसद का सदस्य बनाया। मैं अपने थेनी संसदीय क्षेत्र के लोगों का भी धन्यवाद करता हूं। थेनी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, जो चारों ओर पहाड़ों से घिरा हुआ है, पश्चिमी घाट की तलहटी में स्थित है। इस क्षेत्र में चाय, कॉफी, काली मिर्च, इलायची, लौंग और अन्य फसलें उगाई जाती हैं। इसके अलावा, आम, कटहल, संतरा, सेब और नाशपाती जैसे फल भी बड़े पैमाने पर इस क्षेत्र में उत्पन्न किए जाते हैं। 18वीं शताब्दी में, तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने इन पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि कार्यों में संलग्न करने के लिए मुख्य रूप से श्रमिकों की बस्तियाँ बसाई थी। वर्तमान में, ये क्षेत्र ज्यादातर निजी संस्थाओं के नियंत्रण में हैं। इन क्षेत्रों में रहने वाले लोग, विशेष रूप से अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग, बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। हालाँकि, तमिलनाडु सरकार माननीय अम्मा के सक्षम नेतृत्व में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को बुनियादी सुविधाएँ प्रदान करने के लिए प्रयासरत है, लेकिन वन विभाग परियोजनाओं के क्रियान्वयन में अनावश्यक बाधाएँ उत्पन्न करता है। अतः, मैं केंद्र सरकार से आग्रह करता हूँ कि तमिलनाडु सरकार द्वारा इस क्षेत्र में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के कल्याण हेतु किए जा रहे कार्यों को आवश्यक छूट प्रदान की जाए। धन्यवाद।

[10.] मूलतः तमिल में दिए गए भाषण का अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[हिन्दी]

डॉ. भारतीबेन डी. श्याल (भावनगर) : अध्यक्ष महोदया, मेरे संसदीय क्षेत्र भावनगर का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठाने का आपने मुझे मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। मेरे संसदीय क्षेत्र भावनगर से मुम्बई के लिए केवल एक ही जेट एयरवेज़ की फ्लाइट है। कई बार टैक्नीकल प्रोब्लम्स की वजह से यह फ्लाइट भी बन्द कर दी जाती है। जबकि यहां पर यात्रियों की हमेशा वेटिंग बनी रहती है, क्योंकि, भावनगर में एशिया का सबसे बड़ा शिप ब्रेकिंग यार्ड है। पालिताना जैन धर्म का एक बहुत बड़ा तीर्थस्थल है और कई बड़े उद्योग यहां पर स्थापित हैं, जिससे व्यापारी वर्ग के साथ-साथ आसपास के जिलों बोटाद व अमरेली के नागरिकों को भी मुम्बई या अन्य जगह जाने के लिए वाया भावनगर जाना पड़ता है।

यहां पर केवल एक ही जेट एयरवेज़ की फ्लाइट होने से कम्पीटीशन के अभाव में बहुत महंगी टिकटें भी मिलती हैं, जिससे यात्रियों का शोषण भी होता है। जेट एयरवेज़ कई बार छोटा प्लेन लगा देती है। अब उन्होंने इस फ्लाइट का समय बदलकर भावनगर से 12.45 बजे कर दिया है। इस समयानुसार कैसे कोई अपना कार्य करके वापस अपने स्थान पर आ सकता है। इसके प्रस्थान का समय सुबह सात से आठ बजे के बीच होना चाहिए।

मेरा आपके माध्यम से माननीय सिविल एविएशन मिनिस्टर से अनुरोध है कि भावनगर से मुम्बई के लिए एक इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट सुबह एवं सायं अप-डाउन चलाने और जेट एयरवेज़ के परिचालन का समय परिवर्तित करवाने की कृपा करें। धन्यवाद।

[अनुवाद]

[11*]**श्री बी.एस.येदियुरप्पा (शिवमोगा):** माननीय अध्यक्ष महोदया, इस वर्ष कर्नाटक में पिछले 25 वर्षों में सबसे खराब सूखा देखा गया है। लगभग 130 तालुकों के लोग सूखे से बुरी तरह प्रभावित हुए थे। अपर्याप्त वर्षा के कारण कृष्णा बेसिन में पर्याप्त पानी नहीं है। आलमत्ती बांध जिसकी भंडारण क्षमता 123 टी.एम.सी. है, उसमें पिछले वर्ष 102 टी.एम.सी. पानी था। अब इस बांध में केवल 58 टी.एम.सी. पानी है। पिछले वर्ष राज्य के सभी बांधों में 297 टी.एम.सी. पानी था। लेकिन अब उनके पास 201 टी.एम.सी पानी है।

कावेरी बेसिन के जलाशयों जैसे हेमावती, कृष्णा राजा सागर (के.आर.एस.), काबिनी और हरंगी जैसे जलाशयों की भंडारण क्षमता 115 टी.एम.सी. है। पिछले वर्ष इन जलाशयों में 93 टीएमसी पानी था, लेकिन अब इनमें केवल 84 टीएमसी पानी बचा है। पिछले वर्ष इसी समय हेमवती, हरंगी, कबिनी जलाशय लगभग भरे हुए थे और 43 टी.एम.सी. पानी तमिलनाडु को छोड़ा गया था। इस वर्ष भी इन जलाशयों में पानी की कमी है तथा 39 टी.एम.सी. पानी तमिलनाडु में छोड़ा गया था।

वर्ष 2015-16 के लिए खरीफ, रबी और ग्रीष्मकालीन मौसम में कृषि के लिए लक्षित क्षेत्र 111.37 लाख हेक्टेयर हैं, जिसमें 31.71 लाख हेक्टेयर सिंचित भूमि और 71.66 लाख हेक्टेयर वर्षा आधारित भूमि शामिल हैं। हालांकि, अब तक केवल 9.07 लाख हेक्टेयर सिंचित भूमि और 30.05 लाख हेक्टेयर वर्षा आधारित भूमि में बुआई का कार्य हुआ है। पिछले एक महीने में कम वर्षा के कारण सूखा क्षेत्र में 80% फसलें नष्ट हो गई हैं जिसके कारण किसान बहुत कष्ट का सामना कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने बीज और उर्वरकों पर भारी राशि खर्च की थी।

राज्य के कई हिस्सों में पीने का पानी और मवेशियों के लिए चारा उपलब्ध नहीं है।

---

11. * मूलतः कन्नड़ में दिए गए भाषण का अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे कार्यकाल के दौरान मैंने कृषि ऋण माफ करने के लिए कदम उठाए। मैं राज्य सरकार से इसी तरह के कदम उठाने और सहकारी बैंकों द्वारा संवितरित कृषि ऋण को माफ करने और राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा संवितरित कृषि ऋण पर ब्याज को माफ करने का आग्रह करता हूं।

सूखे के कारण अंगूर, नारियल, अनार, कॉफी सहित बागवानी फसलों के नष्ट होने से किसान बेहाल हैं। सूखा भूमि किसान भी फसल बीमा योजनाओं से लाभान्वित नहीं हो पा रहे हैं। किसान अत्यंत दयनीय स्थिति में जी रहे हैं।

इसलिए, मैं सरकार से प्रत्येक किसान को बीज, उर्वरक पर किए गए खर्चों को पूरा करने के लिए प्रति हेक्टेयर 20,000 रुपये प्रदान करें और कॉफी, अंगूर, नारियल और अनार की फसल नुकसान के लिए इन उत्पादकों को बेहतर मुआवजा प्रदान करें। साथ ही, गन्ना किसानों के बकाए की तुरंत भुगतान की आवश्यकता है।

माननीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी ने अंगूर और अनार उत्पादकों की मदद के लिए एक विशेष पैकेज की घोषणा की है। इस पैकेज के तहत, केंद्र सरकार 75% और राज्य सरकार को कुल मुआवजे का 25% योगदान करने का अनुरोध किया गया था। हालांकि, कर्नाटक सरकार इस मामले में कोई कदम उठाने के लिए इच्छुक नहीं है। यह कर्नाटक के लोगों के साथ कांग्रेस सरकार द्वारा किया गया अन्याय है।

इन सभी कारणों से किसानों द्वारा आत्महत्याओं की संख्या बढ़ी है। पिछले 3-4 महीनों में 250 आत्महत्या के मामले सामने आए हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब मैं सदन में इस गंभीर सूखा संकट को उठाता हूँ, तो कांग्रेस के मेरे सहयोगी स्थिति की गंभीरता को समझे बिना प्रदर्शन और धरने कर रहे हैं। सदस्यों का यह रवैया उनकी गैर-जिम्मेदाराना प्रकृति को दर्शाता है और मैं उनके व्यवहार की निंदा करता हूँ, साथ ही उनके द्वारा संवेदनशील और गंभीर मुद्दों के प्रति लापरवाही को भी आलोचना करता हूँ। धन्यवाद।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : कुमारी शोभा कारान्दलाजे को श्री बी. एस. येदियुरप्पा के साथ सम्बद्ध होने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री शरद त्रिपाठी (संत कबीर नगर): अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो मुझे खेद के साथ यह कहना पड़ रहा है कि जो कांग्रेस पार्टी पहले कभी भ्रष्टाचार के लिए जानी जाती थी, वह आज लोकतांत्रिक अत्याचार पर उतारू होकर आपके धैर्य की परीक्षा ले रही है।...(व्यवधान) इसकी मैं निंदा करता हूं।...(व्यवधान)

अध्यक्ष जी, सांसद क्षेत्र विकास निधि को संचालित करने के लिए केन्द्र के दिशा-निर्देश होने के कारण होता यह है कि अलग-अलग राज्यों में स्थानीय स्तर पर जन समस्याएं अलग-अलग हैं।...(व्यवधान) उत्तराखण्ड, नागालैंड, उत्तर प्रदेश इत्यादि राज्यों में स्थानीय स्तर पर सांसद अपनी विकास निधि से त्वरित विकास कार्यों हेतु किस मद में धन आवंटित करे, इसकी परिभाषा करने के लिए भारत सरकार के सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा एक ही गाइडलाइन पूरे देश के लिए लागू है।...(व्यवधान)

महोदया, मेरी आपके माध्यम से यह मांग है कि आप केन्द्र सरकार को निर्देश दे कि एक ऐसी गाइडलाइन बनाई जाए, जो स्थानीय स्तर की समस्याओं का निराकरण करने के लिए, वहां के स्थानीय सांसदों के अनुरूप हो।...(व्यवधान) स्थानीय सांसद अगर चाहें कि इसमें तत्काल धन आवंटित करके वे वहां की समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं, तो उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाकर स्थानीय स्तर पर उसके आवंटन की व्यवस्था कराने के लिए सरकार को निदेरशित करने की कृपा करें।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल एवं श्री सुधीर गुप्ता को श्री शरद त्रिपाठी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री राजन विचारे (ठाणे) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन का ध्यान एक बड़े ही महत्वपूर्ण विषय की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं, जिसका संबंध मेरे संसदीय क्षेत्र ठाणे से है।...(व्यवधान) ठाणे स्टेशन का ऐतिहासिक

महत्व है, क्योंकि यहां से देश की पहली ट्रेन चली थी।...(व्यवधान) ठाणे शहर की आबादी लगभग बीस लाख है एवं ठाणे रेलवे स्टेशन की गिनती देश के सबसे ज्यादा व्यस्त स्टेशनों में की जाती है।...(व्यवधान) इस स्टेशन से रोजाना साढ़े छः लाख यात्री आना-जाना करते हैं एवं ज्यादा भीड़ होने के कारण यात्रियों को काफी परेशानियां उठानी पड़ती हैं।...(व्यवधान) ठाणे एवं मुलुंड स्टेशनों के बीच नया विस्तारित रेलवे स्टेशन बन जाने से ठाणे स्टेशन का बोझ थोड़ा कम हो जाएगा।..(व्यवधान) माननीय रेल मंत्री सुरेश प्रभु जी ठाणे आए थे, तब उन्होंने इसके लिए अपनी सहमति भी दी थी।...(व्यवधान) महाराष्ट्र सरकार के अधीन 18 एकड़ जमीन में से 10 एकड़ जमीन में मेंटल अस्पताल है।...(व्यवधान) नए विस्तारित स्टेशन को बनाने के लिए यदि राज्य सरकार बाकी बची जमीन दे तो इससे लाखों यात्रों को सहूलियत होगी।...(व्यवधान)

महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि कृपया करके मेंटल अस्पताल के पास जो आतिरिक्त खाली जमीन पड़ी है, उस पर ठाणे एवं मुलुंड स्टेशन के बीच एक नया विस्तारित रेलवे स्टेशन बनाए जाने का निर्देश दें।...(व्यवधान)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : श्री श्रीरंग आप्पा बारणे, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल एवं प्रो. रविन्द्र विश्वनाथ गायकवाड़ को श्री राजन विचारे द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[अनुवाद]

श्री भीमराव बी. पाटिल (जहीराबाद): माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से इस सदन का ध्यान तेलंगाना के मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र जहीराबाद में नियमित और अवरोध रहित इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए उचित कदम उठाने की अत्यंत आवश्यकता की ओर आकर्षित करना। ... (*व्यवधान*) एक ओर जहां भारत सरकार ग्रामीण भारत के डिजिटलीकरण के प्रयास कर रही है, वहीं दूसरी ओर, बीएसएनएल अधिकारियों की लापरवाही के कारण टावरों का उचित रख-रखाव नहीं किया जा रहा है। ... (*व्यवधान*)

आजकल, मंडल राजस्व कार्यालय, पंचायत कार्यालय, अन्य सभी कार्यालय और स्कूल इंटरनेट कनेक्टिविटी पर निर्भर हैं। ... (*व्यवधान*) लेकिन उन्हें मुश्किल से दिन में दो से तीन घंटे के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी मिल रही है या कभी-कभी कनेक्शन इतना खराब होता है कि लोग पूरे एक-दो दिन तक इंटरनेट का उपयोग नहीं कर पाते। ... (*व्यवधान*) ग्रामीण भारत इस समस्या के कारण बहुत कठिनाइयों का सामना कर रहा है, जो बैटरी और इन्वर्टर की अनुपलब्धता के कारण उत्पन्न हो रही हैं। ... (*व्यवधान*)

इसलिए, मैं माननीय संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री से, आपके माध्यम से, निवेदन करता हूँ कि हमारे क्षेत्र में नियमित और अवरोध रहित इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं, जिसके लिए मेरे संसदीय क्षेत्र के लोग अत्यधिक आभारी होंगे।। ... (*व्यवधान*)

श्री पी. नागराजन (कोयम्बटूर): अध्यक्ष महोदया, हमारी प्रिय नेता *पुराची थलाइवी अम्मा* तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से मैं तमिलनाडु में अपने संसदीय क्षेत्र कोयम्बटूर से संबंधित एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूं। ... (*व्यवधान*) कोयम्बटूर जिला लघु उद्योग क्षेत्र में सबसे अधिक पंप और स्पेयर पार्ट्स का उत्पादन करता है। मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में छूट के लिए पूर्ववर्ती सरकार द्वारा लगाई गई कुछ शर्तों में छूट देने की तत्काल आवश्यकता है।

टैरिफ सं. 8413 पानी उठाने वाले बिजली चालित पंपों को संदर्भित करता है जो कृषि क्षेत्र में अत्यंत आवश्यक हैं। ... (*व्यवधान*) एक कृषि-आधारित देश के रूप में, हमें कृषकों और छोटे उद्योगों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, जो छोटे और सीमांत किसानों की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने की आवश्यकता है।... (*व्यवधान*)

2006 की अधिसूचना सं. 10 के आधार पर, एस.एस.आई. छूट केवल तभी उपलब्ध होगी जब बी.आई.एस. मानकों को पूरा किया जायेगा। इस बी.आई.एस. लाइसेंस शुल्क की राशि स्वयं 4 लाख रुपये प्रति वर्ष है। ... (*व्यवधान*) जबकि अधिकांश एस.एस.आई. इकाइयाँ जो पंप और स्पेयर बनाती हैं, उनका वार्षिक कारोबार 50 लाख रुपये से कम है और ऐसे सूक्ष्म उद्योग मालिकों का मुनाफा प्रति वर्ष 2 से 3 लाख रुपये से

अधिक नहीं होता। ...(*व्यवधान*) इस वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए, हमारी माननीय पुरात्ची थलाइवी अम्मा ने विशेष रूप से कोयम्बटूर में बहुत सारी सब्सिडी दी। ... (*व्यवधान*)

केंद्र सरकार से निवेदन है कि 2006 की अधिसूचना 10 को वापस लिया जाए। ... (व्यवधान) अतः, मैं केंद्र सरकार से अनुरोध करता हूँ कि वह सूक्ष्म उद्योगों केंद्रीय उत्पाद शुल्क से छूट दे और उनकी सहायता करे। ... (व्यवधान) धन्यवाद, महोदया।

श्रीमती के. मरागाथम (कांचीपुरम): अध्यक्ष महोदया, धन्यवाद। चेन्नई और पुडुचेरी को जोड़ने वाली ई.सी.आर. राजमार्ग सड़क 160 किलोमीटर लंबी है, लेकिन यहां रोजाना होने वाली दुर्घटनाएं चिंता का विषय है। ... (*व्यवधान*)

यहाँ भारी संख्या में बसें, निजी टैंकर, लॉरी और दो पहिया वाहन चलते हैं। महोदया, कालपक्कम से तीन किलोमीटर दूर पलार डेम के पास वायलौर में प्रतिदिन कई दुर्घटनाएँ होती हैं। ...(*व्यवधान*) यहाँ एक सरकारी स्कूल भी है, जहाँ सड़क पार करते समय कई बच्चे अपनी जान को खतरे में डालते हैं। यह हाईवे रोड होने के कारण उनके सिर पर चोटें लग जाती हैं। ... (*व्यवधान*)

अलग-अलग रिपोर्ट के अनुसार, भारत में हर मिनट एक सड़क दुर्घटना होती है और हर चार मिनट में एक मौत होती है। ... (व्यवधान) चौंकाने वाली बात यह है कि दुर्घटनाओं में से एक-तिहाई लोग 15 से 25 वर्ष की आयु के होते हैं। ... (*व्यवधान*)

चूंकि यहाँ पास में कोई अस्पताल नहीं है, जो लोग दुर्घटना का शिकार होते हैं, वे इलाज के लिए 60 किलोमीटर दूर स्थित सरकारी अस्पताल ले जाए जाते हैं, और इस कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। ... (*व्यवधान*)

यहां एक पूर्ण विकसित मल्टी स्पेशियलिटी अस्पताल की अत्यंत आवश्यक है। इससे उन लाखों लोगों की जान बचाई जा सकती है, जो यहाँ प्रतिदिन गंभीर दुर्घटनाओं का शिकार होते हैं। ... (व्यवधान) प्रधानमंत्री

जी ने भी हाल ही में सड़क दुर्घटनाओं की गंभीरता के बारे में बात की और कहा कि केंद्रीय सरकार जल्द ही सड़क परिवहन और सुरक्षा पर एक विधेयक लाने वाली है।। ... (*व्यवधान*)

इसलिए, मैं केंद्र सरकार से आग्रह करती हूं कि कृपया इस प्रमुख मुद्दे पर गौर किया जाए और एक मल्टी स्पेशियलिटी अस्पताल को मंजूरी दी जाए क्योंकि इससे मानव जीवन को बचाया जा सकेगा। धन्यवाद, महोदया। ... (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री विक्रम उसेंडी (कांकेर): महोदया, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। ...(व्यवधान) छत्तीसगढ़ राज्य में अनुसूचित जनजाति में 42 जातियां आधिसूचित हैं। इनमें से लगभग 20 से ज्यादा जातियों में मात्रा, वर्तनी, उच्चारण संबंधी त्रुटि होने के कारण उक्त जाति के लोगों का जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पाता है तथा वे पात्रता रखने के उपरान्त भी अपने संवैधानिक हक से वंचित हो जाते हैं। ...(व्यवधान) यह एक विडंबना है कि जो व्यक्ति जन्म से आदिवासी है, उसे मात्रा में त्रुटि अथवा पूर्व में राज्य सरकार के कुछ आधिकारियों के द्वारा की गई त्रुटि के कारण जाति संबंधित योजनाओं का लाभ नहीं मिल पहा है। ...(व्यवधान) छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विगत लंबे समय से राज्य में निवासरत पठारी, पारधी, परहिया, सौंरा, सवरा, सकरा, भुईंया, भुया, भययया तथा भिंया, बिंझिया, धनुहार, धनुवार, रौतिया, सबरिया, खेरवार, खरवार, किसान, नगेसिया एवं प्रधान, परगनिहा और अमनित को अनुसूचित जनजाति की सूची में सम्मिलित करने की अनुशंसा केन्द्र सरकार को भेजी गई है, जिस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ...(व्यवधान) शीघ्र ही इस पर कार्रवाई कर इन जातियों को केन्द्रीय सूची में शामिल कर राज्य सरकार को अवगत कराया जाए, जिससे इस जाति के लोगों को उनका संवैधानिक हक मिल सके और वे लाभान्वित हो सकें। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया, इन बीस जातियों के लोगों का न प्रमाण पत्र बन पा रहा है और न उनको संवैधानिक हक मिल पा रहा है, जिसके चलते इस वर्ग के लोग आक्रोशित हैं। राज्य सरकार के माध्यम से और जनजाति आयोग के माध्यम से प्रस्ताव भेजा गया है, उस पर तत्काल निराकरण करते हुए इन वर्ग के लोगों को संवैधानिक

हक दिया जाए। ...(व्यवधान) इससे आय, जाति, निवास के साथ-साथ इनके बच्चों को पढ़ाई और अन्य संवैधानिक आधिकारों का हक मिलेगा। ...(व्यवधान)

महोदया, आपने मुझे अवसर दिया, इसके लिए आपको पुनः धन्यवाद देता हूं। ...(व्यवधान)

श्री बलभद्र माझी (नबरंगपुर): अध्यक्ष महोदया, मेरा संसदीय क्षेत्र भारतवर्ष का सबसे पिछड़ा क्षेत्र है।...(व्यवधान) यहां कई पंचायत में एक हाई स्कूल भी नहीं है।...(व्यवधान) आर.एम.एस.ए. नियम के अनुसार गवर्नमेंट हाईस्कूल्स के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवेलपमेंट के लिए पैसा दिया जाता है।...(व्यवधान) लेकिन, इससे मेरे क्षेत्र के बहुत-सारे हाई स्कूल्स वंचित हो रहे हैं।...(व्यवधान) अदरवाइज, सारे स्कूल्स गवर्नमेंट एडेड हैं।...(व्यवधान) उनको तनख्वाह सरकार से मिलती है लेकिन वे पूर्ण रूप से सरकारी हाई स्कूल्स नहीं हैं।...(व्यवधान)

आपके माध्यम से मेरा सरकार से निवेदन है कि आर.एम.एस.ए. के माध्यम से गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट स्कूल्स को भी, जो पार्शियली गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, उनको भी अनुदान देने की कृपा करें।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री बलभद्र माझी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत (जोधपुर) : अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे ... [12*]इस मानसून सत्र में बोलने का पहली बार मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। ..(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप अपनी बात कहें।..

... (व्यवधान)

[12.] अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदया, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 27 फरवरी, 2012 को एक आदेश पारित किया और राज्य सरकारों को इस बात का निर्देश दिया कि वर्ष 2010 की वन और पर्यावरण मंत्रालय की जो गाइडलाइन बनी है ..(व्यवधान) जो ड्राफ्ट रूल्स माइनिंग डिपार्टमेंट, माइनिंग मिनिस्ट्री ने बनाये हैं ..(व्यवधान) अप्रदान खनिजों के लिए, माइनर मिनरल्स के लिए उनकी अनुपालना जब तक नहीं हो ..(व्यवधान) तब तक खानों का नवीनीकरण नहीं किया जाये। ..(व्यवधान) राजस्थान की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की उस आदेश की मंशा के अनुरूप अपने नियमों में संशोधन किया ..(व्यवधान) जिला स्तरीय पर्यावरण समितियां बनायी ..(व्यवधान) मेरे प्रदेश में सैंड स्टोन्स की छोटी-छोटी खाने हैं ..(व्यवधान) उन खानों के कलस्टर बनायें ..(व्यवधान) उन खानों के डेवेलपमेंट प्लान बनाकर, उनका अप्रूवल करने के बाद में उनका रिन्यूवल किया गया। ..(व्यवधान) भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने वर्ष 2013 में एक नयी आधिसूचना जारी करके निर्देश दिया कि उन छोटी खानों को, नयी खानों को लाइसैंस नहीं दिया जाये। ..(व्यवधान) जब तक वह पर्यावरण की नियमों की पूर्ति नहीं कर लेती। ..(व्यवधान) पांच हेक्टेयर से कम की माइंस के लिए भी एनवायरमेंट क्लीयरैंस लेने की बाध्यता कर दी। ..(व्यवधान) छोटे-छोटे खान मालिकों, जिनके खानों की साइज 30 मीटर से 50 मीटर के बीच हैं ..(व्यवधान) उनके लिए इस तरह के कठोर नियम बना दिये गये। ..(व्यवधान) जबकि ऐसे नियम बनाने की मंशा जो है, सुप्रीम कोर्ट के जिस आदेश का हवाला दिया जा रहा है, उसकी बिल्कुल नहीं थी। ..(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया, राजस्थान सरकार ने मॉडल गाइडलाइन्स, 2010 के अनुरूप कार्रवाई कर दी थी ..(व्यवधान) उसके बाद भी एम.ओ.ई.एफ. ने, भारत सरकार के वन मंत्रालय ने एक नया आदेश जारी करके नवीनीकरण पर भी रोक लगा दी। ..(व्यवधान) इसी क्रम में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने एक आदेश पारित किया ..([अनुवाद] व्यवधान) उसने आदेश पारित करके सभी खानों के लिए चाहे वह पांच हेक्टेयर से छोटी हैं या बड़ी हैं ..(व्यवधान) सभी खानों के लिए ऐसी बाध्यता उत्पन्न कर दी। ..(व्यवधान) छोटे-छोटे खान मालिक इसे पूरा नहीं कर पा रहे हैं। ..(व्यवधान) उसके कारण पूरे क्षेत्र में भारी असंतोष व्याप्त है। ..(व्यवधान) हजारों-

लाखों मजदूर और खान से जुड़े हुए लोग बेरोजगार होने वाले हैं। ..(व्यवधान) उनके सामने भुखमरी का संकट खड़ा हो गया है। ..(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि ग्रीन ट्रिब्यूनल ने जो फैसला दिया है ..(व्यवधान) उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जा कर अपील दायर करे। ..(व्यवधान) ऐसे छोटे-छोटे खान मालिकों को और उनसे जुड़े हुए लाखों लोगों जिनके सामने भुखमरी का संकट खड़ा हो गया है उनको राहत प्रदान कराने की दिशा में काम करे। ..(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री निशिकान्त दुबे, श्री दुष्यंत सिंह, श्री पी.पी.चौधरी और कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[अनुवाद]

श्री एस. आर. विजय कुमार (चेन्नई सेंट्रल): महोदया अध्यक्ष, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री (आईसीएफ), चेन्नई, जो 1955 में स्थापित पहली ऐसी फैक्ट्री है, भारतीय रेलवे के लिए और निर्यात के लिए 500 विभिन्न डिजाइनों में विभिन्न प्रकार के कोच का उत्पादन कर रही है। … (व्यवधान) यह गौरव की बात है कि आईसीएफ, जो प्रति वर्ष 2,000 कोचों का उत्पादन करता है, ने अपने डायमंड जुबली वर्ष में 50,000वां कोच तैयार किया है। वित्तीय वर्ष 2014-15 में, उत्पादन 1,704 कोच था, जबकि लक्ष्य 1,696 कोच का था, जो देश के सभी कोच फैक्ट्रियों में सबसे उच्चतम आंकड़ा है, और वित्तीय वर्ष 2015-16 का लक्ष्य 1,950 कोच है। … (व्यवधान) हाल ही में, माननीय रेलवे मंत्री ने लिंके होफमैन बुश (एलएचबी) यूनिट का उद्घाटन किया, जो आधुनिकीकरण और विस्तार योजना के तहत है, जिसका लक्ष्य 2015-16 में 285 कोच और 2016-17 में 600 कोच का उत्पादन करना है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आईसीएफ का प्रदर्शन केवल बेहतरीन कर्मचारी प्रेरणा और उनके समर्पण के कारण है। … (व्यवधान)

इन सभी सकारात्मक बातों का वर्णन करने के बाद, मुझे इस सदन का ध्यान कर्मचारियों की दयनीय स्थिति की ओर आकर्षित करना होगा। कर्मचारियों की संख्या में अत्यधिक कमी, एलएचबी यूनिट के लिए कोई नई भर्ती नहीं, आईसीएफ कर्मचारियों का एलएचबी यूनिट में पुनः नियुक्ति आदि ने कर्मचारियों में अशांति पैदा कर दी है। ... (व्यवधान) यह भी एक बड़ी चिंता का विषय है कि आईसीएफ के कोर्स कम्प्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस (सीसीएए) जो कई वर्षों से कार्यरत हैं, उन्हें अब तक नियमित नहीं किया गया है, जबकि अन्य रेलवे और केंद्रीय सरकारी संगठनों में पिछले वर्ष तक के सीसीएए को नियमित किया गया है। ... (*व्यवधान*)

अतः मैं विनम्रता से माननीय रेलवे मंत्री से अनुरोध करता हूँ कि आईसीएफ के सीसीएए के नियमितीकरण के लिए उनकी अपील पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें, चाहे वह आईसीएफ और एलएचबी यूनिट में हो या देश के उत्पादन इकाइयों/जोनल रेलवे में। ... (व्यवधान) इसके साथ ही, कर्मचारियों के योगदान को मान्यता देते हुए, आईसीएफ के सभी कर्मचारियों को अतिरिक्त वृद्धि और एक निःशुल्क पास प्रदान किया जाए, जो डाइमंड जुबली वर्ष का उपहार हो। धन्यवाद, महोदया। ... (व्यवधान)

[हिन्दी]

डॉ. वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़) : अध्यक्ष महोदया, पाकिस्तान और बंगलादेश से उत्पीड़न के शिकार होकर जो लोग बड़ी संख्या में हमारे देश में शरणार्थी बनकर आते हैं, मैं उन शरणार्थियों की कठिनाइयों के संबंध में विषय उठाना चाहता हूं। ...(व्यवधान) उनके साथ वहां धार्मिक भेदभाव किया जाता है। ...(व्यवधान) उन्हें तरह-तरह से उत्पीड़ित किया जाता है।...(व्यवधान) उनकी बहन, बेटियों को बेइज्जत किया जाता है। उनकी जमीन, मकान छीन लिए जाते हैं। ...(व्यवधान) बंगलादेश में जो हिन्दू रहते हैं, उनके साथ जो ज्यादती होती है, बंगलादेश की एक लेखिका ने 'लज्जा' नामक उपन्यास में उसका बहुत अच्छा विवरण किया है। ... (व्यवधान) इसी कारण उस लेखिका को बंगलादेश से निवारसित जीवन जीना पड़ रहा है। ...(व्यवधान) इसके विपरीत बहुत बड़ी संख्या में लोग घुसपैठ करके हमारे देश में आ रहे हैं और राजनीतिक लाभ के चलते सीमावर्ती राज्यों में उन्हें वोट बैंक की खातिर उन राज्यों में नागरिकता दे दी जाती है।...(व्यवधान) उनके राशन कार्ड बन जाते

हैं, वोटर कार्ड भी बन जाते हैं। ...(व्यवधान) किन्तु जो लोग वीज़ा लेकर धार्मिक स्थानों पर यात्रा करने आते हैं, जब उनके वीज़ा की समयावधि समाप्त हो जाती है, तो उनके ऊपर प्रशासनिक दबाव बनाया जाता है। ...(व्यवधान) उन्हें वापिस जाने के लिए बाध्य किया जाता है। ...(व्यवधान) पुलिस उन्हें तरह-तरह से परेशान करती है, विशेष रूप से गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश में बहुत बड़ी संख्या में शरणार्थी आते हैं। ...(व्यवधान) यहां आने के बाद जब उन्हें वापिस जाने के लिए बोला जाता है, तो वे अपना दर्द इन शब्दों में व्यक्त करते हैं कि भले ही आप हमें मार दो, हमारी जान ले लो, लेकिन हम पाकिस्तान और बंगलादेश वापिस नहीं जाना चाहते। ...(व्यवधान) उनके बच्चे भी वीज़ा की अवधि नहीं बढ़ाए जाने से मानवीय आधिकारों और शिक्षा के आधिकारों से वंचित हो रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून भी कहता है कि बच्चा जहां पैदा हो, उसे वहां की नागरिकता मिलनी चाहिए।...(व्यवधान) उसकी वीज़ा अवधि बढ़ाई जानी चाहिए। अगर कोई दम्पत्ति हवाई जहाज में जा रहा है और हवाई जहाज में उसका बच्चा पैदा हो जाए तो जिस देश की सीमा के ऊपर से हवाई जहाज जाता है, उसे वहां की नागरिकता मिलनी चाहिए।...(व्यवधान) लेकिन हमारे देश में शरणार्थियों के बच्चे बड़ी संख्या में परेशान हो रहे हैं। ...(व्यवधान) मैं आपके माध्यम से सदन से अनुरोध करना चाहता हूं कि पाकिस्तान और बंगलादेश से आने वाले शरणार्थियों को नागरिकता दी जाए, उनकी वीज़ा अवधि बढ़ाई जाए और मानवीय आधिकारों से उन्हें यहां संरक्षण दिया जाए ताकि उनके वोटर कार्ड बन सकें, राशन कार्ड बन सकें और वे सामान्य नागरिकों की भांति यहां सम्मानजनक जीवन जी सकें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल, श्री सुधीर गुप्ता, श्री निशिकांत दूबे, श्री प्रह्लाद सिंह पटेल, श्री पी.पी. चौधरी और श्री भैरो प्रसाद मिश्र को डॉ वीरेन्द्र कुमार द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[अनुवाद]

श्री के. परशुरामन (तंजावुर): माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं तमिलनाडु की हमारी माननीय मुख्यमंत्री, पुरात्ची थलाइव अम्मा के अनुरोध को सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री को लिखे गए एक पत्र

में, हमारी माननीय मुख्यमंत्री ने बहरीन के तटीय क्षेत्र के उच्च समुद्र में हुई एक दुखद घटना के बारे में दुख व्यक्त किया है, जिसमें थिरु एंटनी अरुल अनिश, जो कन्याकुमारी जिला, तमिलनाडु के एंयम पुथेंथुरई मछली पकड़ने वाले गांव के रहने वाले थे, की समुद्री लुटेरों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।...(*व्यवधान*)

मृत मछुआरे का शव कथित तौर पर अब बहरीन के एक अस्पताल में रखा गया है। मछुआरे के आकस्मिक निधन ने उनके परिवार को बड़ी आर्थिक और मानसिक कठिनाई में डाल दिया है। (*व्यवधान*)

इसलिए, मैं एक बार फिर भारत सरकार से, डॉ. पुरात्ची थलाइव अम्मा की ओर से, निवेदन करता हूँ कि मृतक मछुआरे के शव को तमिलनाडु वापस लाने की व्यवस्था शीघ्र की जाए।

महोदया, मैं आपसे यह भी अनुरोध करता हूँ कि कृपया भारतीय दूतावास के अधिकारियों को निर्देशित करें कि वे इस मामले को उसके नियोक्ता के साथ उठाएं और यह सुनिश्चित करें कि मृतक के परिवार को किसी भी देरी के बिना अंतिम वित्तीय लाभ प्रदान किए जाएं और भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए कदम उठाएं। ...(*व्यवधान*)

धन्यवाद।

श्रीमती कोथापल्ली गीता (अराकु): महोदया, कृपया मुझे अपनी सीट से बोलने की अनुमति दें।

माननीय अध्यक्ष: ठीक है।

श्रीमती कोथापल्ली गीता: माननीय अध्यक्ष महोदया, मुझे शून्यकाल में युवा भारत द्वारा सामना की जाने वाली समस्या पर अपनी बात रखने का अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद।

जैसा कि इस महती सभा को ज्ञात है, हम युवा भारत की ओर बढ़ रहे हैं और हम अक्सर शिक्षा को बढ़ावा देने की बात करते हैं। यह सरकार की प्राथमिकता रही है कि शिक्षा को एक अधिकार के रूप में प्रदान किया जाए। लेकिन वास्तविकता यह है कि उच्च अध्ययन के लिए ऐसे ऋण प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। आजकल भारत और विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करना बहुत महंगा पद रहा है। बैंकों के पास इन ऋणों के

स्वीकृति के लिए विभिन्न मानदंड हैं। इसके परिणामस्वरूप, विशेष रूप से आर्थिक रूप से पिछड़े बच्चों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उनके माता-पिता का कोई क्रेडिट इतिहास नहीं होता और इसलिए उन्हें ऋण नहीं मिलता। इसके अलावा, बैंक शिक्षा ऋण के बदले विभिन्न प्रकार की सुरक्षा लेते हैं। यह बैंक जमा, पोस्ट ऑफिस जमा या अन्य विभिन्न प्रकार की सुरक्षा हो सकती है। इन सुरक्षा के लिए कोई विशेष और समान कोड नहीं है। इसके अलावा, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों से शिक्षा ऋण प्राप्त करना भी कठिन होता है।

इसलिए, मैं सरकार से निवेदन करती हूँ कि वह सुनिश्चित करें कि शिक्षा ऋण योजनाएं उन मेधावी उम्मीदवारों को दी जाएं, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं। इसके अलावा, बीमा को शिक्षा ऋण का हिस्सा भी बनाया जाना चाहिए। किसी अप्रत्याशित घटना के कारण यदि किसी छात्र का निधन हो जाता है, तो उसके माता-पिता को इस ऋण को चुकाने में बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए, बीमा को लागू किया जाना चाहिए; और शिक्षा उद्देश्यों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना भी लागू की जानी चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि यदि ये सभी कदम उठाए जाते हैं, तो यह इस देश के युवा भारतीयों और छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने और भारत को साक्षर बनाने में मददगार साबित होगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। … (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: श्री भैरों प्रसाद मिश्रा और कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्रीमती कोथापल्ली गीता द्वारा उठाए गए मुद्दे के साथ सबंद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[हिन्दी]

श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : मैडम स्पीकर, जब मानसून सत्र शुरू हुआ था उस समय कहा जा रहा था कि मौसम थोड़ा बिगड़ा हुआ है, अब दो दिन के बाद मानसून सेशन खत्म होने वाला है, कल मुझे पता चला कि मौसम काफी बेइमान हो चुका है। देश ने पिछली सेन्चुरी में स्ट्रीक ऑफ फासिज्म को देखा था और आज इस

सत्र में हम देख रहे हैं कि मैनिफेस्टेशन ऑफ फॉसिज्म इनसाइड द हाऊस की कोशिश की जा रही है, आपके पेशेन्स को चुनौती दी जा रही है।

[अनुवाद]

<u>अपराह्न 13.00 बजे</u>

[हिन्दी]

... <u>(व्यवधान)</u> मैं प्रार्थना करूंगा कि आपकी पैशन्स बरकरार रहे और हाउस को सही ढंग से चलाने की आप कोशिश करें। ...([अनुवाद]) अब मैं मुद्दे पर आता हूं। ... (*व्यवधान*)

महोदया, पिछले सप्ताह आई.एन.ए ट्रस्ट ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की याद में एक कार्यक्रम आयोजित किया था, और यह केवल उस कार्यक्रम में ही नहीं, बल्कि देश को नेताजी से संबंधित फाइलों को सार्वजनिक करने की आवश्यकता है। ... (*व्यवधान*) न्यायमूर्ति मुखर्जी आयोग, जिसे अटल जी के समय में स्थापित किया गया था, ने भी उन फाइलों को सार्वजनिक करने की सिफारिश की थी, जिन्हें कांग्रेस के शासन काल में वर्गीकृत किया गया था। ... (*व्यवधान*) 2014 में, वर्तमान गृह मंत्री ने कटक, मेरी लोकसभा क्षेत्र, जो नेताजी का जन्मस्थल है, का दौरा किया था और वहां अपने जन्मस्थल पर उन्होंने यह वचन दिया था कि जब हमारी सरकार सत्ता में आएगी, तो हम नेताजी से संबंधित सभी फाइलों को सार्वजनिक करेंगे। ... (*व्यवधान*) जो दुर्घटना वर्तमान ताइवान में फॉर्मासा द्वीप पर हुई थी, वह संदिग्ध है। इसका उल्लेख न्यायमूर्ति मुखर्जी आयोग ने भी किया है। जब दुर्घटना संदिग्ध है, तो उसके बाद नेताजी के जीवन में क्या हुआ, यह भी जांचने की आवश्यकता है। ... (*व्यवधान*) इसके लिए कई आयोगों और समितियों का गठन किया गया है, लेकिन मैं सरकार से, आपके माध्यम से, महोदया, यह आग्रह करता हूँ कि नेताजी से संबंधित सभी वर्गीकृत दस्तावेजों को सार्वजनिक किया जाए। यह जितनी जल्दी किया जाएगा, उतना बेहतर होगा। क्योंकि ऐसा उस समय भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और वर्तमान गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा किया गया एक वचन था।। ... (*व्यवधान*)

इसलिए, मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि नेताजी के लापता होने से संबंधित उन सभी फाइलों को जल्द से जल्द सार्वजनिक किया जाए। धन्यवाद, महोदया।

माननीय अध्यक्ष: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री निशिकांत दुबे, डॉ. किरिट पी. सोलंकी, श्री सुधीर गुप्ता, श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत, श्री पी.पी.चौधरी, श्री प्रहलाद सिंह पटेल, श्री सी.आर.चौधरी, डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे, श्री श्रीरंग आप्पा बारणे, श्री राहुल रमेश शेवाले, डॉ. वीरेंद्र कुमार और श्री भैरों प्रसाद मिश्रा को श्री भर्तृहरि महताब द्वारा उठाए गए मुद्दे के साथ सबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

... (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: जो लोग वेल में हैं,मैं उनसे बार-बार निवेदन कर रही हूं कि [अनुवाद] वे कृपया अपनी सीटों पर जाएं। यह उचित नहीं है । सभा चर्चा के लिए है। आप सभी कृपया करके अपनी-अपनी सीट पर जाएं। मुझे खेद है। यह उचित नहीं है ।

... (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: सभा की कार्यवाही अपराह्न 2 बज कर 15 मिनट तक के लिए स्थगित की जाती है।

<u>अपराह्न 13.03 बजे</u>

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 2 बजकर 15 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी गई।

<u>अपराह्न 14.15 बजे</u>

लोक सभा अपराह्न दो बजकर पंद्रह मिनट पर पुनः समवेत हुई।

[माननीय उपाध्यक्ष *पीठासीन हुए*]

... (*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्ष: अब, सदन में नियम 377 के अधीन मामलों पर चर्चा होगी।

... (*व्यवधान*)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा): महोदय, हम अपने स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार करने का कई दिनों से प्रयास कर रहे हैं। यदि उनके पास समय हो तो हमारा उद्देश्य इस मुद्दे पर पूरी तरह से चर्चा करना है। हालांकि, उन्हें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, मुझे नहीं पता क्यों वे स्थगन प्रस्ताव के तहत चर्चा का विरोध कर रहे हैं। मैं मानता हूँ कि वे हमेशा बाहर यह कहते रहे हैं कि हम चर्चा के लिए तैयार नहीं हैं, अन्य लोग तैयार हैं, लेकिन सरकार चर्चा के लिए तैयार है। फिर, आप स्थगन प्रस्ताव पर विचार क्यों नहीं करने देते? आपको इससे डर क्यों है? यह सिर्फ दूसरों पर आरोप लगाने का तरीका है। आप इसे चर्चा के लिए तैयार नहीं हैं।

महोदय, आप जानते हैं कि स्थगन प्रस्ताव का महत्व नियम 193 के अधीन चर्चा से अलग है। विषय को बदलने और उन्हें नियम 193 के तहत रखने का अर्थ है कि आप तथ्यों को दबाना चाहते हैं और बस इस पर चर्चा करना चाहते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष: ठीक है। अब, हम नियम 377 के अधीन मामलों को उठा रहे हैं।

सभापति ने स्थगन प्रस्ताव के संबंध में पहले ही व्यवस्था दे दी है।

शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्री और संसदीय मामलों के मंत्री (श्री एम. वेंकैया नायडू): माननीय अध्यक्ष द्वारा व्यवस्था दिए जाने के बाद, किसी भी व्यक्ति द्वारा उसका उल्लंघन करना अनुचित है। ... (*व्यवधान*)

कौन डरता है? सदन से बाहर कौन जा रहा है? कौन बाहर क्या बोल रहा है? सब जानते हैं। ऐसे अनुभवी लोग ... (*व्यवधान*) प्राधिकारी। सरकार चर्चा के लिए तैयार है। ... (*व्यवधान*)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा): महोदय, मैंने बाहर आपको बयान देते हुए देखा है जहाँ आप बता रहे थे कि कांग्रेस पार्टी तैयार नहीं है, विपक्षी दल चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। वे चर्चा के लिए तैयार हैं; हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। इस पर स्थगन प्रस्ताव के तहत चर्चा की जानी चाहिए।

श्री एम. वेंकैया नायडू: हम अभी चर्चा के लिए तैयार हैं। ... (*व्यवधान*) महोदय, अभी हम चर्चा के लिए तैयार हैं। वे सदन को बाधित करते रहे हैं। वे प्राधिकरण का दुरुपयोग कर रहे हैं। वे तख्तियां दिखा रहे हैं। वे बाहर जा रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। ... (*व्यवधान*)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: आपको सदन में भारी बहुमत मिला है। आपने इसे मतदान करने और हमारे प्रस्ताव को खारिज करने के लिए रखा हुआ है। ... (*व्यवधान*)

श्री एम. वेंकैया नायडू: सरकार पहले दिन से इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है। ... (*व्यवधान*) उन्हें डर है कि सच सामने आ सकता है। हम अभी भी चर्चा करने के लिए तैयार हैं। चलिए, अभी चर्चा शुरू कर लेते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष: पहले नियम 377 के अधीन मामलों को समाप्त होने दें।

श्री एम. वेंकैया नायडू: हां, अगर वे तैयार हैं।

माननीय उपाध्यक्ष: नियम 377 के अधीन मामले खत्म होने के बाद, हम इस पर चर्चा करेंगे।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: महोदय, मैं आपको यह क्यों बता रहा हूं कि हर बार, बार-बार, वे कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी और अन्य विपक्षी दल चर्चा करने के लिए तैयार नहीं हैं, वे बाधा डाल रहे हैंः वे माहौल खराब कर रहे हैं। ... (*व्यवधान*) आप स्थगन प्रस्ताव के तहत इस मुद्दे पर चर्चा करने में क्यों संकोच कर रहे हैं? आप क्यों झिझक रहे हैं? ... (*व्यवधान*)

श्री एम. वेंकैया नायडू: हम अभी तैयार हैं। आप एक मिनट में चर्चा शुरू करें। ... (*व्यवधान*)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: आप विषय बदल रहे हैं। … (*व्यवधान*)

श्री एम. वेंकैया नायडू: चर्चा शुरू करें। आप चर्चा करने से डरते हैं। … (*व्यवधान*)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: माननीय उपाध्यक्ष, महोदय... (*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्ष: आप पहले ही अपना विचार व्यक्त कर चुके हैं। मैंने आपको बोलने की अनुमति दी थी और आपने अपनी बात रखी है।

... (*व्यवधान*)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: माननीय संसदीय कार्य मंत्री महोदय भी नियम 193 और स्थगन प्रस्ताव के तहत होने वाली चर्चा के बीच अंतर जानते हैं। … (*व्यवधान*)

श्री एम. वेंकैया नायडू: यह मुद्दा नहीं है। … (*व्यवधान*)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: जब हम स्थगन प्रस्ताव पर जोर दे रहे हैं और चर्चा के लिए तैयार हैं, तो वे क्यों भाग रहे हैं और मुद्दा क्यों बदल रहे हैं? … (*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्ष: नहीं, मंत्री जी पहले ही जवाब दे चुके हैं।

आपने इस मुद्दे को उठाया और मंत्री जी ने जवाब दिया। मामला खत्म हो गया है।

... (*व्यवधान*)

श्री एम.वेंकैया नायडू: हम चर्चा से भाग नहीं रहे हैं। पहले दिन से, हम यहां हैं। वे 11 दिनों के लिए सभा में नहीं आए। … (*व्यवधान*) उन्होंने बाहर प्रदर्शन किया। वे नारे लगा रहे थे। यह दुर्भाग्यपूर्ण और अनुचित है। … (*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्ष: अब, नियम 377 के अधीन मामले - श्री अजय मिश्रा तेनी।

... (*व्यवधान*)

अपराह्न 14.19 बजे

इस समय श्री के.सी. वेणुगोपाल और और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

… (व्यवधान)

अपराह्न 14.19 ½ बजे

नियम 377 के अधीन मामले

(1) उत्तर प्रदेश के खीरी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में नेपाल से निकलने वाली नदियों से होने वाले मृदा अपरदन को रोकने हेतु वटबंध बनाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री अजय मिश्रा टेनी (खीरी) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मेरा लोक सभा क्षेत्र खीरी (उत्तर प्रदेश) नेपाल का सीमवर्ती क्षेत्र है जो नेपाली नदियों मोहाना, गौड़ियाला की वजह से बाढ़ व कटान से प्रभावित है। कटान की वजह से कई सौ एकड़ कृषि भूमि सहित बहुत से गांवों का आस्तित्व समाप्त हो गया है जिसकी वजह से उक्त क्षेत्र के रहने वाले लोग आर्थिक संकट के साथ-साथ आवास शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, पीने के पानी व परिवहन सहित कई समस्याओं से जूझ रहे हैं।

उक्त बाढ़ व कटान की समस्या के आंशिक निदान हेतु बेला, परसुआ व सूरत नगर तहसील/ ब्लॉक निघासन, जिला लखीमपुर खीरी हेतु क्रमशः लगभग 10 करोड़ व 11 करोड़ लगभग 21 करोड़ रुपए का आबंटन तटबंधों के निर्माण हेतु किया गया था। उक्त कार्यों के टेंडर व काम शुरु होने के बाद पूरा किए बिना काम बंद कर दिया गया जिससे पुनः उक्त क्षेत्र बाढ़ व कटान से प्रभावित है। उक्त क्रम में ऐसा प्रतीत होता है कि आबंटित धन का दुरुपयोग संबंधित लोगों द्वारा किया जा रहा है क्योंकि सारी प्रक्रिया (टेंडर आदि) की होने व काम शुरु होने के बाद बंद हो जाने के कारण आशंका है कि उक्त योजनाओं में भ्रष्टाचार हुआ है।

(2) **झारखंड के संधाल परगना एवं इसके समीपवर्ती क्षेत्रों में सूखे की स्थिति से निपटने के लिए उपचारात्मक कदम उठाए जाने की आवश्यकता**

[अनुवाद]

श्री निशिकांत दुबे (गोड्डा): हाल ही में, झारखंड और संथाल परगना के क्षेत्र और उनके आस-पास के इलाके धीरे-धीरे सूखा प्रभावित क्षेत्रों में बदलते जा रहे हैं, जहां मानसून की अनियमितता बार-बार तबाही मचा रही है। … (*व्यवधान*) इन क्षेत्रों में सामान्य वर्षा बहुत कम देखने को मिलती है। … (*व्यवधान*) हमारे देश के विभिन्न हिस्सों के एक बड़े हिस्से में सूखा या सूखा प्रभावित परिस्थितियाँ कभी न कभी सामने आई हैं, जिससे वहाँ के लोगों और उनके मवेशियों की कठिनाइयाँ बढ़ी हैं। … (*व्यवधान*) जब किसी क्षेत्र में सूखा जैसी स्थिति उत्पन्न होती है, तो इससे सबसे ज़्यादा किसान और अन्य निवासी पीड़ित होते हैं, जिन्हें जीवित रहने के लिए न तो खाने को खाना मिलता है और न ही पीने को पानी, जिसके कारण उनका पलायन होता है। … (*व्यवधान*) इन क्षेत्रों में अकसर भुखमरी के कारण मौतें होती हैं। … (*व्यवधान*) सबसे ज़्यादा पीड़ित आवारा मवेशी होते हैं। … (*व्यवधान*) जिनके मालिक उन्हें खुला छोड़ देते हैं, बिना चारे और पानी के उनकी मौत हो जाती है। … (*व्यवधान*) ऐसे में किसान अपनी फसलें और उम्मीदें दोनों खो देते हैं। … (*व्यवधान*) कर्ज में डूबे किसानों के पास चाहकर भी खेतीबाड़ी शुरू करने के लिए पैसे नहीं हैं।। … (*व्यवधान*) उम्मीदों के टूटने से कई किसान आत्महत्या जैसे गंभीर कदम उठाते हैं। … (*व्यवधान*) झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र अब किसानों की आत्महत्याओं के लिए जाना जाने लगा है। … (*व्यवधान*)

यह देखा गया है कि झारखंड और देश के अन्य हिस्सों में किसान अधिक धन कमाने के लिए जल-प्रधान नकदी फसलें उगाने लगे हैं, जिसके परिणामस्वरूप जल स्तर खतरनाक स्तर तक गिर गए हैं, जिससे ऐसे क्षेत्र सूखा प्रभावित बन गए हैं। … (*व्यवधान*) इसलिए,जल-प्रधान फसलों से कम पानी की आवश्यकता

वाली फसलों की ओर फसल विविधीकरण आज के समय की आवश्यकता बन गई है। … (*व्यवधान*) पानी के स्रोतों जैसे पुनेसी, बुरही, सुग्गाबथान, बैतेश्वर स्थान, हरनवीर, काझीवीर, त्रिवेनीवीर, त्रिकूट, कृष्णा सागर और भारत और बिहार के द्वितीय सिंचाई आयोग द्वारा प्रस्तावित नए प्रकल्पों का प्रचार सूखा प्रभावित और सूखा संभावित क्षेत्रों के लिए आवश्यक हो गया है। … (*व्यवधान*)

साथ ही, यह आवश्यक है कि खाद्य, पेयजल और चारे की आपूर्ति बिना किसी विघ्न के प्राथमिकता के साथ बनी रहे, ताकि लोग अपने स्थानों को छोड़ने के लिए मजबूर न हों और उनके मवेशी मरने के लिए छोड़ न दिए जाएं। … (*व्यवधान*) किसानों को अनुग्रह राशि और वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता है ताकि वे आत्महत्या जैसे गंभीर कदम न उठाएं। … (*व्यवधान*)

.

(3) राजस्थान के भीलवाड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में स्थानीय लोगों को खनन क्षेत्र मे रोजगार अवसर उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया (भीलवाड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदया, मेरे संसदीय क्षेत्र भीलवाड़ा (राजस्थान) में लौह अयस्क एवं जस्ता अयस्क के प्रचुर भण्डार हैं। देश के दो बड़े कॉरपोरेट घराने वहां पर खनन कार्य कर रहे हैं परन्तु उन खदानों में कार्य करने के लिए स्थानीीय लोगों की अनदेखी की जा रही है तथा बाहर के व्यक्तियों को रोजगार दिया जा रहा है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जो एक सरकारी उपक्रम है, को भी लौह अयस्क खान का आबंटन हो गया है तथा वह भी खनन कार्य शुरु करने वाला है।

अत: सदन के माध्यम से मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह स्टील ऑफ अथॉरिटी लिमिटेड एवं उपरोक्त दोनों कॉरपोरेट घरानों को निदेरशित करे कि वह ज्यादा से ज्यादा स्थानीय लोगों को रोजगार दे।

[अनुवाद]

(4) मध्य प्रदेश के सागर संसदीय क्षेत्र में खुरई-राहतगढ़ बस स्टॉप के निकट रेलवे उपरी पुल के डिजाइन में संशोधन किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री लक्ष्मी नारायण यादव (सागर): माननीय उपाध्यक्ष जी, सदन के माध्यम से मैं सरकार का ध्यान मध्य प्रदेश के अपने संसदीय क्षेत्र सागर के खरई राहतगढ़ बस स्टॉप के पास बने रेलवे उपरिपुल की तरफ दिलाना चाहता हूं। इस पुल का डिजाइन गलत बन जाने के कारण ट्रकों, बसों एवं कारों को पुल पर चढ़ने में कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है जिससे इस पुल पर कई दुर्घटनाएं होती हैं और आए दिन जाम लगा रहता है। इस पुल के डिजाइन में संशोधन किये जाने की अत्यन्त आवश्यकता है।

अत: मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि उपरोक्त रेलवे उपरिपुल के डिजाइन को संशोधित किया जाए।

(5) प्राकृतिक हीरे की आड़ में कृत्रिम हीरे के अनुचित व्यापार को रोके जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश (सूरत) : माननीय उपाध्यक्ष, मैं अपने क्षेत्र की ऐसी समस्या की ओर आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं जिसका संबंध देश के व्यापार से जुड़ा हुआ है। मेरा क्षेत्र सूरत हीरा उद्योग के कारण दुनिया भर में प्रसिद्ध है। हर 10 में से 9 हीरों का संबंध सूरत से होता है। आजकल सूरत ही नहीं, पूरे गुजरात एवं मुम्बई में हीरे का व्यापार विकसित हुआ है। उस विस्तार में हीरा व्यवसायियों को सिन्थेटिक डायमण्ड की चिंता सता रही है। पिछले दिनों जब एक व्यापारी के पास हीरे बिक्री हेतु आये और उस पर मेग्नेट घुमाया तो कई हीरे मेग्नेट से चिपक गए। उस घटना के बाद सूरत, मुम्बई, भावनगर, अहमदाबाद के व्यवसायी चिंता में हैं, क्योंकि यह मानव सृजित हीरा कुदरती खदानों से निकले हीरे से तकरीबन आधी या उससे कम लागत वाला होता है परन्तु दिखने में कुदरती हीरे जैसा ही है। इसकी परख सामान्य आदमी, छोटे व्यापारी या दलालों को नहीं होती। यदि इन नकली हीरों का बड़ी मात्रा में उत्पादन हुआ तो यह कीमत और भी कम हो सकती है। मुम्बई के बांद्रा-कूला कॉम्पलेक्स के व्यवसायी भी इस नकली हीरे से परेशान हैं। अगर नकली हीरा पहचानने की मशीन ली जाए तो उसकी लागत 80 लाख रुपये है जो सामान्य कारीगर या व्यापारी की क्षमता से परे है। वह भी फूलप्रूफ हो, इस पर शंका है। जिस तरह से देश में मछली के माध्यम से निकलने वाला सच्चे मोती का व्यापार कल्चर माता के आने से टूट गया, मुझे डर है कि कहीं कल्चर हीरे के आने से इस व्यवसाय की भी हालत ऐसी ना हो। डायमंड एसोसियेशन इस संबंध में चिंतित है। 11 लोगों की कमेटी बनी है जो इस विषय पर सक्रिय है पर उनको अगर सरकार भी मदद करे, जैसे देश में जिन रास्तों से इन नकली हीरों का प्रवेश होता है, उन्हें रोकने हेतु उचित कदम उठाये जाएं। साथ ही इस प्रकार से नकली हीरों को असली कहकर बेचने वालों पर सख्त कदम उठाए जाएं, यह आज की मांग है, क्योंकि इस व्यवसाय में अकेले गुजरात

में ही 10 से 15 लाख परिवारों को गुजारा हो रहा है और यह व्यवसाय करोड़ों लोगों की रोजगारी का माध्यम है।

ऐसा कहा जाता है कि विश्व में हीरा मार्केट से जेम एण्ड ज्वैलरी की जो कुल निकासी हुई है, उसमें अंदाजित 3.50 लाख कैरेट यह सिन्थेटिक डायमण्ड था। यदि सिर्फ मेरे मतक्षेत्र सूरत की बात की जाए तो पिछले साल अंदाजित पांच हजार करोड़ के सिन्थेटिक डायमण्ड का मिक्सिंग असली हीरों के साथ किया गया होने का अन्दाजा लगाया जा रहा है। इन आंकड़ों से इस विषय की गम्भीरता स्पष्ट हो रही है। सबसे बड़ी नुकसान कारक बात विश्वसनीयता के खत्म होने की होगी, क्योंकि हमारे यहां जो हीरा का बाजार रोजाना लगता है, उसमें प्रतिदिन लाखों करोड़ों का व्यापार सिर्फ एक दूजे के विश्वास से ही होता है। सिन्थेटिक हीरा बेचना गुनाह नहीं, पर असली के साथ मिलाना या असली हीरा कहकर बेचना यह अपराध है। आज यह अपराध बड़े पैमाने पर हो रहा है। जिससे पूरे गुजरात एवं मुम्बई में करोड़ों लोगों से जुड़ा हुआ देश को विदेश मुद्रा बड़ी मात्रा में दिलाने वाला विश्वास पर चलने वाला व्यवसाय चिंता में है।

अतः सदन के माध्यम से मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि इस अपराध को रोकने हेतु कड़े कदम उठाए जाएं, साथ ही अमेरिका, हांगकांग जैसी जगहों से देश में आने वाले हीरों पर निगरानी बढ़ायी जाए। … (व्यवधान)

माननीय उपाध्यक्ष: मैं 377 नियम के अधीन मामलों को पूरा करने के बाद उन्हें अनुमति दूंगा।

... (*व्यवधान*)

(6) पासपोर्ट, वीजा और महावाणिज्य दूतावास के संबंध में जोखिम संबंधी समस्याओं का समाधान करने की आवश्यकता

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (आनंदपुर साहिब): यह एक ज्ञात तथ्य है कि देश के विभिन्न राज्यों से बड़ी संख्या में भारतीय हर वर्ष अपनी आजीविका कमाने के लिए विदेश जाते हैं। इनमें से अधिकांश लोग विभिन्न देशों में वैध या अवैध तरीके से प्रवेश करने के लिए एजेंटों की सेवाओं का उपयोग करते हैं। ऐसे व्यक्तियों के पासपोर्ट आमतौर पर यात्रा एजेंटों द्वारा एकत्र किए जाते हैं और जब वे अवैध रूप से अंतरराष्ट्रीय सीमा पार करते हैं तो उन्हें वापस नहीं किया जाता। विदेश पहुंचने के बाद, स्थानीय कानूनी सहायता की मदद से अधिकांश लोग राजनीतिक शरण प्राप्त कर लेते हैं। अब, ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने विदेश में 20 या 30 साल बिताए हैं और अब वे अपने परिवार के सदस्यों से मिलने के लिए भारत वापस आना चाहते हैं। इन लोगों ने कड़ी मेहनत करके अपनी आजीविका कमाई है और अब वे अपनी अधिशेष बचत को भारत में निवेश करना चाहते हैं। लेकिन भारतीय कानून उन्हें अपनी मातृभूमि में आने की अनुमति नहीं देता, जिसके परिणामस्वरूप वे अपने परिवार से मिल नहीं सकते और न ही वे अपने देश में निवेश के अवसरों का लाभ उठा सकते हैं। इनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं है। इसलिए, आपसे यह अनुरोध किया जाता है कि मौजूदा कानून में उपयुक्त संशोधन किया जाए ताकि इन लोगों को अपने देश वापस आने के लिए आवश्यक यात्रा दस्तावेज़ प्राप्त हो सकें।

भारत के विभिन्न स्थानों पर भारतीय कांसुल जनरल कार्यालय खोलने की आवश्यकता है ताकि लोगों को परामर्श सहायता प्राप्त करने के लिए लंबी दूरी की यात्रा न करनी पड़े। यह देखा गया है कि अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप में स्थित कांसुलेट्स बहुत दूर हैं,जहाँ पहुंचना काफी मुश्किल होता है।

कई एन.आर.आई को इस आधार पर वीजा देने से इनकार कर दिया गया है कि उनके नाम खुफिया एजेंसियों द्वारा बनाए गए ब्लैकलिस्ट में शामिल हैं। उनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं है,

लेकिन फिर भी उन्हें आवश्यक यात्रा दस्तावेज नहीं दिए जाते हैं। यह अनुरोध किया जाता है कि भारत सरकार उस सूची को रद्द करे।

(7) झारखंड के पाकुड़ जिले में पैनेम कोल माइंस लिमिटेड द्वारा कथित अनियमितताओं की, जिनके कारण राजकोष को राजस्व की भारी हानि हुई है; की जांच किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, झारखण्ड राज्य के पाकुड़ जिला में पैनम कोल माइन्स के विभिन्न कोयला खदानों में राजस्व चोरी करने की दृष्टि से और प्रबंधन द्वारा खदानों में पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम नहीं करने के कारण माइन्स के कई स्थानों पर कोयले में आग लगा दी गई ताकि जले कोयले पर कम्पनी के द्वारा राजस्व का भुगतान न करना पड़े। इस कम्पनी के माध्यम से पाकुड़ जिला के अमड़ापाड़ा स्थित पछवारा में सेन्ट्रल कोल ब्लॉक का आवंटन केन्द्र सरकार के द्वारा पंजाब स्टेट पावर कार्पोरेशन को किया गया है। पूर्व में इसे ई.एम.टी.ए. ई.एम.टी.ए. कम्पनी के साथ पंजाब पावर कार्पोरेशन को कोल ब्लॉक का आवंटन किया गया था और इस कंपनी द्वारा लाखों टन कोयला की कालाबाजारी की गई है। दूसरे मामले में उपायुक्त, पाकुड़ ने पैनम कम्पनी से 9991.91 लाख रुपये की वसूली के लिए त्वरित कार्रवाई करने और इस प्रयोजन हेतु नीलाम पत्र वाद दायर करने की अनुशंसा की थी परन्तु मामले से संबंधित फाइल गायब करा दी गई। इस संबंध में झारखण्ड स्टेट बार कौंसिल के सदस्यों के द्वारा संबंधित पदाधिकारियों, माननीय प्रधानमंत्री जी, महामहिम राज्यपाल महोदय और अन्य को पत्र प्रेषित किया गया है। इससे ईस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड एवं झारखण्ड सरकार के राजस्व की भारी क्षति हुई है।

अतः सदन के माध्यम से मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि उपर्युक्त वर्णित कम्पनी के द्वारा प्रत्येक नियम विरुद्ध कार्यों की उच्चस्तरीय जांच सुनिश्चित कराकर शीघ्र समुचित कार्यवाही करने की कृपा की जाए।

(8] उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को राज्य सिविल और पुलिस सेवा के अधिकारियों के स्थानान्तरण संबंधी मुद्दे का समाधान किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री विनोद कुमार सोनकर (कौशाम्बी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वर्ष 2000 में उत्तर प्रदेश राज्य से अलग कर उत्तराखण्ड राज्य का सृजन हुआ। नवीन राज्य के गठन के कारण दोनों ही राज्यों में सिविल सेवा तथा पुलिस सेवा के आधिकारियों का आवंटन हुआ। इनमें से उत्तर प्रदेश से सिविल सेवा के 05 तथा पुलिस सेवा के 02, कुल 07 आधिकारियों ने इस आदेश के विरुद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय से स्थगनादेश प्राप्त कर उत्तर प्रदेश में ही सेवा करते चले आ रहे हैं। दिनांक 12 फरवरी, 2015 को माननीय न्यायालय द्वारा इन आधिकारियों की याचिकाएं खारिज कर दी गईं, जिस पर भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) द्वारा इन्हें उत्तराखण्ड भेजे जाने के आदेश जारी कर दिए। इस संबंध में भारत सरकार के समन्वय विभाग के स्तर पर दोनों राज्यों की बैठक का आयोजन किया गया जिसमें दोनों ही राज्य सरकारों ने इन आधिकारियों को वर्तमान नियुक्ति स्थल पर ही समायोजित करने की संस्तुति की तथा अवगत कराया कि ऐसा न करने पर इन आधिकारियों की सेवा सम्बन्धी अनेक विसंगतियां उत्पन्न होंगी तथा अनावश्यक रूप से प्रकरण न्यायालयों में लम्बित होंगे। इन्हें अपने से अनेक वर्ष कनिष्ठ आधिकारियों के अधीन रहकर कार्य करना होगा जिसका असर प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर भी पड़ेगा। विगत में उत्तर प्रदेश से सचिवालय सेवा के आधिकारियों को उत्तराखण्ड हेतु कार्यमुक्त किया गया था किन्तु उत्तराखण्ड सरकार द्वारा उन्हें अपने यहां लेने से इंकार कर दिया गया। ऐसे में उत्तर प्रदेश को उन्हें फिर अपने यहां वापस लेना पड़ा। किन्तु दोनों राज्य सरकारों के लगातार अनुरोध के बावजूद भी भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने ऐसा करने से मना कर दिया है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के इस निर्णय के कारण वर्ष 2014 की रिक्तियों हेतु राज्य सेवा के आधिकारियों की प्रोन्नति नहीं हो पा रही है।

अतः सदन के माध्यम से मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) को निदेरशित किया जाए कि वह संघ लोक सेवा आयोग को राज्य सरकार द्वारा पूर्व में ही प्रेषित सूची पर प्रोन्नति समिति की बैठक आयोजित करने हेतु पत्र जारी कर काडर संबंधी बंटवारे का निर्धारण प्रोन्नतियों के बाद किये जाने पर विचार करने का कष्ट करें।

(9) राजस्थान के बीकानेर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में स्वच्छता से जुड़े संगठनों को संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत निधियां जारी किए जाने की अनुमति दिए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): माननीय उपाध्यक्ष जी, स्वच्छ भारत मिशन का आभियान 15 अगस्त, 2014 को लाल किले की प्राचीर से किया गया था। इसके बाद स्वच्छता के कार्यक्रम में काफी तेजी भी आई है और बहुत सी संस्थाएं इसमें जुड़ी भी हैं। संस्थाओं ने समाज को जोड़कर स्वच्छता के काम को अपने हाथ में लिया है। मैं राजस्थान के बीकानेर संसदीय क्षेत्र से आता हूं। बीकानेर शहर को साफ-सुथरा रखने के लिए स्वच्छता प्रहरी संस्थान का समाजसेवी लोगों ने गठन किया है। उनको प्रतिदिन स्वच्छता के लिए बहुत से उपक्रमों की आवश्यकता है। साथ में एक कचरा कलेक्शन वाहन की भी आवश्यकता होती है। एमपीलैड स्कीम में आवश्यक संशोधन किया गया है लेकिन एमपीलैड स्कीम के तहत उन संस्थाओं को राशि जारी नहीं हो सकती जिनके रजिस्ट्रेशन की अवधि के तीन साल से कम हो। चूंकि योजना का शुभारम्भ ही 15 अगस्त, 2014 को हुआ, अतः इस तिथि के बाद जो संस्थाएं स्वच्छ भारत आभियान से जुड़ी हैं और उनका रजिस्ट्रेशन हुआ है, ऐसी संस्थाओं को एमपीलैड स्कीम से कचरा कलैक्शन वाहन सहित अन्य उपकरण खरीदने की अनुमति होनी चाहिए।

(10) बिहार के बेगूसराय संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पक्षी विहार को कावड़ झील में कृषि गतिविधि की अनुमति दिए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

डॉ. भोला सिंह (बेगूसराय) : माननीय उपाध्यक्ष जी, छठी एवं सातवीं शताब्दी में बंगाल के पाल वंशीय राजाओं की देवी माँ जयमंगला और नौलागढ़ राजधानी और फौज की छावनी के रूप में इतिहास में वर्णित है। जयमंगलागढ़ से नौलागढ़ के बीच की दूरी में सुरंगें बनी हुई थीं और जयमंगलागढ़ में ही उनकी सर्वमंगला देवी पीठ विजयश्री के प्रतीक के रूप में अभी भी लाखों करोड़ों की आस्था की देवी है। 14 हजार एकड़ का यह भू-भाग कावड़ झील के रूप में विख्यात रहा है। जाड़े के दिनों में साइबेरियन पक्षी प्रजनन के लिए हजारों किलोमीटर दूर से उड़कर कुछ माह के लिए यहां बसेरा करते थे। इलाके के हजारों मछुआरे इस झील से अपनी जीविका चलाने के लिए मछली का शिकार किया करते थे, पर अब इतिहास की ये सारी स्मृतियां गौरवशाली आलेख समाप्त हो गए हैं। झील की जगह पर फटी हुई वसुन्धरा की दरारें पड़ी हुई हैं।

मात्र बैशाख के दिनों में 500 एकड़ जमीन में पानी रहता है। शेष भागों में ऊख, गेहूं, रैंचा, मकई की फसलें हो रही हैं। केन्द्र सरकार ने इसे 1998 ई0 में पक्षी विहार के रूप में आधिसूचित किया था लेकिन अभी यह पिछले 12 वर्षों से सूखा पड़ा हुआ है। इसमें किसानों की खेती होती है। केंद्र सरकार इस पक्षी विहार को लेकर खड़ी है। लाखों की आबादी जीविका को लेकर खड़ी है। पेट की रोटी और मन के प्रवाह में गतिरोध है।

अतः सदन के माध्यम से मेरा पर्यावरण मंत्री जी से अनुरोध है कि लाखों किसानों को बिना जल के पक्षी विहार की रट लगाकर किसानों एवं आमजन को आत्महत्या के लिए प्रेरित न करें।

(11) **उत्तर प्रदेश के हापुड़ में कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता**

[हिन्दी]

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हापुड़ एक नवसृजित जिला है, जिसका गठन लगभग तीन वर्ष पूर्व हुआ था। इस जनपद में गेहूं, धान, गन्ना, आलू इत्यादि के आतिरिक्त अनेक प्रकार की सब्जियों तथा फलों का उत्पादन होता है। जनपद में कृषि उत्पादों की विविधता को देखते हुए तथा किसानों को सेवा उपलब्ध कराए जाने की दृष्टि से जनपद मुख्यालय हापुड़ में एक कृषि विज्ञान केन्द्र खोलने की अत्यन्त आवश्यकता है।

अतः सदन के माध्यम से मेरा माननीय कृषि मंत्री जी से अनुरोध है कि हापुड़ जनपद के मुख्यालय पर एक कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित करने का कष्ट करें।

(12) राजस्थान के किशनगढ़ और अहमदाबाद के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 79 को छह लेन में बदले जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री चन्द्र प्रकाश जोशी (चित्तौड़गढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के व्यस्ततम राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 79 पर किशनगढ़ से अहमदाबाद मार्ग वर्तमान में फोर-लेन बना हुआ है। उपरोक्त मार्ग किशनगढ़ से भीलवाड़ा, चित्तोड़गढ़, उदयपुर, डूंगरपुर एवं गुजरात राज्य के अंदर से गुजरता है। किशनगढ़ से अहमदाबाद तक की दूरी लगभग 550 किलोमीटर के रास्ते में किशनगढ़ की मार्बल मण्डी, गुलाबपुरा के उद्योग, भीलवाड़ा के वस्त्र उद्योग, चित्तौड़गढ़ की मार्बल इकाइयां, जिंक संयंत्र, सीमेन्ट उद्योग का भारी परिवहन, उदयपुर के पर्यटन व्यवसाय के वाहन, अहमदाबाद तक जाने वाली चिकित्सा सुविधा वाले वाहन सहित हजारों की संख्या में सभी प्रकार के वाहन इस मार्ग पर चलते हैं। वर्तमान में यातायात एवं परिवहन के साधनों की संख्या को देखते हुए फोर-लेन मार्ग उक्त दबाव को सहने में सक्षम नहीं है, इसके कारण वर्तमान में कई जगह मार्ग क्षतिग्रस्त भी हो गया है। किशनगढ़ से अहमदाबाद फोन-लेन से जुड़ हुए कई प्रसिद्ध धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थल भी हैं, जैसे चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध दुर्ग, सांवलिया सेठ का मंदिर, उदयपुर के मनोरम प्राकृतिक स्थान एवं अन्य कई प्रसिद्ध स्थान भी हैं, जहां पर देश-विदेश से अनेक सैलानी भी आते हैं। यातायात एवं परिवहन के साधनों के उपयोग के आधार पर देखा जाए तो यह राजस्थान का सबसे व्यस्ततम मार्ग है। उपरोक्त सभी कारणों के देखते हुए किशनगढ़ से अहमदाबाद के वर्तमान फोर-लेन को सिक्स-लेन में परिवर्तन करने पर पर्यटन उद्योग एवं औद्योगिक इकाइयों के साथ-साथ आम जन-जीवन को भी सुविधा मिलेगी, साथ ही समय की भी बचत होगी।

अतः सदन के माध्यम से मेरा माननीय सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री जी से अनुरोध है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 79 की क्षतिग्रस्त स्थिति को देखते हुए इसे सिक्स-लेन में परिवर्तित करने की योजना

को शीघ्र स्वीकृत करने की कार्रवाई करें। इस मार्ग का कार्य शीघ्र प्रारम्भ होने पर आमजन का राहत मिलने के साथ ही इस क्षेत्र के विकास को भी गति मिलेगी।

(13) राजस्थान में किसानों को बीज, सिंचाई और सौर ऊर्जा उपकरणों पर राज सहायता दिए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री सी.आर. चौधरी (नागौर) : मैं किसानों से संबंधित एक महत्वपूर्ण विषय माननीय कृषि मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूँ। भारतीय कृषि मुख्य रूप से मानसून पर निर्भर करती है। मानसून समय पर नहीं आने एवं अल्पवृष्टि से अकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। आतिवृष्टि से बाढ़ आ जाती है। फसल पकने पर ओलावृष्टि एवं वर्षा से फसलें चौपट हो जाती है। राजस्थान का 2/3 भाग मरुस्थलीय एवं अर्द्ध मरुस्थलीय है तथा सम्पूर्ण राज्य में वर्षा कम होती है। यहाँ पर ड्रिप सिंचाई एवं सौर ऊर्जा से सिंगल फेज ट्यूबवैल चलाये जाते हैं। सौर ऊर्जा संयंत्रों में किसानों को अनुदान देने से पिछले कुछ वर्षों में किसान इनका भरपूर उपयोग कर रहे हैं। नहरी क्षेत्र में खेतों में पक्की डिग्गी निर्माण पर जो अनुदान दिया जाता था, वह भी बन्द कर दिया गया है। इन विषम परिस्थितियों में किसान अपने परिवार एवं देश के लोगों का अनाज उत्पन्न कर पालन करता है। हमारी सरकार किसान हितैषी है एवं उनकी खुशहाली के लिए चिन्तित है। किसानों को संकट से उबरने के लिए एवं उसको बीज, खाद, सिंचाई उपकरण एवं सौर ऊर्जा उपकरणों आदि पर अनुदान दिया जाता रहा है। पिछले कुछ सालों से केन्द्र सरकार द्वारा ड्रिप सिंचाई उपकरण एवं सौर ऊर्जा उपकरणों आदि पर अनुदान दिया जाता रहा है लेकिन केन्द्र सरकार द्वारा ड्रिप सिंचाई एवं सोलर सिस्टम पर अनुदान कम कर दिया गया है। अनुदान की राशि कम करने से किसानों में रोष व्याप्त है। जिसका तुलनात्मक विवरण निम्न प्रकार हैः-

संयंत्र	कृषक श्रेणी	सत्र 2013-14 का देय अनुदान					सत्र 2013-14 का देय अनुदान			
ड्रिप सिंचाई संयंत्र		देय अनुदान प्रतिशत	प्रतिशत अंश				देय अनुदान प्रतिशत	प्रतिशत अंश		
			केन्द्रीयांश	राज्यांश	आति राज्यांश	कृषक अंश		केन्द्रीयांश	राज्यांश	आति राज्यांश	कृषक अंश
	सामान्य	90	40	10	40	10	50	25	10	15	50
	लघु/सीमान्त	90	40	10	40	10	70	35	10	25	30
	डी.पी.ए.पी/ डी.डी.पी. क्षेत्र के सामान्य कृषक	90	40	10	40	10	70	35	10	25	30
	डी.पी.ए.पी./ डी.डी.पी. क्षेत्र केलघुसामान्य कृषक	90	40	10	40	10	70	50	10	10	30
सौलर पम्प	डी.पी.ए.पी./ डी.डी.पी. क्षेत्र के सामान्य कृषक	86	56	30	0	14	70	30	40	0	30
	डी.पी.ए.पी./ डी.डी.पी. क्षेत्र केलघुसामान्य कृषक	86	56	30	0	14	70	30	40	0	30

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि पूर्व की भॉति इन पर किसानों को अनुदान दिलाया जाए ताकि देश के कृषि उत्पादन में वृद्धि हो सके।

[अनुवाद]

(14) कर्नाटक से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 63 के हुबली-गडग खंड पर समपार संख्या 1 पर रोड ओवरब्रिज का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री प्रह्लाद जोशी (धारवाड़): कर्नाटक में हुबली, बंगलुरु के बाद जनसंख्या और क्षेत्र के मामले में राज्य का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। यह शहर तीन राष्ट्रीय राजमार्गों से जुड़ा हुआ है। एन.एच.-4 बेंगलुरु-पुणे, एन.एच.-218 हुबली-विजयपुर और एन.एच-63 अंकोल-गूटी और तीनों राष्ट्रीय राजमार्गों में भारी यातायात आवाजाही होती है। शहर के बाहरी क्षेत्र में हुबली-गदग खंड पर स्थित एनएच-63 पर रेलवे गेट नंबर-1 एक मानव-संचालित गेट है, जिससे यातायात जाम हो जाता है। इस समस्या के समाधान हेतु इस रेलवे गेट पर एक रेलवे ओवर ब्रिज (आरओबी) के निर्माण का प्रस्ताव रखा गया था, जिसे 2010 के रेलवे बजट में 20 करोड़ रुपये की लागत से लागत साझेदारी आधार पर स्वीकृति मिली थी। अब कर्नाटक राज्य सरकार ने भी अपनी हिस्सेदारी स्वीकृत कर दी है, इसके बावजूद इस कार्य में अत्यधिक विलंब हो रहा है, जिससे इस क्षेत्र के लोग बहुत ही व्यथित और चिंतित हैं। इस क्षेत्र के विकास और यातायात की समस्याओं को दूर करने के लिए इस आरओबी का शीघ्र निर्माण अत्यंत आवश्यक है। अतः मैं सरकार और विशेष रूप से रेलवे मंत्रालय से आग्रह करता हूँ कि इस मामले को शीघ्रता से निपटाया जाए। … (*व्यवधान*)

(15) मुंबई के भाभा परमाणु अनुसंधान क्षेत्र के संवेदनशील जोन में निर्माण क्रियाकलापों पर प्रतिबंध लगाए जाने की आवश्यकता

डॉ. किरिट सोमैया (मुंबई उत्तर पूर्व): यह समझा जाता है कि महाराष्ट्र आवास मंत्रालय के माध्यम से एक निजी बिल्डर ने लोगों के पुनर्वास को प्रभावित करने वाली झुग्गी पुनर्वास परियोजना के नाम पर एक आवास परिसर का प्रस्ताव रखा है। … (*व्यवधान*)

ऐसा प्रतीत होता है कि भूमि उपयोग में परिवर्तन किया गया है या किया जा रहा है, और यह निर्माण कार्य बिना विकास क्षेत्र (नो डेवलपमेंट ज़ोन) या सुरक्षा संवेदनशील क्षेत्र में किया जाना प्रस्तावित है। यह क्षेत्र भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (बी.ए.आर.सी.), चेंबूर, मुंबई के समीप स्थित है, जो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एच.पी.सी.एल.), चेंबूर, मुंबई के पास है। परमाणु ऊर्जा विभाग, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (बी.ए.आर.सी.), साथ ही तेल और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत आने वाले एच.पी.सी.एल. तथा भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने इस सुरक्षा संवेदनशील क्षेत्र में निर्माण को लेकर गंभीर आपत्तियाँ जताई हैं और अपनी चिंताएँ व्यक्त की हैं। … (*व्यवधान*) तथाकथित निजी बिल्डर एक बार फिर बी.ए.आर.सी और एच.पी.सी.एल. से एन.ओ.सी. प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है, जो मुंबई के लोगों की सुरक्षा के लिए खतरनाक है। इसलिए, उन्हें एन.ओ.सी. नहीं दी जानी चाहिए। … (*व्यवधान*) परमाणु ऊर्जा विभाग, बी.ए.आर.सी. को आपत्तियां उठानी चाहिए और महाराष्ट्र और अन्य एजेंसियों की सरकार के अनुसार निर्देश भेजना चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष: श्री गुथा सुकेंदर रेड्डी - उपस्थित नहीं।

... (*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्ष: श्री कोडिकुन्नील सुरेश - उपस्थित नहीं।

... (*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्ष: श्री सी. गोपालकृष्णन

(16) ऊटी में एक मल्टी स्पेशियलिटी अस्पताल खोले जाने की आवश्यकता

श्री सी. गोपालाकृष्णन (नीलगिरी): ऊटी, जिसे उधागमंडलम के रूप में जाना जाता है, पश्चिमी घाट में एक रिसॉर्ट टाउन है और तमिलनाडु में नीलगिरी जिले का मुख्यालय है। … (*व्यवधान*) 2240 मीटर की ऊंचाई पर स्थित, ऊटी दक्षिण में सबसे लोकप्रिय हिल स्टेशन है और भारत के पहले जैवमंडल नीलगिरि को अपनी विशिष्ट जैव-विविधता के कारण दुनिया के 14 हॉटस्पॉट में से एक घोषित किया गया है। नीलगिरि दृश्यात्मक आनंद और आत्मा को झकझोर देने वाले अनुभव का एक अद्भुत मिश्रण प्रस्तुत करता है। …(*व्यवधान*) ऊटी की आबादी 8 लाख से अधिक है और हर दिन हजारों की संख्या में स्वदेशी और विदेशी पर्यटक यहाँ आते हैं और गर्मियों के दौरान पर्यटकों की आमद में तेजी से वृद्धि होती है। केंद्र देश में ऐसे विशेष क्षेत्रों को विभिन्न सहायता प्रदान करता है। … (*व्यवधान*) इस क्षेत्र के लोग निजी अस्पतालों से महंगा स्पेशियलिटी इलाज नहीं करा सकते हैं। आपातकालीन उपचार के लिए कोयम्बटूर तक पहुंचना भी मुश्किल है जो लगभग 85 किलोमीटर दूर है। … (*व्यवधान*) तमिलनाडु की सरकार ने इस पहाड़ी इलाके के लोगों के लाभ के लिए कई सामाजिक कल्याण और स्वास्थ्य योजनाएं शुरू की हैं। एक केंद्रीय सरकारी अस्पताल की स्थापना ऊटी के लोगों के लिए मददगार साबित होगी और इससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। … (*व्यवधान*) पर्यटकों, विशेष रूप से बुजुर्गों और बच्चों के लिए आवश्यकता के समय ऐसा अस्पताल बहुत उपयोगी रहेगा। मैं सरकार से इस हिल स्टेशन के लोगों और पर्यटकों के बेहतर स्वास्थ्य देखभाल के लिए ऊटी में एक मल्टी-स्पेशियलिटी अस्पताल स्थापित करने का आग्रह करता हूँ। … (*व्यवधान*)

(17) कावेरी मैनेजमेंट बोर्ड और कावेरी वाटर रेग्युलेशन कमेटी का गठन किए जाने की आवश्यकता

डॉ. जे. जयवर्धन (चेन्नई दक्षिण): तमिलनाडु की माननीय मुख्यमंत्री पुरच्ची थलैवी अम्मा के अथक प्रयासों और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप, कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण का अंतिम आदेश, जो 05.02.2007 को दिया गया था, भारत सरकार द्वारा 19.02.2013 को अधिसूचित किया गया है। … (*व्यवधान*) तमिलनाडु की माननीय मुख्यमंत्री पुरच्ची थलैवी अम्मा भारत सरकार से कावेरी प्रबंधन बोर्ड और कावेरी जल विनियमन समिति के शीघ्र गठन की लगातार माँग कर रही हैं। हालांकि, एक अस्थायी पर्यवेक्षी समिति बनाई गई है, लेकिन यह अब तक प्रभावी रूप से कार्य नहीं कर पाई है। … (*व्यवधान*) हमारी दूरदर्शी नेता ने यह अनुरोध 3 जून 2014 को किया था, लेकिन अब तक भारत सरकार ने इसे अनुकूल रूप से स्वीकार नहीं किया है। भारत सरकार को तत्काल आवश्यक कदम उठाकर कावेरी प्रबंधन बोर्ड और कावेरी जल विनियमन समिति का गठन करना चाहिए।

(18) देश में बच्चों की तस्करी

डॉ. रत्ना डे (एन.ए.जी) (हुगली): महोदय, चूंकि सभा व्यवस्थित नहीं है, इसलिए मैं नियम 377 के अधीन मामलों का पथ नहीं पढ़ रही हूँ। कृपया मुझे इसे सभा पटल पर रखने की अनुमति दें।

[13*]यह अत्यंत शर्म की बात है कि सर्वांगीण विकास के बावजूद भी बच्चों की तस्करी की घटनाएँ सामने आ रही हैं। सरकार एंटी ट्रैफिकिंग नोडल सेल के माध्यम से प्रयास कर रही है, लेकिन स्थिति में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ है और हमें अब भी बच्चों की तस्करी की घटनाएँ सुनने को मिलती हैं। पिछले वर्ष संदेह व्यक्त किया गया कि पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार से 578 बच्चों की तस्करी हुई। 24 मई 2014 को केरल के एक रेलवे स्टेशन पर बिना किसी वैध दस्तावेज़ के पश्चिम बंगाल के 123 बच्चे पाए गए। अनाथालयों या किशोर गृहों में काम करने वाले गलत व्यक्तियों के चंगुल में बच्चे आसानी से फँस जाते हैं। तस्करी से बचाए गए बच्चों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जाना चाहिए और उनका पुनर्वास किया जाना चाहिए या उन्हें उनके घर भेजा जाना चाहिए। जो भी व्यक्ति बच्चों की तस्करी में लिप्त पाए जाएँ, उन्हें भारतीय दंड संहिता के तहत कठोर दंड दिया जाना चाहिए ताकि वे भविष्य में कोई भी इस घृणित अपराध को करने की हिम्मत न कर सके। मैं महिला एवं बाल विकास मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय से यह दृढ़ता से आग्रह करती हूँ कि देश में बच्चों की तस्करी की कोई भी घटना न हो। इसके लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय किए जाने चाहिए ताकि किसी भी बच्चे को इस प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े। इसलिए, यह अत्यंत आवश्यक है कि सरकार असाधारण कदम उठाए ताकि भविष्य में एक भी बच्चे की तस्करी की घटना न हो।

[13.] सभा पटल पर रखा गया

(19) ओडिशा के क्योंझर, जयपोर और खांडापाड़ा में उपक्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र स्थापित किए जाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने की आवश्यकता

डॉ. कुलमणि समल (जगतसिंहपुर): ओडिशा की सरकार ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास को लोकप्रिय बनाने के साथ-साथ समाज में, विशेष रूप से ग्रामीण छात्रों में, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करने के लिए ओडिशा में क्योंझर, जयपोर और खंडापाड़ा में उप-क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र (एस.आर.एस.सी.) की स्थापना के लिए राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद, कोलकाता के साथ-साथ संस्कृति मंत्रालय को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। चूंकि ये केंद्र, मॉडल और प्रदर्शनियों के माध्यम से सीखने पर आधारित हैं, इसलिए वे छात्रों, शिक्षकों और आम जनता को वैज्ञानिक पूछताछ, रचनात्मकता और तार्किक जिज्ञासा में आसानी से रुचि विकसित करने में सक्षम बना सकते हैं। इसलिएवैज्ञानिक दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करने के लिए क्योंझर और जयपुर में उप-क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र की स्थापना का प्रस्ताव 2010 में प्रस्तुत किया गया था, जबकि खंडपड़ा में एसआरएससी की स्थापना के लिए 2015 में प्रस्ताव दिया गया।। हालांकि, सभी प्रस्तावों के संबंध में निर्णय संस्कृति मंत्रालय के पास लंबित है।

इस संबंध में, मैं संस्कृति मंत्री से आग्रह करता हूँ कि वे आवश्यक कदम उठाकर इन प्रस्तावों को अंतिम रूप दें, ताकि ओडिशा के क्योंझर, जयपुर और खंडपड़ा में उप-क्षेत्रीय विज्ञान केंद्रों की स्थापना शीघ्र से शीघ्र की जा सके।

(20) देश में महुआरों के कल्याण हेतु उपाय किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री विनायक भाऊराव राऊत (रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, देश में मछुआरों की हालत किसी से छिपी हुई नहीं है। आज के समय में मछुआरों को मछली पकड़ने के आतिरिक्त कोई व्यवसाय नहीं होने के कारण वे अपने परिवारों का ठीक से भरण-पोषण नहीं कर पा रहे हैं और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। मछुआरों की आर्थिक हालत ठीक न होने के कारण वे बचपन से ही अपने बच्चों को मछली पकड़ने के व्यवसाय में लगा देते हैं। आज देश के मछुआरों के पास पक्के मकान नहीं हैं, इसकी वजह से इनको कोलीवाड़ा में रहना पड़ता है। यह समुद्र के किनारे ही बने होते हैं। समुद्र के किनारे होने के कारण ये लोग तटवर्ती विनियमन क्षेत्र [अनुवाद] (तटीय विनियमन क्षेत्र) [हिन्दी] में आते हैं। इनके परिवार बदतर हालत में जीने को मजबूर हैं। मछुआरे अपनी नौकाओं को वर्षा के समय बारिश से बचाने के लिए प्लास्टिक इत्यादि चीजों का इस्तेमाल करते हैं, परंतु उचित साधन होने होने के कारण इनकी नौकाएं जल्दी खराब हो जाती हैं। इनकी परेशानी यही खत्म नहीं होती है। मछुआरे मछली पकड़ने ज्यादातर खाड़ी इलाकों में जाते हैं, जिसमें कीचड़ होने के कारण मछली नहीं पकड़ पाते हैं, जिस कारण इनके व्यवसाय में कमी आ रही है।

महोदय, अतः मैं आपसे मांग करता हूं कि मछुआरों को सरकारी अनुदान समय पर मिले, इसके लिए सरकार द्वारा कोई उचित योजना बनानी चाहिए, जिससे इनकी परेशानी जल्द से जल्द खत्म हो सके।

(21) आंध्र प्रदेश के राजमुंदरी में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 16 के मोरमपुडी खंड पर एक उपरी पुल के निर्माण की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री एम. मुरली मोहन (राजामुन्दरी): राजामुन्दरी में एन.एच.-16 पर मोरमपुडी जंक्शन पर एक उपरी पुल के निर्माण के संबंध में पिछले तीन दशकों से जनता की लगातार मांग की जा रही है क्योंकि सड़क दुर्घटनाओं के कारण बड़ी संख्या में व्यक्तियों की मौत हो गई है। पिछले तीन वर्षों के दौरान, इस स्थान पर लगभग 140 दुर्घटनाएँ हुई हैं जिनमें 64 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है जो गंभीर चिंता का विषय है।

इसे ध्यान में रखते हुए, मैं माननीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री से आग्रह करूंगा कि वे एनएच-16 राजामुन्दरी पर मोरमपुडी जंक्शन पर एक एक उपरी पुल के निर्माण के लिए पर्याप्त धन आवंटित करें जिससे यातायात की भीड़ और दुर्घटनाओं की संख्या कम हो सके।

माननीय उपाध्यक्ष: श्री बी.बी. पाटिल - उपस्थित नहीं।

श्री शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल - उपस्थित नहीं।

(22) केन्द्रीय अर्धसैनिक बलों द्वारा दी जाने वाली सेवाओं को उचित महत्व दिए जाने की आवश्यकता

श्री दुष्यंत चौटाला (हिसार): अर्धसैनिक बलों की भूमिका देश में शांति बनाए रखने और आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने में अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमने हाल ही में हुई घटनाओं में देखा है कि कई सैनिकों और अधिकारियों ने अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए और राष्ट्रविरोधी तत्वों से लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दी है। … (*व्यवधान*) केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की सेवाएँ सशस्त्र रक्षा बलों के समान ही महत्वपूर्ण हैं, लेकिन अर्धसैनिक बलों के अधिकारियों को राज्य पुलिस बलों के अधिकारियों की तरह प्रमुख पद प्राप्त नहीं होते। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में महानिदेशक, विशेष महानिदेशक और अतिरिक्त महानिदेशक जैसे उच्च पद भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के अधिकारियों द्वारा भरे जाते हैं, न कि अर्धसैनिक बलों के अधिकारियों द्वारा। …(*व्यवधान*) इसलिए, मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि इस संबंध में एक स्पष्ट नीति तैयार की जाए और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के अधिकारियों को भी आईपीएस कैडर अधिकारियों के साथ समान रूप से उच्च पदों पर नियुक्ति का अवसर दिया जाए। साथ ही, मैं सरकार से यह भी आग्रह करता हूँ कि सेवानिवृत्त अर्धसैनिक बलों के कर्मियों को पूर्व सैनिकों की श्रेणी में शामिल किया जाए। … (*व्यवधान*)

(23) उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में लालडिग्गी मोहल्ला स्थित अर्बन कोओपरेटिव बैंक के लेन-देन पर आर.बी.आई. द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के मुद्दे को सुलझाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्रीमती अनुप्रिया पटेल (मिर्ज़ापुर): महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र मिर्जापुर (उत्तर प्रदेश) के लालडिग्गी मोहल्ले में स्थित "अर्बन कोआपरेटिव बैंक" में 15 हजार उपभोक्ताओं का 12 करोड़ रूपया फँस गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया ने बैंक के लेन-देन पर पूरी तरह रोक लगा दी है। फरवरी 2014 में हुई छापेमारी में वित्तीय आनियमितताएं उजागर हुई हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के नियमों को ताक पर रखकर 5 करोड़ रूपए का ऋण बैंक द्वारा वितरित किया गया। बैंक में ऑगनबाडी, ए.एन.एम., विधवा-वृद्धा पेंशन आदि जैसे कई सरकारी खाते हैं, जिससे आधिकारी/कर्मचारी और आम जनता को भुगतान किया जाता है। वर्तमान परिस्थितयों में बैंक का लाइसेंस रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा निरस्त किए जाने की नौबत आ सकती है। ऐसी दशा में ग्राहकों की बहुत हानि होगी।

अतः सदन के माध्यम से मेरा माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध है कि इस प्रकरण को आविलम्ब संज्ञान में लेते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया गवर्नर से संवाद करके इस समस्या का समाधान करें।

(24) माहे-थालास्सेरी बाई-पास रोड (एन.एच.17), केरल का शीघ्र निर्माण किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

प्रोफ़ेसर रिचर्ड हे (नामांकित): मैं इस सम्मानित सभा का ध्यान माहे-थलास्सेरी बाई-पास रोड (एन.एच..17) केरल के पूरा न होने के संबंध में आकर्षित करना चाहता हूं, जो कई दशकों से उपेक्षित है और घंटों तक ट्रैफिक जाम का कारण बनता है। (*व्यवधान*)

इसलिए, मैं संबंधित मंत्री से इस व्यस्त और महत्वपूर्ण बाई-पास के निर्माण को पूरा करने के लिए तत्काल कदम उठाने का अनुरोध करता हूँ। (*व्यवधान*)

(25) देश में गौहत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने तथा गौ संवर्धन तथा गौ संरक्षण हेतु प्रभावी कदम उठाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

डॉ. किरिट पी. सोलंकी (अहमदाबाद) : महोदय, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि आज पूदे देश भर से गौवंश हत्या बंदी और गोवंश संवर्धन के लिए आवाज उठ रही है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। भारतीय कृषि पूर्ण रूप से गौवंश पर आधारित थी, परंतु समय के साथ-साथ रसायनों और कृषि यंत्रों ने इसका स्थान ले लिया, जिससे हमारा समाज और गौवंश बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। रसायनों के उपयोग से भोज्य पदार्थ जहरीले हो गए और आधिक वाहनों के कारण हमारा वातावरण दूषित हो गया है। गौवंश की उपयोगिता के रूप में दुग्ध और दुग्ध पदार्थ मानवीय स्वास्थ्य के लिए अमृत हैं। गौमाता केवल पौराणिक आधार पर ही पूज्यनीय नहीं है, आपितु इसकी उपयोगता परिवार, समाज और राष्ट्र के लिए भी आद्वितीय है। गौवंश, वास्तव में चलती-फिरती रसायन शाला है जो घास-फूस और हरियाली ग्रहण करके उसके बदले में गोबर, गौमूत्र प्रदान करती है, जो फसलों के लिए भगवान का वरदान है। साथ ही बैलों की उपयोगिता से कृषि में मंहगे डीजल, पैट्रोल की लागत को शून्य किया जा सकता है तथा वातावरण को भी प्रदूषित होने से बचाया जा सकता है। रसायनिक खेती में पानी आधिक मात्रा में खर्च होता है, लागत आधिक आती है और पानी के स्त्रोत में भी गिरावट आती है जबकि गोबर की खाद से खेती करने पर उत्पादन बढ़ता है तथा कृषि लागत कम होती है और किसान की आय में बढ़ोत्तरी होती है। इसके साथ ही साथ गौ के अपशिष्ट पदार्थों से कीटनाशक खाद, दवाइयाँ आदि निर्मित करने से मानव जाति को फायदा तो होता ही है, साथ ही साथ हजारों हाथों को रोजगार भी मिलता है। यह वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हो चुका है कि मात्र गौमूत्र से ही 100 से ज्यादा रोगों का इलाज संभव है। इसलिए इसे पांच से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट प्राप्त हो चुके हैं।

अतः सदन के माध्यम स मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध है क भारतीय परिवेश को ध्यान में रखते हुए गौ संवर्धन और गौ-संरक्षण के लिए ठोस और कारगर नियम बनाए जाएं। गौ हत्या पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया जाए, गौमाता को राष्ट्रीय प्रतीक मानते हुए इनकी सुरक्षा की जाए एवं गौशालाओं का निर्माण करके इनके वंश में वृद्धि करने के लिए सार्थक नियम बनाए जाएं।

[अनुवाद]

<u>अपराह्न 15.00 बजे</u>

<u>नियम 193 के अधीन चर्चा</u>

(1) इंडियन प्रीमियर लीग (आई.पी.एल.) विवाद और तत्संबंधी मुद्दों से उत्पन्न विषय

माननीय उपाध्यक्ष: इसके बाद, सदन नियम 193 के अधीन - इंडियन प्रीमियर लीग (आई.पी.एल.) विवाद पर चर्चा करेगा।

श्री अर्जुन राम मेघवाल चर्चा आरंभ करेंगे।

... (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): महोदय, मैं 193 की चर्चा शुरू करता हूँ।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री तारिक अनवर (कटिहार): महोदय, मैं आपका ध्यान लोक सभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों के नियम 375 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इसमें कहा गया है कि सभा में उत्पन्न होने वाली गंभीर विकार के मामले में, अध्यक्ष, यदि वह ऐसा करना आवश्यक समझे, तो सभा को स्थगित कर सकते हैं या अपने द्वारा नामित किए जाने वाले समय के लिए किसी भी बैठक को निलंबित कर सकते हैं। … (*व्यवधान*)

महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि सभा व्यवस्था में नहीं है। तो, कृपया आप सभा को तुरंत स्थगित कर दें... (*व्यवधान*)

प्रो. सौगत राय (दमदम): महोदय, मैं नियम 56 के तहत एक मुद्दा उठा रहा हूँ। जबकि मैं श्री तारिक अनवर के इस तर्क का समर्थन करता हूं कि इन बाधित स्थितियों में सदन में कार्यवाही नहीं होनी चाहिए, मैं एक और नियम उद्धृत करना चाहता हूं, जिसका मैंने नोटिस दिया है और वह नियम 56 के अधीन है। यह अच्छा है कि संसदीय कार्य मंत्री सभा में मौजूद हैं और मुझे उम्मीद है कि वे मेरी ओर से उठाई गई आपत्तियों का जवाब देंगे।

महोदय, नियम 356 के तहत, सदन को स्थगन प्रस्ताव के तहत स्थगित किया जा सकता है। सभी प्रकार के प्रस्तावों में, जिन पर मतदान किया जाता है, स्थगन प्रस्ताव नियम 56 के तहत आता है। नियम 184 के तहत 'अनियत दिन वाले प्रस्ताव' आता है और नियम 199 के तहत *अविश्वास प्रस्ताव* लाया जाता है। अब, सरकार स्थगन प्रस्ताव के तहत चर्चा की अनुमति नहीं दे रही है, जबकि श्री खड़गे पिछले तीन सप्ताह से बार-बार व्यापम घोटाले, ललित मोदी प्रकरण और मंत्रियों के खिलाफ आरोपों पर चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव दे रहे हैं। … (*व्यवधान*) मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त करूँगा। जब स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया जाता है, तो उसकी एक प्रति माननीय अध्यक्ष को, दूसरी प्रति संबंधित मंत्री को और तीसरी प्रति संसदीय कार्य मंत्री को भेजी जाती है। इसके बाद, यह तय किया जाता है कि कौन सा प्रस्ताव स्वीकार किया जाएगा और कौन सा नहीं। अब, सरकार यह रुख अपना सकती है कि स्थगन प्रस्ताव वास्तव में सरकार की निंदा का एक तरीका है। … (*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्ष: आप क्या चाहते हैं?

प्रो. सौगत राय: महोदय, एक मिनट। कृपया इतने अधीर न बनें। आप अव्यवस्थित परिस्थितियों में सभा चला रहे हैं... (*व्यवधान*) महोदय, कौल और शकधर, पृष्ठ 529 में उल्लेख किया गया है कि स्थगन प्रस्ताव का प्राथमिक उद्देश्य सरकार का ध्यान अविलंबनीय लोक महत्व के मामले की ओर आकर्षित करना है ताकि इस संबंध में सरकार के निर्णय की आलोचना की जा सके। (*व्यवधान*)

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन (कोल्लम): श्री उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न, नियम 376 के संबंध में है। … (*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्ष: मैं आपको अपनी व्यवस्था दूंगा। कृपया प्रतीक्षा करें।

... (*व्यवधान*)

प्रो. सौगत राय: महोदय, सरकार द्वारा स्थगन प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जा रहा है क्योंकि उन्हें लगता है कि यह एक निंदा प्रस्ताव है। कल सत्ताधारी दल के एक सदस्य श्री निशिकांत दुबे ने स्थगन प्रस्ताव रखा। क्या वह सरकार के खिलाफ कार्रवाई कर रहे थे? मुझे इसके विषय में नहीं पता। और आपने उन्हें अनुमति दी और उन्होंने अपना प्रस्ताव पढ़ा। श्री प्रेमचन्द्रन ने निंदा प्रस्ताव के लिए एक नोटिस दिया है और आप इसकी अनुमति नहीं दे रहे हैं। यह सरकार क्या कर रही है? … (*व्यवधान*)

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन: महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न, नियम 376 के साथ-साथ नियम 184 के संबंध में है।

महोदय, मैंने 24 जुलाई, 2015 को नियम 184 के तहत निंदा प्रस्ताव के लिए एक नोटिस दिया है, जिसमें छह कारण बताए गए हैं, लेकिन दुर्भाग्य से, जो प्रस्ताव स्वीकार किया गया है वह सरकार द्वारा नियम 193 के तहत है। मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे निंदा प्रस्ताव का क्या हुआ। क्या इसे अस्वीकार कर दिया गया है? यदि इसे अस्वीकार कर दिया गया है, तो इसे किस आधार पर अस्वीकार किया गया है? मुझे इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है। महोदय, मैंने विशिष्ट नियमों और स्पष्ट निबंधन और शर्तों के तहत नोटिस दिया है। लेकिन दुर्भाग्य से, हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। … (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वैंकैय्या नायडू) : डिप्टी स्पीकर सर, ऐसी मोनोपली नहीं चलेगी। [अनुवाद] जब कोई व्यवस्था ही नहीं है तो व्यवस्था का प्रश्न ही नहीं उठ सकता है। वे अव्यवस्था पैदा करते हैं और व्यवस्था का प्रश्न उठाते हैं। यह व्यवस्था कैसी

है जिसे मैं इन सभी वर्षों में नहीं समझ पा रहा हूं? [हिन्दी] मज़ाक बना रहे हैं। और प्रो. सौगत राय एक बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं। सदन में अव्यवस्था है और वह व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा है और फिर अध्यक्षपीठ के बारे में टिप्पणी कर रहे हैं और उपाध्यक्ष को भी अधीर न होने की सलाह दे रहे हैं। कौन अधीर हो रहा है?

जहां तक सरकार का प्रश्न है, सरकार पहले दिन से चर्चा के लिए तैयार है। स्थगन प्रस्ताव की स्वीकृति का निर्णय माननीय अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। अध्यक्ष ने इसे आरक्षित कर दिया है। ये क्या है? यह बुलडोजिंग क्या है? [हिन्दी] ये बुलडोज़िंग नहीं चलेगी, कोई स्वीकार नहीं करेगा।

[अनुवाद] महोदय, मेरा सुझाव है कि यदि वे चर्चा के लिए तैयार नहीं हैं और वे तैयार होकर नहीं आए हैं, तो उन्हें चर्चा करने नहीं दी जाए। कोई समस्या नहीं है। सरकार अभी चर्चा के लिए तैयार है। सरकार किसी भी समय चर्चा के लिए तैयार है। यदि वे तैयार नहीं हैं, तो मैं उन्हें चर्चा के लिए दबाव नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मैं सदन में व्यवस्था चाहता हूँ। उन्हें अपनी सीट पर बैठने दें और सदन को सामान्य तरीके से फिर से शुरू करें और फिर हमें चर्चा करने दें। इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं है। उन्हें समझना चाहिए कि स्थगन प्रस्ताव क्या है।

माननीय उपाध्यक्ष: यद्यपि स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हो गई हैं, तथापि माननीय सदस्य द्वारा इसे अस्वीकार कर दिया गया है।

प्रो. सौगत राय: क्यों?

माननीय उपाध्यक्ष: इसलिए, व्यवस्था के प्रश्न के लिए कोई अवसर उत्पन्न नहीं होता है।

श्री अर्जुन राम मेघवाल।

... (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री अर्जुन राम मेघवाल : उपाध्यक्ष जी, धन्यवाद। काफी लंबे समय से जो आई.पी.एल. कंट्रोवर्सी को लेकर स्थिति बनी है, मैं उस संबंध में नियम 193 के अंतर्गत चर्चा करना चाहता हूँ। ...(व्यवधान) डिप्टी स्पीकर सर, संसदीय कार्य मंत्री कुछ बोलना चाह रहे हैं। यह क्या हो रहा है? ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: सभा की कार्यवाही अपराह्न 3.30 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

<u>अपराह्न 15.09 बजे</u>

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न तीन बजकर तीस मिनट तक के लिए स्थगित कर दी गई।

अपराह्न 15.30 बजे

लोक सभा अपराह्न तीन बजकर तीस मिनट पर पुनः समवेत हुई।

(माननीय अध्यक्ष *पीठासीन हुए*)

... (*व्यवधान*)

अपराह्न 15.30 बजे

इस समय प्रो. के.वी.थोमस, श्री कोडिकुन्नील सुरेश और और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : क्या हुआ?

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री के.एच. मुनियप्पा (कोलार): महोदया, मेरे व्यवस्था का प्रश्न है। … (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : प्वाइंट ऑफ आर्डर किस बात पर होता है?

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अभी तो काम शुरू ही नहीं किया है।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री के.एच. मुनियप्पा: महोदया, नियम 56 के तहत। … (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: हमने कुछ भी करना शुरू नहीं किया है, व्यवस्था का प्रश्न क्या है?

... (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री एम. वैंकैय्या नायडू : मैडम स्पीकर, क्या स्पीकर के ऊपर कागज फेंकना प्वाइंट ऑफ आर्डर है?...(व्यवधान) इस सदन में क्या हो रहा है?... [अनुवाद] इस सदन में क्या हो रहा है? मैं समझ नहीं पा रहा हूं। … (*व्यवधान*) [हिन्दी] क्या यह कोई तरीका है?...(व्यवधान) अगर इन्हें बहस नहीं चाहिए तो छोड़ दीजिए, बहस मत कीजिए।...(व्यवधान) बहस किए बगैर सदन की अवहेलना मत कीजिए।...(व्यवधान) चेयर की अवहेलना नहीं होनी चाहिए।...(व्यवधान) कागज फेंकना, नारे लगाना, प्वाइंट ऑफ आर्डर, ये सब क्या है।...(व्यवधान) हाउस नहीं चलाना है तो क्या वह नहीं चलेगा?...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** प्लीज़, आप सब अपनी-अपनी सीटों पर जाइए।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: यह उचित नहीं है।

... (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: अब, यदि वे नहीं चाहेंगे तो हम नियम 193 के अधीन पुनः चर्चा करेंगे।

... (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री एम. वैंकैय्या नायडू : ये बहस के लिए तैयार नहीं हैं, इन्हें बहस नहीं चाहिए।... (व्यवधान) ठीक है, नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। आगे बढ़िए।... (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: क्या आप चर्चा में रुचि नहीं रखते हैं?

... (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: यहां से मत बोलिए; कृपया अपनी सीट पर जाएं। यह कोई तरीका नहीं है । मुझे खेद है।

... (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : मैडम स्पीकर, जब डिप्टी स्पीकर साहब चेयर में थे, उस वक्त ही हमने यहां सवा दो बजे यह सवाल उठाया था।...(व्यवधान) हमने कहा कि हमने एडजर्नमैंट मोशन के तहत जो विषय चर्चा के लिए दिया है, आप उसे स्वीकार कीजिए।...(व्यवधान) हम चर्चा के लिए तैयार हैं। हम भागने वाले नहीं हैं। ...(व्यवधान) लेकिन इसे तोड़-मरोड़कर वे चाहते हैं कि नियम 193 के अंतर्गत लाएं। इसे डॉयलूट करके सिर्फ चर्चा करके डिसबर्स नहीं होना चाहते। ...(व्यवधान) मोशन मूव होने दीजिए, चर्चा होने दीजिए, वोटिंग होने दीजिए, गवर्नमैंट साइड का...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: खड़गे *जी*, अब मेरी बात सुनिए।

... (*व्यवधान*)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: सरकार के पास पूर्ण बहुमत है।। उन्हें इसे साबित करने दीजिए। … (*व्यवधान*) नियम 56 के तहत, उन्हें इसे स्वीकार करने दें। हम अभी चर्चा के लिए तैयार हैं। … (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: करुणाकरण जी, प्रो. सौगत राय मैं अंदर था; उपसभापति ने आपकी बात सुन ली है।

... (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: ऐसा कुछ नहीं है।

... (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : खड़गे जी, मेरी बात सुनिए।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : खड़गे जी, आपने एडजर्मेंट मोशन दिया था और लोगों ने भी अलग-अलग विषय पर एडजर्मेंट मोशन दिया था।

,... (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, कृपया मेरी बात सुनें।

... (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: व्यवस्था हमेशा अध्यक्ष द्वारा दी जाती है, न कि उनके द्वारा। मैंने इन सभी स्थगन प्रस्ताव सूचनाओं को अस्वीकार कर दिया है।

... (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: जब स्थगन प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया गया तो कहा गया: "वे चर्चा के लिए तैयार हैं।" लेकिन अन्य लोग चर्चा के लिए तैयार नहीं थे।

... (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: आप पूरे मुद्दे पर चर्चा कर सकते हैं। इसके बाद संबंधित मंत्री जवाब देंगे।

... (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: यदि आप इस पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं तो ठीक है। यदि आप इस पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं, तो हम नियम 193 के अधीन किसी और मुद्दा पर चर्चा शुरू करेंगे।

... (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: मैंने आपके स्थगन प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है।

... (*व्यवधान*)

श्री एम. वेंकैया नायडू: अगर वे तैयार हैं, तो हम चर्चा करेंगे। ... (*व्यवधान*) हम पहले दिन से यह बात कह रहे हैं। यदि वे चर्चा के लिए तैयार या डरने वाले नहीं हैं या इसमें भाग नहीं लेना चाहते, तो मैं उन्हें मजबूर नहीं करूँगा। ... (*व्यवधान*) यह उनकी अपनी पसंद है। सरकार पहले दिन से आई.पी.एल., बी.पी.एल. और अन्य मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। हम पहले दिन से बहुत स्पष्ट रूप से कह रहे हैं। ... (*व्यवधान*) अध्यक्ष के फैसले पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। यहां आना और उपाध्यक्ष पर कागज फेंकना, यह पार्टियों की ओर से पूरी तरह से अशोभनीय है। ... (*व्यवधान*) उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। खड़गे जी को वरिष्ठ सदस्य होने के नाते इसकी अनुमति नहीं देनी चाहिए। ... (*व्यवधान*) कृपया किसी अन्य मुद्दे पर बात करें। हमें कोई समस्या नहीं है। अगर वे इस पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं, तो हमें कोई समस्या नहीं है। ... (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: खड़गे जी, अध्यक्ष ने आपके स्थगन प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है।

... (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: आपका मुद्दा एक ही है।

... (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: आप विवाद और तत्संबंधी मुद्दों से उत्पन्न विषय पर चर्चा कर सकते हैं। इसमें समस्या क्या है?

... (*व्यवधान*)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: महोदया, मैं आपके ध्यान में एक बात लाना चाहता हूँ। बी.जे.पी. के मुख्य सचेतक आई.पी.एल. घोटाले और अन्य संबंधित मुद्दों पर चर्चा के लिए नोटिस कैसे दे सकते हैं? यह बिल्कुल भी चिंता का विषय नहीं है ... (*व्यवधान*) मंत्री जी पर कोई आरोप नहीं है। उन्हें मंत्री जी से कोई शिकायत नहीं है। वह यह नोटिस कैसे दे सकते हैं? यह सिर्फ हमारे नोटिस को कमजोर करने के लिए है। ... (*व्यवधान*) सिर्फ इस पर चर्चा करने के लिए नहीं और इससे बचने के लिए, वे ऐसा कर रहे हैं। ... (*व्यवधान*) हम नियम 193 के तहत कोई चर्चा नहीं करना चाहते हैं। हम इस चर्चा को नियम 56 के तहत चाहते हैं। हम इस पर चर्चा के लिए तैयार हैं। ... (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: खड़गे जी, हम एक काम कर सकते हैं। [हिन्दी] खड़गे जी, आप अगर इस मोशन पर डिस्कशन नहीं करना चाहते हैं तो नहीं कीजिए, एडजर्मेंट मोशन को मैं एलाऊ नहीं कर रही हूं। यह बात आप मान लीजिए। आप वर्डिकट नहीं दे सकते हैं। सभी दूसरी पार्टीज दूसरे विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। [अनुवाद] आप जो भी है उसकी चर्चा कर सकते हैं। यदि आप तैयार नहीं हैं, तो हम नियम 193 के तहत किसी और पर चर्चा करेंगे।

... (*व्यवधान*)

अपराह्न 15.39 बजे

नियम 193 के अधीन चर्चा

(2) संधारणीय विकास लक्ष्य - जारी

माननीय अध्यक्ष: अब, दूसरा 193 का जो विषय है वह संधारणीय विकास लक्ष्यों के बारे में है - श्री प्रहलाद पटेल।

... (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री प्रहलाद सिंह पटेल (दमोह) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो भी देश के विकास के लिए बातें जरूरी हैं उनमें सबसे अह्म बात यह है। ... (*व्यवधान*)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: सभा की कार्यवाही 4 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

अपराह्न 15.40 बजे

तत्पश्चात लोक सभा अपराह्न 4 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।

<u>अपराह्न 16.00 बजे</u>

लोक सभा अपराह्न 4 बजे पुनः समवेत हुई।

(माननीय अध्यक्ष *पीठासीन हुए*)

... (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: हाँ, वह कुछ कहना चाहते हैं।

... (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: कृपया, श्री मुनियप्पा कुछ कहना चाहते हैं।

... (*व्यवधान*)

श्री के.एच. मुनियप्पा (कोलर): महोदया, कृपया 58 (3) को पढ़ें। … (*व्यवधान*) इसमें कहा गया है कि "यह प्रस्ताव हाल ही की किसी विशिष्ट घटना तक सीमित रहेगा, जिसमें भारत सरकार की जिम्मेदारी शामिल हो।"। इस मामले में भारत सरकार शामिल है। व्यथित कौन हैं? यह कोई भी ऐसा सदस्य हो सकता है जो विपक्षी दल से संबंधित हो … (*व्यवधान*) एक सत्तारूढ़ दल का सदस्य नियम 193 के तहत इस आवेदन को दाखिल करने के लिए व्यथित नहीं हो सकता है जब हम पहले ही स्थगन प्रस्ताव दायर कर चुके हैं। कोई अन्य सदस्य कल के लिए स्थगन प्रस्ताव दाखिल कर सकता है ताकि हमें इसे प्रस्तुत करने की अनुमति मिल सके। निश्चित रूप से, एक बार जब आप इसे अस्वीकार कर देते हैं, तो वही व्यक्ति इसे फिर से दाखिल नहीं कर सकता, लेकिन कोई अन्य सदस्य इसे कल प्रस्तुत कर सकता है। आपने उन्हें इसे प्रस्तुत करने की अनुमति दी, और यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। मैं आपको यह स्पष्ट करना चाहता था, महोदया। वह सत्तारूढ़ दल के सदस्य हैं और वह व्यथित पक्ष नहीं हैं। इस मुद्दे को सत्तारूढ़ दल के सदस्य समझ सकते हैं। धन्यवाद, महोदया।

माननीय अध्यक्ष: नहीं, एक बात है। जब स्थगन प्रस्ताव अस्वीकृत हो जाता है, तो कोई भी सदस्य ऐसा कर सकता है, और यह आवश्यक नहीं है तो व्यथित या किसी अन्य का कोई सवाल ही नहीं उठता।

... (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: कोई भी सदस्य नियम 193 के तहत कोई भी मुद्दा उठा सकता है।

... (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: आप इसे नियम 193 के तहत भी उठा सकते हैं।

श्री के.सी. वेणुगोपाल (अलप्पुझा): किस आधार पर? … (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: यदि आप नियम 193 के तहत नोटिस देते हैं, तो मैं तैयार हूं। मैंने उन्हें बता दिया है। मैं इसे नियम 193 के तहत स्वीकार कर रही हूं।

... (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: लेकिन वह नोटिस दे सकते हैं। नियम 193 के तहत, कोई भी सदस्य नोटिस दे सकता है।

... (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: आप यह नहीं कह सकते कि वह व्यथित नहीं है।

... (*व्यवधान*)

श्री के.एच.मुनियप्पा: एक नियम के रूप में, मैं सिर्फ अध्यक्ष जी से एक स्पष्टीकरण चाहता हूँ। … (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: वह आईपीएल के मुद्दे पर चर्चा करना चाहते हैं। बस यही एक बात है।

... (*व्यवधान*)

श्री के.एच. मुनियप्पा: अध्यक्ष महोदया, मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं। … (*व्यवधान*) किसी भी समय ऐसे मामले में जब सत्तारूढ़ पार्टी उसी सरकार पर किसी भ्रष्टाचार या अन्य मामले में नोटिस दे रही हो।... (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: यह भ्रष्टाचार के बारे में नहीं है। हम आई.पी.एल. मुद्दे के बारे में चर्चा कर रहे हैं।

... (*व्यवधान*)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: महोदया, कृपया मेरी बात सुनें। ... (*व्यवधान*)

श्री के.एच. मुनियप्पा (कोलार): मैं इस मुद्दे पर अध्यक्ष से एक स्पष्टीकरण चाहता हूँ। ... (*व्यवधान*)

शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्री और संसदीय मामलों के मंत्री (श्री एम. वेंकैया नायडू): माननीय अध्यक्ष महोदया, जैसा कि उन्होंने एक मुद्दा उठाया है, आइए हम इस पर आराम से चर्चा करें। आई.पी.एल. सरकारी कार्यक्रम नहीं है। ... (*व्यवधान*) यह पूरे देश से संबंधित एक कार्यक्रम है। ... (*व्यवधान*) यह क्या है? इन लोगों को क्या हो गया है? ... (*व्यवधान*) मैं समझ नहीं पा रहा हूं। सभा का कोई भी सदस्य सदन में चर्चा कर सकता है। ... (*व्यवधान*) इसके कई उदाहरण हैं। यदि आप चाहते हैं, तो मैं उन नियमों को उद्धृत करूंगा जहां स्थगन प्रस्ताव को नियम 193 के तहत चर्चा में परिवर्तित किया गया है। मेरे पास उदाहरण हैं। ... (*व्यवधान*)

दूसरा नियम 193 के संबंध में, किसी भी सदस्य का मतलब इस सदन का सदस्य है। इसे सरल रेने दीजिए। ... (*व्यवधान*)

तीसरा, हम सरकार के बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं। यह पूरे देश से जुड़ा मुद्दा है। पूरा देश गुस्से में है। हम आई.पी.एल पर चर्चा कर रहे हैं और हम अन्य मुद्दों पर भी चर्चा कर रहे हैं। ... (*व्यवधान*) कुछ भी गलत नहीं है। ... (*व्यवधान*) उन्हें चर्चा में शामिल होने दें। ... (*व्यवधान*) उन्हें चर्चा शुरू करने दें। ... (*व्यवधान*) सरकार को कोई परेशानी नहीं है। ... (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: अब, श्रीमती मीनाक्षी लेखी कुछ कहना चाहती हैं।

... (*व्यवधान*)

श्री एम. वेंकैया नायडू: मंत्री भी यहाँ हैं। … (*व्यवधान*) खेल मंत्री यहां हैं, और विदेश मंत्री भी इसमें शामिल हो सकते हैं। … (*व्यवधान*) खेल मंत्री, विदेश मंत्री और यदि आवश्यक हो, तो वित्त मंत्री भी हस्तक्षेप कर सकते हैं। कोई समस्या नहीं है। हम पहले दिन से यह बात कह रहे हैं। … (*व्यवधान*)

श्रीमती मीनाक्षी लेखी (नई दिल्ली): महोदया, यह विरासत है, जो वर्तमान सरकार को पिछली सरकार से विरासत में मिली है। … (*व्यवधान*) इसलिए, वर्तमान स्थिति में पहुंचने के लिए अतीत के कार्यों पर चर्चा की जानी चाहिए। … (*व्यवधान*)

<u>अपराह्न 16.04 बजे</u>

इस समय श्री कोडिकुन्नील सुरेश और और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

नियम 193 में कहा गया है कि "कोई भी सदस्य तत्काल लोक महत्व के मामले पर चर्चा करने के लिए इच्छुक है। …."..... (*व्यवधान*) इसलिए, यह सार्वजनिक महत्व का मामला है, और यही हमें पिछली सरकार से विरासत में मिला था और हम इस पर चर्चा करना चाहते हैं। … (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: बिलकुल सही कहा।

... (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: उन्होंने जो उल्लेख किया है वह सही है कि कोई भी सदस्य इसे नियम 193 के तहत उठा सकता है।

... (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: अब, सुश्री उमा भारती कुछ कहना चाहती हैं।

... (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री (सुश्री उमा भारती) : मैं नियम 376 के अंतर्गत प्वाइंट ऑफ ऑर्डर रेज कर रही हूं। महोदया मेरा प्वाइंट ऑफ ऑर्डर रेज करने का जो नियम है, वह नियम 349 है, जिसके अन्तर्गत स्पीकर के सामने कागज नहीं फेंके जा सकते। स्पीकर के ऊपर, उनके मुहं के सामने तख्ती नहीं लगाई जा सकती।...(व्यवधान)

महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन के सभी सदस्यों से अनुरोध करती हूं और कांग्रेस के माननीय नेता महोदया से भी अनुरोध करती हूं कि स्पीकार के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है, उसके लिए वे अपने सदस्यों की प्रताड़ना करें। ...(व्यवधान)

महोदया, मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि इन सदस्यों पर आप नियमानुसार कार्यवाही करें और मैं उनके दुव्यवहार की, जो उन्होंने माननीय चेयर का अपमान किया है, इस सदन में निन्दा करती हूं। मैं आपसे आग्रह करती हूं कि इनके इस कृत्य के ऊपर आप उचित कार्यवाही करें। धन्यवाद।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** मैं देख रही हूं सुबह से। [अनुवाद] यह कोई तरीका नहीं है ।

[हिन्दी]

... <u>(व्यवधान)</u>

माननीय अध्यक्ष : सुबह से जिस तरीके से व्यवहार हो रहा है। [अनुवाद] यह कोई तरीका नहीं है । मैं आपको सुबह से देख रही हूं। [हिन्दी] मैंने यह भी समझा है कि जब मैं यहां नहीं थी और माननीय डिप्टी स्पीकर जब चेयर पर बैठे थे, उस समय जिस तरीके से कागज फेंके गए कुछ मेम्बर्स के द्वारा, वह कदापि माफ करने लायक नहीं है।

... <u>(व्यवधान)</u>

माननीय अध्यक्ष : यह सही तरीका नहीं है। [अनुवाद] कृपया इस तरह का व्यवहार न करें।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : पहले आप पीछे हट जाओ। यह कोई तरीका नहीं है। [अनुवाद] यह कोई तरीका नहीं है । यह कोई तरीका नहीं है । आप यहाँ से अपनी सीट पर जायें।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मेरा अनुरोध है, आप इसे देखिए, यह स्पीकर के सामने हो रहा है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपका यह तरीका उचित नहीं है। स्पीकर के सामने आकर जिस तरीके से व्यवहार हुआ है, जिसके तरीके से आपका व्यवहार स्पीकर के सामने सुबह से है। [अनुवाद] मैं सुबह से ही यह सब देख रही हूँ। यह तरीका नहीं है, मैं आपको बार-बार बता रही हूं और मैं आप सभी को एक चेतावनी दे रही हूं। यह तरीका नहीं है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : कागज फेंकना कदापि उचित नहीं है। [अनुवाद] आपको इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए। आपको सबसे पहले अपना व्यवहार ठीक रखना चाहिए।

... (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: आपको पहले खुद का व्यवहार ठीक रखना चाहिए; फिर, मैं दूसरों को भी बताउंगी।

मुझे यह कहते हुए खेद है कि यह तरीका सही नहीं है।

... (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : मैं आज बहुत दुखी हूं। आज मैं बहुत दुखी हूं। जिस तरीके से आप लोगों ने चेयर के साथ व्यवहार किया है।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: सभा की कार्यवाही कल, 12 अगस्त, 2015 के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

मुझे वास्तव में खेद है कि मुझे इस तरह से सभा को स्थगित करना पड़ा।

अपराह्न 16.08 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार, 12 अगस्त, 2015 / 21 श्रावण, 1937 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण, अंग्रेज़ी संस्करण और हिन्दी संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध हैं:

https://sansad.in/ls

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का संसद टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की कार्यवाही समाप्त होने तक होता है।

© 2015 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (सोलहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित